खण्ड-441, अंक-7
बुधवार, 1 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(22 मई, 2002 ई0)

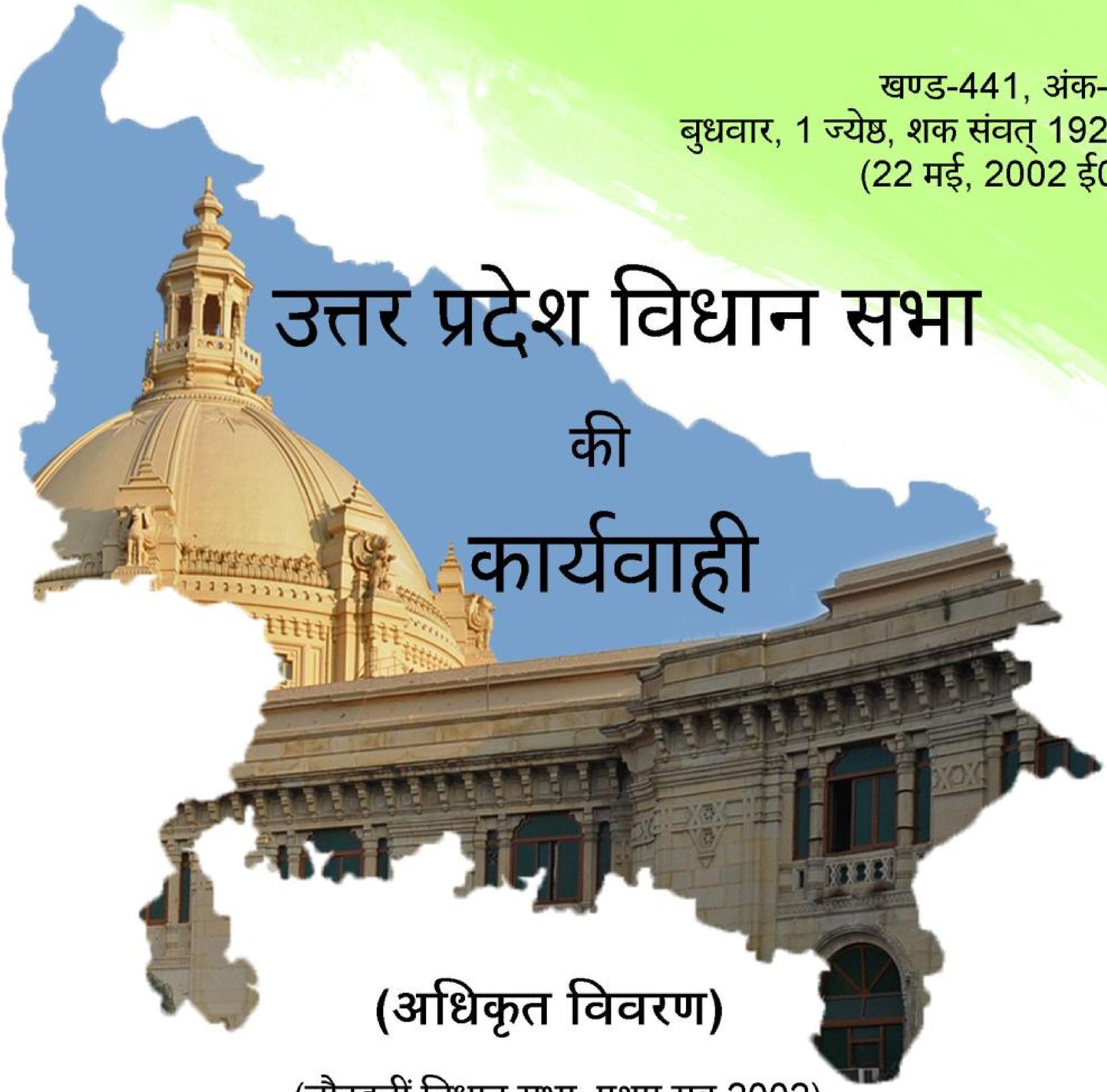

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2002)

खण्ड 441 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–7
दिनांक 20 मई, 2002 की कार्यसूची के नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर व्यवस्था का प्रश्न	7-8
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	8
जिला सहकारी बैंक लि० बलिया की प्रबन्ध समिति को धारा–35 क के अन्तर्गत भंग करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	9
बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9-10
जनपद शाहजहांपुर की पुवायां तहसील में आवश्यकतानुरूप विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
जनपद बागपत के खेकड़ा कस्बे में विद्युत आपूर्ति लाइट एच बी-2 (कटौती मुक्त) श्रेणी में कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	10
विधान भवन परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मा० सदस्यों को होने वाली असुविधाओं तथा रेलवे व हवाई कूपन में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	10
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या पर नियम–51 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास	11
विधान भवन परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मा० सदस्यों को होने वाली असुविधाओं तथा रेलवे व हवाई कूपन में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	11–15
13वीं विधान सभा के सदस्यों की बकाया विधायक निधि 14वीं विधान सभा के सदस्यों को अवमुक्त किये जाने तथा विधायक निधि की धनराशि रुपये दो करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	15–23
सदन में मोबाइल प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	23
सभा मंडप में नोटिस वितरण प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ...	23
13वीं विधान सभा के सदस्यों की बकाया विधायक निधि 14वीं विधान सभा के सदस्यों को अवमुक्त किये जाने तथा विधायक निधि की धनराशि रुपये दो करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	24–28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या

भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संस्तुति किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ... 28

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 28-29

जनपद हरदोई के पिहानी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दीवार गिरने से तीन लोगों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ... 29–31

दिनांक 21 मई, 2002 को श्री विनोद कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर विषयक प्रकरण पर व्यवस्था का प्रश्न 31–35

दिनांक 21 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 35–47

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ... 47–51

दलों की सदस्य संख्या बल के आधार पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न 51

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ... 52–86

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 86-87

जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के कटान से नदी के दोनों तटों पर तटबन्ध बनाये जाने के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... 87-88

मेरठ नगर निगम में ट्रान्सपोर्ट नगर में एक निर्माणाधीन जलाशय को चालू कराये जाने के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... 88-89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 22-5-2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अक्षयवर लाल, श्री	श्रावस्ती
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धीरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
वीरेन्द्र सिंह बुन्द भगत-राजा, श्री	ललितपुर
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर/पडरौना
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल यादव, श्री	सीतापुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
विजय कुमार मिश्रा, श्री	संत रविदास नगर भदोही
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 मई, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिये शासन की कार्ययोजना

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिये सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के के लिये मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 के अनुपालन में वर्ष 1997 से ही लगातार बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण और उनको शिक्षा से जोड़ने एवं प्रभावित बाल श्रमिक परिवारों का पुनर्वासन कार्यक्रम लागू है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(1) बाल श्रमिकों का सर्वेक्षणों/निरीक्षणों के माध्यम से चिन्हीकरण ।

(2) चिन्हित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन ।

(3) बाल श्रमिकों के परिवारों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित करना ।

(4) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में बाल-श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही ।

(5) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में नियोजित बाल श्रमिकों के सापेक्ष उनके नियोजकों से क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि की वसूली ।

(6) राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल-श्रमिक विद्यालयों के माध्यम से बाल-श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन ।

(श्रम मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं आप कृपया उत्तर दे दें ।

(संसदीय कार्य-मंत्री ने उत्तर पढ़ा)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से आज भी बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है, और आज भी जो कारखाना ऐक्ट के अन्तर्गत फैक्टिरियां लगी हैं चाहे वह भदोही का कालीन उद्योग हो, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग हो या अलीगढ़ का ताला उद्योग हो सब जगह लगा हुआ है तो कार्य योजना बनायी जानी चाहिए थी। इन्होंने मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 का हवाला दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मा० सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में कार्य किया है ? 2001-2002 में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण/निरीक्षण के माध्यम से चिन्हीकरण किया जा रहा है यह कहा गया तो कितने बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण किया ? जिनका शोषण हो रहा है उसके सम्बन्ध में शैक्षिक पुनर्वास के लिए क्या कार्य योजना बनायी और उनके परिवार को रोजगारपरक योजना से जोड़ने, तो, कौन-कौन सी रोजगारपरक योजनाएं हैं और जो इनका इम्प्लायर है, तो, किन-किन इम्प्लायर के खिलाफ कार्यवाही की गयी है यह मैं जानना चाहता हूँ ?

(श्रम मंत्री उपस्थित हो गये)

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायतीराज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यह सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार के निर्देश पर कराया गया। दो केटेगरी में इनको बांटा गया। एक तो वह जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं और एक वह जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं ऐसे बाल श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना है। उनके लिए शिक्षा विद्यालय खोले गये हैं जहां पर निःशुल्क शिक्षा और सौ रुपये स्कालरशिप आदि सुविधाएं हैं। ऐसे अनेकों विद्यालय चल रहे हैं। जो सर्वे में संख्या आयी है उसके अनुसार पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

मान्यवर, जो ऐसे परिवार हैं जिनको पुर्नवासित करना है बच्चे पर ही परिवार की रोजी रोटी चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने निर्देशित किया है, 25 हजार रु० उस परिवार को कार्य करने के लिये दिये जाते हैं, यह रिहेबिलिटेशन की योजना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो आपने स्वयं स्वीकार किया कि 1997 से सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है, बालकों के शोषण के रूप में कितने बच्चों को चिन्हित किया है; कितने ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिये निःशुल्क शिक्षा 100 रु० स्कालरशिप दी जा रही है और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको 25 हजार रु० दिये जा रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जो अभी तक चिन्हित किये गये हैं बाल श्रमिक उनकी संख्या 60986 है उनमें 28948 वह खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे थे और गैर खतरनाक उद्योगों में 32038 बच्चे काम कर रहे थे। यह मुरादाबाद, अलीगढ़, जलेसर; मिर्जापुर यह 50915 कुल कामकाजी बच्चे पाये गये।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न था कि चिन्हित होने के बाद कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पुनर्वासन के कार्य में 49617 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है इनमें खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चे 22945 थे और गैर खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चे 26672 थे ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, वह बच्चे जो शिक्षा लेने का काम किये हैं वह स्कूल किन-किन जनपदों में हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह विद्यालयों की संख्या 11 जिलों में चल रही है, फिरोजाबाद में स्वीकृत हैं 70, संचालित हो रहे हैं 70 और छात्रों की क्षमता है 6500 और इस समय अध्ययन कर रहे हैं 6300 । अलीगढ़ में 50 विद्यालय चल रहे हैं 2500 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, भदोही में 20 विद्यालय और 1000 विद्यार्थी हैं, मिर्जापुर में 20 विद्यालय और 1 हजार विद्यार्थी हैं, मुरादाबाद में 70 3500 विद्यार्थी हैं, वाराणसी में 40 हैं और विद्यार्थियों की संख्या 2000 हैं और शिक्षा पा रहे हैं 1800। खुर्जा में 40 हैं और 2000 विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद में 40 विद्यालय हैं और 2000 विद्यार्थी हैं, सहारनपुर में 40 हैं और 2000 विद्यार्थी हैं और 1889 शिक्षा पा रहे हैं । कानपुर में 40 हैं और 2000 विद्यार्थी की क्षमता है और 1900 शिक्षा पा रहे हैं । आजमगढ़ में 40 हैं और 2000 विद्यार्थी की क्षमता है और 1984 शिक्षा पा रहे हैं । इस तरह से 25,831 अध्ययनरत हैं और 26500 विद्यार्थी की क्षमता है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि कानपुर शहर में 40 विद्यालय चल रहे हैं, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार कानपुर शहर में कोई भी विद्यालय नहीं चल रहे हैं । लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी किन-किन मुहल्लों में ये विद्यालय चल रहे हैं क्या मेरी इस सूचना की आप जानकारी करा लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

फिर आप किन-किन गलियों में चल रहे हैं यह जानना चाहेंगे ?

श्री शिव कुमार बेरिया–

मैंने कहा कि ये विद्यालय नहीं चल रहे हैं, कृपया इसकी जांच करा ली जाये ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह जिलों की बात है, अलग-अलग स्थानों से सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं, माननीय अध्यक्ष जी, यह लिखकर दें कि विद्यालय नहीं चल रहे हैं, तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद, प्रतापगढ़ आदि जिलों में ये विद्यालय चल रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे रायबरेली और प्रतापगढ़ में कोई भी विद्यालय नहीं चल रहे हैं.। मान्यवर, अगर दो हजार छात्र हैं तो कितना रुपया निकाला जा रहा है, करोड़ों रुपये का घपला प्रदेश में हो रहा है, समिति बनाकर इसकी जांच करा ली जाये ? सदन की समिति बना कर कृपया जांच करा ली जाये ।

श्री लालजी टण्डन–

माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए, यदि यह आंकड़े सही नहीं है तो हम इसकी जांच करा लेंगे और जहां भी घपला होगा वहां दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, इसमें जांच के लिए सदन की एक समिति बना दी जाय जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य हों ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने कहा कि जांच करा लेंगे इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं । अध्यक्ष जी विद्यालयों के संबंध में जांच कराने की बात मंत्री जी ने कही है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि खतरनाक और जो खतरनाक नहीं हैं के संबंध में बात कर रहे थे, जो ऐसे व्यवसायों में है जो नियोजक रहेंगे और उनके यहाँ काम करेंगे उनसे क्षतिपूर्ति और मुआवजे लिये जायेंगे, तो ऐसे कितने नियोजक प्रदेश में है जो शोषण के लिए हैं ? तो उनसे कितनी क्षतिपूर्ति ली है और उनके खिलाफ अभियोजन की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जो कार्यवाही की गयी है उसमें वसूली प्रमाण-पत्र 6,366 जारी किये गये और 6,704 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी वसूली की है ? इसमें तो 1997 से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है । 1997 में सुप्रीमकोर्ट ने इसे गम्भीरता से लिया कि जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है उनसे काम लिया जा रहा है ।

श्री लालजी टण्डन–

अभी तक वसूली की गयी जो धनराशि है वह 78 लाख रुपये हैं । मान्यवर, आरसी दी गयी है 6366 को और 6,704 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम है । यह कार्यवाही पूरी हो गयी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह एक कल्याणकारी योजना का संदर्भ माननीय मंत्री जी ने लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने प्रश्न के अनुपूरक के उत्तर में बताया है कि ऐसे परिवारों के पुनर्वासन के लिए

25,000 रुपये की सहायता दी जाती है तो चूंकि यह एक बहुत ही लोक कल्याणकारी योजना है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने ऐसे परिवारों को 25 हजार रुपये की दर से सहायता दी गयी है और सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, ऐसे कुल परिवार 21,722 हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है इसमें 4,421 ऐसे हैं जिन्हें रोजगार की जरूरत नहीं थी अर्थात वह कोई कार्य पहले से कर रहे हैं उनकी संख्या 5,900 हैं और 2,937 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह सहायता लेने से इन्कार कर दिया है। 2,798 प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से आये हुए हैं उन्हें वहां से वापिस कर दिया है, 5,666 अवशेष हैं, जिन्हें पुनर्वासित करना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कितने परिवारों को आपने 25,000 रुपये पुनर्वासित योजना के तहत सहायता दिया है और इसको देने की शर्तें क्या हैं ? आपने बच्चों को दूसरे राज्यों को भेज दिया लेकिन आपके फैक्ट्री मालिक व इन्सपेक्टर की मिलीभगत से वह उसको घर भगा देते हैं और इन्सपेक्टर पैसा लेकर वापिस चला जाता है इस तरह से वह फिर दूसरे दिन श्रमिक कार्य में लग जाता है तो यह बताये कि कितने परिवार हैं और क्या शर्तें हैं ?

(उत्तर नहीं आया)

श्रीमती लुईस खुर्शीद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं आपने कहा कि जांच करायेंगे इस मामले में मैं किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाना चाहती हूं लेकिन कुछ शक है जिन्होंने इतने कागज तैयार कर आपको दिये वह और कागज तैयार कर सकते हैं। एक सुझाव है कि आप एक कमेटी हाउस की तैयार करिये जिसमें हम लोग निःशुल्क सेवा करने को तैयार हैं। हम जांच कर सदन के सामने रिपोर्ट देंगे तो क्या यह व्यवस्था करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, पहले से व्यवस्था है। जिलास्तर पर बाल श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए एक समिति गठित होती है वह इसका पर्यवेक्षण करती है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी और माननीय सदस्य कहेंगे तो उसे देख लेंगे।

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, बच्चों से सबसे ज्यादा श्रम लिया जाता है अभी माननीय मंत्री जी ने आंकड़ा दे दिया फिरोजाबाद में 70 विद्यालय चल रहे हैं और 6500 की क्षमता है, 6300 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यह फर्जी आकड़े हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से फिरोजाबाद में जांच करवाने की मांग करता हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार के आकड़ों के अनुसार यह हो सकता है कि फिरोजाबाद में आज की तारीख में कोई भी बाल श्रमिक काम नहीं कर रहा हों, लेकिन यह सच नहीं है। आज भी तमाम चूड़ी कारखानों में चूड़ी पकाई भट्ठियां में बाल श्रमिक भारी तादाद में काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिये और उनके परिवारों को सहायता देने के लिये माननीय मंत्री जी के पास कौन सी कार्य योजना है, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने वह पहले ही बतला दिया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार क्या-क्या होना है, वह बतला दिया है.।

प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की नीति

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा द्रिये जाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने से संबंधित कार्यक्रम पहले से ही संचालित हैं ।

वय वर्ग 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना राज्य सरकार की बचनबद्धता है । इस निमित्त विभिन्न योजनाओं तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–11 एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–111 के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में छात्रों की पहुंच के भीतर नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाती है । शिक्षण कार्य हेतु छात्रों से फीस नहीं ली जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से वय वर्ग 6–14 वर्ष के सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किए जाने की योजना है तथा इन बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है ।

सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाये जाने के उद्देश्य से उन्हें चिन्हांकित करने एवं स्कूल में दाखिला कराये जाने हेतु स्कूल चलो अभियान गत दो वर्षों से जुलाई माह में कराया गया है । सम्प्रति सर्वशिक्षा अभियान भी प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को वर्ष 2010 तक कक्षा–8 स्तर तक शिक्षित किया जाना संकल्पित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–2 के संबंध में माननीय मंत्री जी ने व्यक्तिगत कारणों से अनुरोध किया था कि इसे स्थगित कर दें, इसलिये इसे स्थगित कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के लिये था और मेरे पास जो उत्तर आया है, वह नसीमुद्दीन सिद्दीकी, परिवहन और आबकारी मंत्री जी के हस्ताक्षर से आया है, मैं इस विसंगति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके लिये यह प्रश्न था, उत्तर उनकी तरफ से आना चाहिये था ।

नोट–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-5-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

दिनांक 20 मई, 2002 की कार्यसूची के नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप 20 तारीख की कार्यवाही को देख लें, 2 नं० अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था, आगजनी की घटनाओं के संबंध में । उस दिन माननीय मंत्री जी किसी भी प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये । पूरा सदन यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी सही उत्तर दें । सही उत्तर न आने पर सदन में हो-हंगामा शुरू हुआ, तब आपकी तरफ से व्यवस्था हुयी कि आप लोग लिखकर दें, चर्चा करा दूंगा । तब माननीय नेता विपक्ष, उप नेता तथा अन्य सदस्यों ने लिखकर दिया । आज हम लोगों के पास यह जवाब आया है, कि इसे माननीय अध्यक्ष के विचारोपरान्त चर्चा कराने से निरस्त किया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो व्यवस्था है, वह दो तरफा है । एक प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं आया, उस पर कल चर्चा हो गयीं और दूसरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया, उस पर चर्चा के लिये लिखकर देने के निर्देश हुये, उसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई कि उसे निरस्त कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिये, फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने स्पष्ट कहा था । यह प्रदेश के आगजनी पीड़ितों का अहम मसला है, इस पर चर्चा कराने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले कार्यवाही देख लूंगा, तब ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर हमारी प्रार्थना अस्वीकार हो जानी थी तो लिखकर क्यों देते ? आपके कहने का कोई अर्थ तो था । आपने कहा था कि सुसंगत नियमों में लिखकर दें, लिखित अनुरोध से आशय यही था, उसमें सभी शर्तें पूरी थीं और अस्वीकार होने की कोई स्थिति नहीं थी । हम आपके निर्णय पर वैसे कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी अनुरोध कर सकते हैं कि परोक्ष रूप से आपने निर्देश दिया था, सीधे चर्चा कराने की बात नहीं कही थी । आपका आशय समझने वाले समझ पाते हैं, लेकिन अर्थ तो वही है जो दूसरे लोग समझें । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश के बहुत से लोगों से जुड़ा यह प्रश्न है, जो लोग अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, उनके बदन पर केवल आधा कपड़ा ही बचा है । न उनके पास साइकिल बचती है और न एक पाव

अनाज बचता है, आग लगने पर । अगर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी आपकी कृपा नहीं होगी तब कब होगी ? मान्यवर, इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लेता हूं । सामान्यतः जब माननीय सदस्यों से यह कहा जाता है कि वह लिखकर दे दें–तो इसका आशय यही होता है कि चर्चा स्वीकार हो जायेगी लेकिन उस दिन मैंने यह नहीं कहा था कि हम यह स्वीकार कर लेंगे । यह अस्वीकृत इस लिए की गयी है क्योंकि अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और इसमें लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिल जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और चुनाव जीतने में जनता की जो असीम आकांक्षाऐं होती हैं, उन्हें पूरा करते होंगे, तभी आपको जनता चुनकर यहां भेजती है । आज दिल्ली के विधायक को 2 करोड़ रुपये मिलता है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास सूचना आयी है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 मई, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं :–

पहली सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है–अनुपस्थित हैं । दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है–पढ़ी मान लेते हैं । तीसरी सूचना श्री अवधेश कुमार वर्मा की है –अनुपस्थित हैं । चौथी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है–पढ़ी मान लेते हैं । पांचवीं सूचना डा० विनोद तिवारी की है–अनुपस्थित हैं । छठवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है–अनुपस्थित हैं और सातवीं सूचना श्री मिथलेश कुमार की है–पढ़ी मान लेते हैं । चूंकि चार माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची की दोनों सूचनाऐं ले लेते हैं । इसमें पहली सूचना श्री मदन भैया की है–पढ़ी मान लेते हैं और दूसरी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की है–अनुपस्थित हैं ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री वसीम अहमद, श्री अनिल सिंह, श्री दिनेश सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री उदय राज और श्री ओम प्रकाश (सीतापुर)

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जिला सहकारी बैंक लि० बलिया की प्रबन्ध समिति को धारा–35 क के अन्तर्गत भंग करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बलिया जनपद के जिला सहकारी बैंक लि० बलिया की तरफ दिलाना चाहता हूं, सहकारी समिति कैथवली बकायेदार की परिधि में नहीं है, क्योंकि उस समिति की वसूली धारा–35क उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत 30 प्रतिशत से अधिक है ।

परन्तु सचिव, महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि०, बलिया द्वारा श्री सुदामा सिंह सदस्य प्रबंध समिति को सूचना दी गयी है कि पिछले दो कोआपरेटिव वर्षों में जिला सहकारी बैंक लि० बलिया के देय रकम की वसूली कोआपरेटिव वर्ष के अन्त तक नहीं की जा सकी है । इस विषम परिस्थिति में धारा–35क के अनुसार अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के अन्य सभी सदस्यों को अपना पद रिक्त कर देना है, सचिव महाप्रबंधक बलिया द्वारा दी गयी 35क की सूचना के आधार पर उ० प्र० सरकार द्वारा बनाये गये उ० प्र० सहकारी अधिनियम 1965 की धारा–35क जिसमें (कतिपय समितियों की प्रबंध कमेटी व उनके सभापति का कतिपय बकाया की हालत में पद रिक्त करने की व्यवस्था है) उक्त कानून का अनुपालन करते हुए सचिव महाप्रबन्धक बलिया द्वारा दी गयी गलत सूचना के आधार पर बलिया जनपद के प्रबंध समिति के सदस्य श्री सुदामा सिंह ने नैतिकता के आधार पर उ० प्र० सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुपालन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है । उपरोक्त को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्ट रूप से जिला सहकारी बैंक लि० बलिया धारा–35क की परिधि में आ चुकी है । प्रमाण थे रूप में श्री सुदामा सिंह सदस्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा दिया गया अपना इस्तीफा है, जब एक सदस्य धारा–35 क के अन्तर्गत इस्तीफा दे चुका है तो जिला सहकारी बैंक लि० बलिया के प्रबंध समिति को भी तत्काल धारा–35क के अन्तर्गत भंग करना आवश्यक हो गया है ।. यह अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का महत्वपूर्ण विषय बन गया है ।

अतः अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।]

बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

[महोदय, बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने गेहूं खरीद केन्द्र खोला गया है पिछले वर्ष में जितने क्रय केन्द्र खोला गया था उससे भी कहीं कम क्रय केन्द्र इस वर्ष खोला गया है । क्रय केन्द्रों पर बोरी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है बिचौलियों द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलाकर गेहूं की तस्करी की जा रही है । इससे कृषक परेशान है और आन्दोलित हैं ।

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सभी साधन सहकारी समितियों पर गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने एवं बिचौलियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर की पुवांया तहसील में आवश्यकतानुरूप विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मिथिलेश कुमार–

[मान्यवर, शाहजहांपुर की तहसील पुवायां प्रदेश की सर्वाधिक गेहूं व धान उत्पादन करने वाली तहसील रही है। आज भी वहां इन दोनों फसलों का रिकार्ड उत्पादन होता है, परन्तु सुविधाओं के बंटवारे में इस तहसील को प्राथमिकता नहीं दी जाती । विद्युत सप्लाई जो आज के समय में जनजीवन के लिये महती आवश्यकता है। कृषि, उद्योग बिना विद्युत सप्लाई के चल ही नहीं सकते।

पुवायां तहसील में पिछले 3 माह से विद्युत सप्लाई मात्र 2-3 घण्टे ही हो पा रही है। आम आदमी विद्युत सप्लाई के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहा है . उद्योग धन्धे कृषि उत्पादन तथा सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि 24 घण्टे में से कम से कम 20 घण्टे विद्युत सप्लाई डबल ग्रुप में दी जावे ताकि प्रदेश की ख्याति प्राप्त तहसील का उत्पादन व जनजीवन प्रभावित होने से बचे।]

'जनपद बागपत के खेकड़ा कस्बे में विद्युत आपूर्ति लाइट एच बी–2 (कटौती मुक्त) श्रेणी में कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भैया–

[महोदय, मैं अपने क्षेत्र खेकड़ा जनपद बागपत की एक अविलम्बनीय गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करना चाहता हूं।

मान्यवर, खेकड़ा कस्बा की आबादी एक लाख है तथा यह कस्बा हथकरघा उद्योग एवं कृषि यंत्रों का प्रमुख उद्योग केन्द्र हैं। यहां का बना हैण्डलूम विदेशों तक निर्यात होता है जिससे देश का प्रतिवर्ष 400 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है परन्तु खेद हैं कि विद्युत आपूर्ति के अभाव में यहां के उद्योग बंद होने की कगार पर हैं जिससे राष्ट्रीय आय व व्यवसायियों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण जनता बेरोजगार होकर आक्रोशित हो रही है व धरने पर बैठी है। मान्यवर, कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाये इसलिये जनता के आक्रोश व उद्योग को ध्यान में रखते हुये कस्बा खेकड़ा को तत्काल लाईट एचबी०–2(कटौती मुक्त) श्रेणी में कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

विधान भवन परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मा० सदस्यों को होने वाली असुविधाओं तथा रेलवे व हवाई कूपन में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 मई, 2002 को नियम–300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह की है। यह सूचना विधान भवन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मा० सदस्यों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में है दूसरी सूचना जो श्री प्रमोद कुमार की है, वह भी इसी से सम्बन्धित है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या पर नियम–51 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की सम्भावित समस्या पर नियम–51 के तहत् एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस समय नियम–300 की सूचनाएं ले रहा हूं। नियम–51 की सूचना नहीं ले रहा हूँ। यह सूचना निरस्त की जाती है।

विधान भवन परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मा० सदस्यों को होने वाली असुविधाओं तथा रेलवे व हवाई कूपन में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विधान भवन परिसर में प्रवेश के समय मा० सदस्यों को होने वाली असुविधाओं की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, विधान सभा का गठन होता है अनुच्छेद–168 के अनुसार फिर 174 के अन्दर विधान मण्डल सत्र को आहूत किया जाता है। मान्यवर, इस बार जब 174 के अन्तर्गत हम विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे ती पहली बार लगा कि विधान सभा में सम्मानजनक ढंग से किसी विधायक के प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध हो गया है। यहाँ हम अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ प्रवेश के लिए जो गेट हैं उनमें ताला बन्द हैं। एक या दो गेट है जिनके द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। जो विधायक कार से आना चाहते हैं उनके लिए ऐसे प्रतिबन्ध हैं कि कार आये, उनको छोड़कर चली जाय और उसके बाद जाते समय विधायक अपनी कार को ढूढे या गाड़ी आने की प्रतीक्षा करें। यहाँ कितने ही पुलिस, अधिकारी और कर्मचारी विचरण कर रहे हैं लेकिन हमें मान्यवर, एक भी अंग रक्षक अन्दर अपने साथ लाने की अनुमति नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस सदन को सबसे ज्यादा खतरा माननीय विधायकों से या उनके अंगरक्षकों से है। मान्यवर, अगर माननीय विधायक के साथ एक अंगरक्षक भी आ सकता है तो मान्यवर, वह उचित होता और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित होता अभी हमारे एक सम्मानीय विधायक की नृशंस हत्या विधान सभा गठन से पहले ही कर दी गई थी। मान्यवर, साधारण से अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठकर सीधे प्रवेश कर जाते हैं वहीं विधायकों को ऐसा करने से रोका जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि अब सचिवलाय प्रशासन इसको गम्भीरता से ले ताकि विधायक गण अपने पार्टी कार्यालय से विधान सभा मण्डप तक सम्मानपूर्वक पहुंच सकें। मान्यवर, उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जाता है, उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा पहुंचाई जाती है। यह व्यवस्था पिछले 22 सालों में पहली बार हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विधान सभा सचिवलाय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में प्रवेश के लिए जो अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाये गए हैं वह समाप्त किए जायें और पहले की जो व्यवस्था की वह लागू की जाए । उचित तो तब होगा मान्यवर, आज आप यह निर्देश दे दें कि पहले अधिकारियों की गाड़ियों को बाहर खड़ा करा दिया जाय और जब विधायक की गाड़ी अन्दर प्रवेश कर जाय उसके बाद अधिकारी की गाड़ी आने दी जाय । मान्यवर, अभी कश्मीर में कल ही की घटना है लोन साहब की हत्या हुई है, इसलिए मान्यवर, मैं चाहूँगा कि विधायकों के साथ अंगरक्षक को भी आने की अनुमति दी जाय ।

मान्यवर, दूसरी बात मा० सदस्यों को मिलने वाले रेलवे तथा हवाई यात्रा कूपन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में है । मान्यवर, यह हुआ था कि जो विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं विशेष रूप से जैसे रेलयात्रा कूपन की बात है, जैसे-जैसे रेल यात्रा की दरें बढ़ती चली जाएंगी उसी अनुपात में कूपन की भी बढ़ोत्तरी की जाएगी । मान्यवर, रेल यात्रा का किराया तब से दो बार बढ़ चुका है लेकिन अभी जो इससे सम्बन्धित अधिकारी हैं वह सूचना माँग कर रहे हैं कि हमें बतायें कि किराया बढ़ा हुआ है कि नहीं । मान्यवर, दो बार किराया बढ़ने के बावजूद अभी हमें बढ़े हुये किराये का कूपन नहीं मिल रहा है । जबकि हम बढ़े हुये दर से किराया दे रहे हैं । हमको बढ़ी हुई राशि अभी तक नहीं दी गयी । इसमें हम दो चीज चाहते हैं । पहला विलम्ब क्यों हुआ और किसके स्तर से हुआ दूसरे जो अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं, उसको हल्के ढंग से प्रताड़ित कर दें जिससे भविष्य में जब भी वृद्धि हो तो ऐसी नौबत न आये । यह वृद्धि एक ही दिन में नहीं हो जाती है बकायदा समाचार-पत्रों में आता है कि 15 अप्रैल से लागू होगा या दो अक्टूबर से लागू होगा । बढ़ा हुआ दर लागू हो गया उसकी जानकारी रेलवे स्टेशन से या विधान भवन में जो आरक्षण कार्यालय है वहाँ से पता लगा लेना क्या पर्याप्त नहीं है ? माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से किराया बढ़ा है उसी तरह से बढ़ा हुआ रेलवे कूपन और सुविधायें मुहैया करायी जायँ और इसमें दोषी अधिकारी को दण्डित किया जाय । मान्यवर, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है कि [x x x] आज ही विधान भवन में प्रवेश व्यवस्था को बदला जाना चाहिए । विधायकों को सम्मानपूर्वक सदन में अपने दायित्व के निर्वहन के लिए आवागमन की पूरी छूट होनी चाहिए और उनके अंगरक्षकों को उनके पार्टी कार्यालय तक जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि अगर किसी माननीय सदस्य के साथ कोई घटना घटी है तो उसको रखने की अनुमति दी जाती रही है । मान्यवर, कल मैं बिहार विधान परिषद् के मुख्य सचेतक की गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी । मेरी गाड़ी पीछे आ रही थी उसमें सचिवालय में आने का पास लगा था परन्तु मेरी गाड़ी को रोक दिया गया । ...

श्री अध्यक्ष–

पाल जी, गाड़ी बदलने में कठिनाई होती है ।

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपके द्वारा निर्गत किये गये पास का अनादर किस प्रकार से हो रहा है। मान्यवर, अगर आप किसी दूसरी गाड़ी से आ जायं उसके बाद आपकी गाड़ी को अन्दर न आने को मिले। मान्यवर, यह सेक्रेटरियेट नहीं है, जनपथ सेक्रेटेरियेट हो सकता है लेकिन यह उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय है और सम्मानित सदस्यों का है। पार्लियामेण्ट में इतनी बड़ी घटना हुई उसके बावजूद माननीय सदस्यों के लिए हर दरवाजे खुले हुये हैं। अगर मान लिया जाये कि किसी का कार्यालय 8 नम्बर गेट के नजदीक है तो वह दो नम्बर गेट से क्यों आयेगा ? जो व्यवस्था है उसमें कोई माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार नहीं आ सकता। मान्यवर, आप हमारे मुखिया हैं जिनका विधान सभा मण्डप है उनको अपने गेटों पर प्रवेश न मिले लेकिन दूसरे लोग आ सकते हैं। यहाँ पर लखनऊ के हर थाने का सिपाही खड़ा है लेकिन सरकार ने जो विधायकों को अंगरक्षक दे रखा है वह इस विधान भवन में नहीं आ सकता।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी ने माननीय विधायकों के प्रवेश के बारे में और सुविधाओं के बारे में इंगित किया है। यह वास्तव में सम्मानित सदस्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रकरण है। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो इसके प्रति खेद प्रकट करता हूँ और सम्मानित सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सम्मान और इज्जत में कहीं कोई इस तरह की बात आये तो हम सब मिलजुलकर दूर करेंगे। अगर इस गरिमामय सदन के सदस्यों को किसी तरह से ठेस पहुंची है तो निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ और पुनः दुःख व्यक्त कर रहा हूँ। जिस तरह से माननीय प्रमोद जी ने कहा है निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों के सम्मान से जुड़े प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये सुविधापूर्ण ढंग से व्यवस्था बनायी जायगी। साथ ही साथ माननीय प्रमोद जी ने जो कूपन की बात कही तो इसमें कहीं विलम्ब हो सकता है लेकिन इस पर आनुपातिक ढंग से बढ़ाने के बारे मे मैंने रेलवे बोर्ड से कल सूचना मंगवायी है। 2-3 दिन में नोटीफिकेशन हो जायगा और कूपन की व्यवस्था करा दी जायगी, रेलवे बोर्ड की सूचना आ गयी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा एक आग्रह है माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपनी बात कही। मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि विधायकों के प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल की जाय इसका मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ। मेरे साथ ऐसी घटना घटित नहीं हुयी लेकिन बहुत से माननीय सदस्य नये आये हैं उनके साथ हो सकती है। कई दायित्व हमारे हैं, कभी-कभी हमारे क्षेत्र के लोग उत्सुकतावश कार्यवाही देखना चाहते हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी व्यवस्था विधायकों के साथ लागू थी उसको बहाल किया जाय। [x x x]

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बात समाप्त हो गयी। साइकिल के पहिये की तरह से बात को न घुमायें।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यद्यपि माननीय श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा दी गयी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन फिर भी जो बिन्दु उन्होंने उठाये वह महत्वपूर्ण हैं। दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 को सांसद पर हुये हमले की पृष्ठभूमि में मेरी अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी बैठक 2 बार की गयी थी और उन बैठकों में अनेक गोपनीय सूचनाओं का भी उल्लेख किया गया था। उन सूचनाओं के आधार पर जितनी हमारे पास जगह है उस सबको देखते हुये विधान सभा परिसर में किस प्रकार लोग आयें, किधर से न आयें, किधर से अधिकारी जायं और किधर से विधायक जायं ताकि गाड़ियों के लिये जगह हो जाय और जगह संकरी न हो जाय, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुये निर्णय लिये गये थे। मेरे संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि माननीय विधायकों के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जिस दल से विधायक संबंधित हैं, उनको उस दल के विधान मंडल दल के कार्यालय तक आने की सुविधा दी जाय उस पर विचार करके निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, न केवल सदन की बैठकों में आने के लिये बल्कि वैसे भी उनके आने में कोई दिक्कत न हो इसको सुनिश्चित किया जायगा। थोड़ी बहुत असुविधा सुरक्षा की दृष्टि से हो सकती है, सुरक्षा सर्वोपरि है, कहीं कोई चूक न हो इसको ध्यान में रखते हुये माननीय सदस्य अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें और सुरक्षा के व्यापक हितों को देखते हुये इसमें सहयोग करें। वैसे जो सुझाव आये हैं मैं फिर बैठक बुला लूँगा और आवश्यक निर्देश देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक रेलवे कूपन की बात जो संज्ञान में लायी गयी उस पर संसदीय कार्य-मंत्री जी ने स्पष्ट किया, इस संबंध में राजाज्ञा जारी हो जायगी। इसी उल्लेख के साथ मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य-मंत्री व सभी दलों के नेताओं के साथ आज ही बैठक बुला लें जिससे इस संदर्भ में कोई वार्ता हो सके।

श्री अध्यक्ष–

देख लेते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदन को पाँच मिनट स्थगित कर दें और चलकर विधान सभा सचिवालय का एक चक्कर लगा लें। विधायकों की गाड़ी यहाँ, नहीं मिलेगी लेकिन अधिकारियों की गाड़ी मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संज्ञान ले लिया है। दोहराने से कोई लाभ नहीं।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर आप ही यहाँ बैठकर विधायकों के सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि विचार कर रहे हैं। इस संबंध में तीसरी बार बैठक बुला लेते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

आज ही बैठक बुला लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी ही सुविधा नहीं हमें और लोगों की सुविधा भी देखनी पड़ेगी । इसको देख लेते हैं ।

13वीं विधान सभा के सदस्यों की बकाया विधायक निधि 14वीं विधान सभा के सदस्यों को अनुमुक्त किये जाने तथा विधायक निधि की धनराशि रुपये दो करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह व अशोक बाजपेयी की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, 13वीं विधान सभा में व्यवस्था हुई थी प्रस्ताव पास हुआ था उसके अनुसार अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि की घोषणा हुई थी जिससे क्षेत्र का विकास हो । 73वें संशोधन के बाद विधायक को कोई भी धन कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता था ज्यादातर धन जिला पंचायत, ब्लाक व ग्राम सभाओं में चला जाता है । इसीलिए 13वीं विधान सभा ने इस बात की व्यवस्था की थी कि विधायक निधि के द्वारा विधायक अपने क्षेत्र का विकास कर सकें । लेकिन 13वीं विधान सभा में पांच साल पूरे होने पर कतिपय विधायकों ने जो विरोध पक्ष के थे करीब करीब सभी विरोधी दलों के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था । लेकिन शासन ने एक शासनादेश जारी करके यह आदेश कर दिया कि जो विधायक निधि अभी खर्च नहीं हुई है उस पर प्रतिबन्ध लगा दें । मैं यह कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से बजट में प्राविधान करके यह पैसा निर्गत किया गया था इस पैसे को रोकने का कोई औचित्य सरकार का नहीं था । वह प्रस्ताव चले गए थे, डी०आर०डी०ए० में लम्बित थे लेकिन उसके बावजूद यह कार्य अन्यायपूर्ण किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि बजट में उस पैसे का प्राविधान हो जाने व पैसे के निर्गत होने के बाद व हर जिले में पैसा पहुंच भी गया था इस तरह से उसको रोक कर शासन ने दोहरी नीति का परिचय दिया । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शासन की तरफ से उस पैसे पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था उसको हटाया जाए व तत्काल वह पैसा मुहैया कराया जाए ।

एक बात और कहना चाहता हूं यह देखा गया है कि विधायक जो प्रस्ताव देते हैं डी०आर०डी०ए० में वह तीन, चार छह महीने तक लम्बित रहता है उसका कारण यह है कि जो एजेन्सी चयनित करते हैं जिले में सी०डी०ओ० वह अपने मन से चयनित करते हैं । उससे होता यह है कि एक तो गुणवत्ता नहीं रह जाती है व विधायक की सीधी जिम्मेदारी उस पर नहीं बन पाती है । काम अच्छा हो रहा है या खराब उस पर विधायक का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जब इस पर आप अपना वक्तव्य दें उसके बाद एक शासनादेश यहां से जारी करने की कृपा करें कि जो भी एजेन्सियां तय हैं, चिन्हित हैं, उन्हीं में से विधायक जो एजेन्सी तय करे उस एजेन्सी के द्वारा कार्य कराया जायेगा और एक महीने के अन्दर जितने भी प्रस्ताव हम देते हैं उनका परीक्षण करने के बाद उस पर कार्य शुरू करा दिया जाय । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले विधान सभा में

तमाम विधायकों को लैपटाप दे दिये गये थे लेकिन बहुत से विधायक रह गये थे जिन्हें नहीं मिल पाये थे। इस समय और कुछ नये माननीय सदस्य भी चुनकर आये हैं इसलिये आपसे कृपापूर्वक आग्रह है कि आपकी तरफ से निर्देश हो जाय कि जितने विधायक पूर्व के और इस समय के जो नये चुनकर आये हैं जिन्हें लैपटाप नहीं मिला है उनको लैपटाप दे दिया जाय। इसके साथ ही मान्यवर, यह भी कहना चाहूंगा कि यह राशि जो 75 लाख है इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया जाय। मैं चाहूंगा कि यह 13वीं विधान सभा से जुड़ा प्रश्न है, इस पर सरकार की तरफ से समुचित जवाब आ जाय और इस पर कार्यवाही हो जाना चाहिए।

(श्री अशोक बाजपेयी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण जी ने पूरी बात कह दी है। सारी बात कह दी है, कुछ नया हो तो संक्षेप में कहें।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, संविधान संशोधन 73वें और 74वें के बाद माननीय विधायकों को क्षेत्रीय विकास के लिये कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं थी। स्थिति यह थी कि सारा पैसा जिला विकास के लिये डी०आर०डी०ए० और जिला पंचायत के द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिये मिलता था, जिससे निरन्तर कठिनाई आने लगी थी। विधायक एक छोटा सा कार्य जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने क्षेत्र में नहीं करा सकते थे। तेरहवीं विधान सभा में इस बारे में गम्भीरता से विचार किया गया और तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय विकास निधि के रूप में विधायक निधि स्वीकृत की जाय और इसकी व्यवस्था बजट में की गई और इस तरह से 75 लाख रुपये क्षेत्रीय विकास निधि के रूप में दिये गये। इसके अनुरूप माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य चिन्हित करके धनराशि आवंटित करने के लिये मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते रहे। इसी आधार पर 13वीं विधान सभा के पांचवें वर्ष में विपक्ष के कतिपय विधायकों ने तमाम सारे प्रस्ताव बनाकर भेजे। इन प्रस्तावों की स्वीकृति हो गई और धन भी आवंटित हो गया लेकिन सैद्धान्तिक आधार पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के पांच वर्ष का कार्य-काल पूरा होने पर सैद्धान्तिक रूप से विधान सभा से इस्तीफा दे दिया और 17 अक्टूबर के बाद शासन ने दुराग्रह के नाते दुर्भावना से ग्रसित होकर जो धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को विकास कार्य हेतु आवंटित की जा चुकी थी, को रोकने का काम किया है। इस तरह की नैतिकता, मर्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होती।

विधायकों ने नीतिगत आधार पर, सैद्धान्तिक आधार पर त्यागपत्र दिया था। हमारे विपक्ष में बैठने वाले साथी जो आज सामने सरकार में बैठे हैं उन्होंने भी इसी आधार पर त्याग पत्र दे दिया था। मान्यवर, उन सभी क्षेत्रीय विकास के कार्यों को रोक दिया गया जिनके लिये पैसा आवंटित हो चुका था। आज जनता के सामने विधायकों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है कि अमुक कार्य आपके द्वारा क्षेत्र में कराया जाना था और वह नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष–

संक्षिप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रस्ताव पास हुआ, धनराशि स्वीकृत होकर आवंटित हो गई, पत्थर लग गया कार्य प्रारम्भ हो गया लेकिन काम रोक दिया गया । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि जब विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता कहती है कि आपके आश्वासन सरकार की तरह कोरे हैं । पत्थर लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया लेकिन काम रुके पड़े हैं क्योंकि पैसा नहीं दिया गया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि 14वीं विधान सभा में जो माननीय सदस्य पुनःनिर्वाचित होकर आये हैं उनके क्षेत्रों की विकास निधि को पुनः जारी करने के शासमादेश जारी करने की आवश्यकता है । एक विसंगति और है, विधायक निधि में जिसकी ओर मैं कई बार ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं और फिर से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत है विद्यालयों की, शिक्षण केन्द्रों की और विधायकों के सामने यह समस्या आती है कि यदि वह विधायक निधि से नये विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए प्रस्ताव देते हैं जिलाधिकारी को, तो इस विद्यालय को मान्यता नहीं है इसलिए इस विद्यालय को धनराशि नहीं मिल सकती है । यह कह दिया जाता है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् का नियम है कि सुसंगत भवन होना चाहिए । 10 लाख का भवन बना हो तो मान्यता मिलती है । श्रीमन्, जहां गरीब जनता रहती है जहां विद्यालय नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं हैं तो भवन का निर्माण वहां विधायक निधि से करा सकें ऐसा होना चाहिए । चाहे हमसे इसके लिए अभिलेख-पत्र प्राप्त कर लिए जायं, चाहे संकल्प पत्र प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन जहां विद्यालय नहीं हैं वहां विधायक निधि से पहले धनराशि स्वीकृत होनी चाहिए ...

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मान्यता प्राप्त इकाई को स्वतंत्र रूप से 20 लाख रुपया दिया जाता है लेकिन माननीय विधायक अपने क्षेत्र में विद्यालय नहीं खुलवा सकते हैं, विधायक निधि से विद्यालय खोलने के लिए पैसा मिल जाए आप ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में विद्यालय खुलवा सकें ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री अशोक बाजपेयी–

एक बात मैं और कहना चाहता हूं विधायक निधि की जो 75 लाख की धनराशि है यह कम है सब चीजों के मूल्य बढ़े हैं तमाम सारी चीजों के मूल्य बढ़े जिससे 75 लाख में संभव नहीं हो पाता है मैं अनुरोध करूंगा कि 14वीं विधान सभा के सदस्यों की विधायक निधि की जो धनराशि है उसको बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कृपापूर्वक अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में सूचना दी थी उसको नियम–300 में ले लिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपकी इस अनुकम्पा के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सदन इस बात का साक्षी रहा है कि पिछले 20 वर्षों में इस सदन के सम्मानित सदस्यों के लिए, विकास की समस्या जहां होती है, विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से पैसा दिया, इस सदन ने एन०आर०पी० के माध्यम से धन का आवंटन किया जिससे विधायकों ने विकास के काम कराए। आई०आर०डी०पी०के माध्यम से इसी सदन द्वारा विधायकों को धनराशि दी गई और उन्होंने अपने क्षेत्र में उससे काम कराया। श्रीमन्, आज एक-एक योजना बन्द हो रही है। एन०आर०पी०, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आई०आर०डी०पी० में पैसा नहीं है। यह हिन्दुस्तान में पहला मौका है जब विधायक तीन-चार किलोमीटर सड़कों का लेपन आदि का कार्य करा लेते थे। अब सारी योजनायें समाप्त हो जाने से वह नहीं करा पा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री सदन में नहीं हैं वह पहले दिन सदन में दिखीं थीं फिर विश्वास मत पर आई थी, वह सदन में नहीं आ रही हैं।

(व्यवधान)

जिला योजना को समाप्त कर दिया गया और प्रधान मंत्री सड़क योजना कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं बस्ती मण्डल में आर०ई०एस० को दे दिया वहां पिछले दो साल से प्राक्कलन ही स्वीकृत नहीं हुआ है। पी० डब्लू० डी० में प्रस्ताव देने के लिए कोई नहीं है पहले स्टेट एस०एन०डी० से कार्य करा लेते थे आज विधायक कोई काम नहीं करा सकते हैं। आज विधायक किसी अन्य योजना से नहीं करा सकता है। विधायक किसी क्षेत्र में पहुंचता है, विद्यालय में गया तो वहां के प्रधानाचार्य या अध्यापक कहते हैं कि एक कक्ष बना दीजिये, गांव में पहुंच जाय तो वहां के लोग कहते हैं कि गांवों में विद्युतीकरण करा दीजिये, इसी तरह से सड़कों के लिए आवश्यकता होती है तो 75 लाख रुपये इसलिए कम पड़ते हैं। चार सौ गांव हैं, कहीं 6 सौ तो कहीं आठ सौ, अगर चार सौ भी मान लिया जाय तो एक साल पहले दो लाख में एक किलोमीटर खड़न्जा निर्माण में लागत आती थी और आज वह पांच लाख की लागत आ रही है। अगर चार सौ गांव में निर्माण कराना चाहते हैं तो 15 किलोमीटर ही बनवा सकता है।

आज उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र की जनसंख्या, आबादी का क्षेत्रफल दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार से कई गुना ज्यादा है। यहां की एसेम्बली सब जगह से बड़ी है। वहां की मतदाता संख्या आधी है, उनका क्षेत्रफल कम है, ऐरिया कम है लेकिन जो धनराशि मिलती है वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जो आर्थिक रूप से दिवालिया हैं, दिल्ली में एक करोड़ रुपया पिछले दो सालों से दे रहे हैं और यहां पर 75 लाख रुपया ही मिल रहा है। यह उत्तर प्रदेश राज्य

द्वारा ही निर्णय स्थापित किया गया था और उसका अनुसरण दूसरे अन्य राज्यों ने किया था, इसके लिए जनता आपकी आभारी है, लेकिन आज दिल्ली राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कहीं दो करोड़ कहीं एक करोड़, कहीं ढाई करोड़ दिया जा रहा है। आज सड़क निर्माण की आवश्यकता है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। आप इस व्यावहारिक पक्ष को जानते हैं कि विधायक निधि से कितने बड़े कार्य किये जा रहे हैं अस्पताल, विद्यालय इत्यादि बनाये जाते हैं तो मेरा अनुरोध है कि इस विधायक निधि को दो करोड़ किये जाने के निर्देश देने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे बोलने .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आपके साथी ने विस्तार से सारी बातें रख दी हैं। सारी बातें आ गयी हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, थोड़ा समय मुझे भी बरबाद कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब और कितना समय बरबाद करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, थोड़ा समय और बरबाद करने दें। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस बिन्दु पर बड़ी ही विनम्रतापूर्वक अपने विचार रखते हुए अपनी बात रखूंगा। मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जब विधायक निधि का गठन हुआ था तो उस समय मानक क्या था ? उस समय निर्माण सामग्री की दर क्या थी, आज की क्या है ? उस समय मजदूरी क्या थी ? आज क्या है अगर इसका अनुपात निकालें तो एक बात स्पष्ट हो जायेगी कि बढ़ी हुई दरों के कारण विधायक निधि अपर्याप्त है, असुविधाजनक है और यह अपमानजनक है। मान्यवर, पहले एन० आर० ई० पी० से, जवाहर रोजगार योजना से माननीय विधायकों द्वारा धन आवंटित किया जाता था लेकिन आज वह ग्राम्य पंचायतों और जिला पंचायतों को चला गया है। मान्यवर, सुनिश्चित रोजगार योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें हमारी संस्तुति पर निर्माण कार्य होता था, आज मान्यवर वह चला गया है या तो विकास खण्डों को या जिला पंचायतों को मान्यवर इसी प्रकार से आप देखें कि निर्माण और विकास से जुड़ी हुई जितनी इकाईयां हैं उनमें कहीं न कहीं से जहां विधायकों की संस्तुतियां हुआ करती थीं, वह अधिकार

विधायकों से छीन लिये गये हैं । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उ० प्र० सरकार के पास सिंचाई विभाग में नहरों की सफाई के लिये पैसा नहीं है, नालों की खुदाई के लिये पैसा नहीं है, सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा नहीं है । विद्युतीकरण के लिये पैसा नहीं है । जब भी किसी इकाई या विभाग से बात करते हैं तो कहा जाता है कि विधायक जी से कहिये कि विधायक निधि से दे दें आखिर विधायक क्या-क्या दें ? कहीं न कहीं तो कोई अनुपात देना पड़ेगा । दिल्ली में 5-6 विधायक मिलकर प्रदेश के एक विधायक के बराबर के निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं वहां 2-2 करोड़ रु० है, यहां 75 लाख रु० दिया जाता है । मान्यवर, यह हम खैरात में नहीं मांग रहे हैं । मान्यवर, विधायक निधि में उतना धन आवंटित हो जाये कि यह सम्मानित विधायक अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार कर सकें, क्षेत्र के विकास में भागीदारी कर सकें । अतः इस राशि को अविलम्ब बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ रु० आज कर देना चाहिये ताकि हम भविष्य के काम कर सकें ।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह तो लोकतंत्र है यहां कहा जाता है कि कानून हम बैठकर बनाते हैं आप वहां बैठकर हमारी जो इच्छायें हैं उनको संरक्षण देते हैं । मान्यवर, एक मैं प्रस्ताव ले आता हूं एक प्रस्ताव यहां पर रख दिया जाय, चाहे मेरी ओर से आ जाय, या माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से या किसी सदस्य की ओर से कि जो विधायक निधि मिलती है इसकी मांग हम करते हैं कि इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रु० कर दिया जाय । आप उस पर बहुमत देख लें । अगर बहुमत नहीं मिलता है तो इसे समाप्त कर दीजिये । अब टण्डन जी को तो जरूरत नहीं है । आप हाथ उठाकर देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं ठीक है । न तो कोई इस प्रकार का प्रस्ताव है, न प्रक्रिया है, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब भी कोई मुख्य मंत्री आता है वह इस राशि को बढ़ाता है । मैं आग्रह करना चाहता हूं नयी मुख्य मंत्री जी मायावती जी हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया है वे छोटे कामों में विश्वास नहीं करती हैं बड़े कामों में विश्वास करती हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारी बात वहां पहुंचा दीजिये या आप अपने कक्ष में बुलाकर सम्मानित विधायकों की भावना से अवगत करा दें । एक अच्छा काम वे कर दें । इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रु० कर दें । मान्यवर, आप बंधन में हैं लेकिन अगर आला लगाकर देखें तो आपके मन से भी यही आवाज आयेगी ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह ने नियम–300 के तहत कुछ सदस्यों से जुड़े हुये सवालों को उठाया है । मान्यवर, जो तेरहवीं विधान सभा थी इससे पहले थी । तेरहवीं विधान सभा में जो माननीय सदस्य निर्वाचित हुए थे, बीच में एक व्यवधान पैदा हुआ विधायक निधि के बारे में, कुछ माननीय सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया था । जो समस्याएं उस संदर्भ में हैं मैंने मान्यवर, ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया और ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव को भी बुलाया कि किन्हीं

परिस्थितियों में उस वित्तीय वर्ष में वह अपने धन का, विधायक निधि का, उपयोग न कर पाया हो या किन्हीं कारणों से रोक दिया गया हो, तो इसमें पूरी व्यवस्था है कि जो विधायक निधि माननीय विधायकों की है, उस धन का प्रस्ताव विधायक निधि में नहीं दें लेकिन बीच में माननीय सदस्यों के प्रस्ताव को लेकर हमारे यहां यह व्यवस्था है कि ऐसे विधायकों के धन लैप्स नहीं करेंगे बल्कि उस धन का प्रयोग किया जायेगा । अब जो माननीय सदस्य विधान सभा में आये हैं उसके लिए नया प्रस्ताव मंगाया जायेगा । इसके साथ ही साथ जो सदस्य पुनः निर्वाचित हुए हैं वह भी उसका प्रस्ताव करेंगे, इस प्रकार का निर्देश ग्राम विकास विभाग से आया है । इसलिए वह अब नये प्रस्ताव दें । अब मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कुछ बातों की ओर इंगित किया, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं को चयनित करने का कार्य समिति को दे दिया जाये । मान्यवर, हर सदस्य चाहता है कि कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो और एक अच्छा मैसेज जाये और संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड थीं इस तरह के कहीं-कहीं व्यवधान आये, इसलिये मान्यवर, कुछ कार्यदायी विभागों के द्वारा इनको सूची बद्ध कर लिया गया था । चयनित एजेन्सियां अब मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी हैं ।

श्री राम करन आर्य–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भी कार्यदायी संस्था है वह ब्लैक लिस्टेड क्यों हुई ? और अगर उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, तो पूरी संस्था बेकार हो जायेगी । मैं चाहता हूं कि उसकी छानबीन कर लें, उसमें जो दोषी पाये जायें, उनको हटाकर उस संस्था को काम करने का मौका दिया जाये ।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य, राम करन जी, अगर कोई संस्था ब्लैक लिस्टेड हैं तो सब लोग जमकर विरोध करिये लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए । फिर रिव्यू कर लीजिए । इसलिए मैंने इंगित किया । कुछ कार्यदायी संस्थाएं और सहकारी संस्थाएं हैं जो पहले ब्लैक लिस्टेड हो गयी थीं, वह सूची में नहीं दी गयी थीं । ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के बारे में दृढ़ संकल्प होना चाहिए अगर ऐसी संस्थाएं हैं तो उनका रिव्यू नहीं करना चाहिए । नये विद्यालयों के मामले में बाजपेयी जी ने कहा, बुरा न मानियेगा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए एक निर्देश हुआ । पहले कार्यदायी संस्थाओं को कार्य करने के लिए गाइडलाइन थी बाद में इसी सदन से दो बातें उठीं, सीधे प्रबन्धक को पैसा देने की व्यवस्था की गयी कि प्रबन्धक खर्च करेंगे इसमें किसी एजेन्सी से काम नहीं कराया जायेगा । बाजपेयी जी ने व्यवहारिक रूप से कार्य को करने की, चिन्ति करने की, संस्थाओं को चलाने की, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं हैं अगर मान्यता प्राप्त हैं तो इक्जिस्ट करेंगे या भौतिक रूप से इक्जिस्ट करेंगे अगर मान्यता प्राप्त नहीं हैं तो कागज में भी इक्जिस्ट नहीं करेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैं चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग या सरकारी एजेन्सी को दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

पहले उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

इसमें मान्यवर, मैं चाहूंगा कि बाजपेयी जी सहयोग करें, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अगर दिया जायेगा तो कहीं न कहीं दुरुपयोग की आशंकाएं पैदा होगी । आप प्रबन्धक को दें हमारे माननीय सदस्य ऐसे विद्यालयों को चला भी रहे हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

कुछ ऐसे असेवित क्षेत्र हैं जहां विद्यालय नहीं है, विद्यालय बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा तो जब भवन बनेगा तभी तो मान्यता होगी । ऐसी स्थिति में भवन बनाने की अनुमति विधायक निधि से मिले, यह मैंने अनुरोध किया था ।

(श्री बीजू पटनायक के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री बीजू पटनायक–

मान्यवर, मैं नया जनप्रतिनिधि हूं, मुझे बोलने का मौका दें । मान्यवर, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और ग्राम प्रधान भी जनप्रतिनिधि हैं लेकिन ग्राम प्रधान को एक इन्दिरा आवास देने का अधिकार है लेकिन हम विधायकों को जो अत्यन्त गरीब हैं उनको इन्दिरा आवास देने का अधिकार नहीं है । इसमें एतराज किसको है, सीडीओ को हैं । सीडीओ दरबार लगाकर अपने गांव का चयन करता है और मनमाने ढंग से जिसको चाहता है आवास देता है । मैं गाजीपुर का उदाहरण दे रहा हूं । मैं डीआरडीए का मेम्बर हूं । मान्यवर, हैण्डपम्प खराब हैं आज जो गरीब हैं, मुसहर जाति के लोग हैं उनसे 18–साढ़े 18 सौ रुपये लिये जाते हैं वह भी प्रधान के माध्यम से उसमें भी बिचौलिया होता है । मान्यवर, इन्दिरा आवास और हैण्डपम्प विधायकों को बांटने का अधिकार दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

पालने में पांव देख लिये ।

श्री सुखदेव राजभर–

अभी तो विधायक निधि के सन्दर्भ में था लेकिन अब बीजू पटनायक जी इन्दिरा आवास और अन्य चीजों के बारे में भी कहे हैं । इसके लिये व्यवस्था है और नोडल नार्म बने हैं । अभी प्रमोद कुमार जी ने एस०आर०वाई और जे० आर० वाई के बारे में कहा । पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में आपके स्वर्गीय नेता का बड़ा योगदान रहा है । माननीय बाजपेयी जी कह रहे हैं कि अभी तक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये रहा है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जपनदों में पत्र सरकुलेट हुआ है, उसको आप लोग जान रहे हैं । जो असेवित है, जो सेचुरेट नहीं हैं, उसके लिये आपकी जनभावना है लेकिन मान्यता चाहे बेसिक की हो, चाहे उच्च शिक्षा की हो, उसके लिये कई चीजों को पूरा करना पड़ेगा, इसलिये अभी मान्यता प्राप्त को ही देना उचित होगा । गैर मान्यता प्राप्त के संबंध में

यदि कोई शंका होगी तो आगे उस पर विचार कर लेंगे । जहां तक विधायक निधि बढ़ाने की बात हमारे माननीय सदस्यों ने कही है और मतदान तक की बात कही है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि अभी बजट सत्र आने वाला है, तब माननीय विधायकों की भावनाओं का आदर होता रहेगा, उस समय ठीक से विचार कर लिया जायेगा, जैसा निर्णय होगा, उसके अनुसार भावनाओं का आदर किया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह राजाज्ञा कब तक जारी करेंगे ? जो 13वीं विधान सभा की रुकी हुई विधायक निधि है, उस अवशेष धन को पूरा करने के लिये जो विधायक प्रस्ताव दिये हैं या नये प्रस्ताव दे देंगे, उसके संबंध में कब तक राजाज्ञा जारी होगी ? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो शासन के द्वारा 50-50 हैण्ड पम्प विधायकों को दिये गये थे उसको भी रोक दिया गया है । मैं चाहूंगा कि जो राजाज्ञा अब निकाली जाय, उसमें उसको शामिल कर लिया जाय और वह हैण्ड पम्प लगवा दिये जायं । राजाज्ञा को इसके अनुसार संशोधित कर दिया जाय ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि शासन द्वारा असेवित क्षेत्र में 20 लाख रु० किसी संस्था को दे दिया जाता है और उनकी कोई मान्यता नहीं रहती । जब हम यदि नये विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है ? विधायक निधि से बनवाने में क्या अड़चन है ? इस पर माननीय मंत्री जी जरा पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

उसको बता दिया है, उल्लेख कर दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के अनुसार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो सम्मानित सदन की भावनाएं हैं उस पर हम बजट सत्र में चर्चा भी कर लेंगे और विचार करेंगे । मान्यवर, मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है, संसदीय कार्य मंत्री ने जो वोट आफ एकाउन्ट किया है वह 6 महीने के लिए है । आज 15 जून से जब मानसून आ जायेगा तब कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा ।

सदन में मोबाइल प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

(किसी सदस्य का मोबाइल बजने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह मोबाइल किसका बज रहा है इसे लेकर सचिव के पास जमा करा दें ।

सभा मण्डप में नोटिस वितरण प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

यह नोटिस सभा मण्डप में क्यों बंट रही है । (सपा की ओर इंगित करके) इसे लाबी में बंटवा दीजिए यहां उचित नहीं है ।

13वीं विधान सभा के सदस्यों की बकाया विधायक निधि–14वीं विधान सभा के सदस्यों को अवमुक्त किये जाने तथा विधायक निधि की धनराशि रुपये दो करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब तक बजट सत्र नहीं आयेगा तब तक हमें विधायक निधि आवंटित नहीं होगी तब तक कोई कार्य भी नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि जब तक बजट नहीं पास होता है, आकस्मिकता निधि से निकाल कर विधायक निधि को जारी करने की कृपा करें जिससे मई और जून के दो महीने में निर्माण कार्य हो सकें।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, जिस विषय में माननीय सदस्य कह रहे हैं, बेहतर है कि आप इस संबंध में सभी दल के नेताओं को बुलाकर एक बैठक कर लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक बैठक बुला लें क्योंकि और भी तमाम बातें होनी हैं।

श्री लालजी टण्डन–

आप के ही जनपद में आपके समर्थन में भारत के एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने, जब चुनाव में पूरी गर्मी आ गयी थी, उस समय उन्होंने एक प्रश्न उठा दिया कि विधायक निधि का हिसाब विधायक दें। एक जिम्मेदार आदमी के द्वारा यह कहा जाये कि विधायकों को जो धन दिया गया है, उसका दुरुपयोग हुआ है, मनमाने ढंग से खर्च किया गया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपके सम्मान की ही बात कह रहा हूं। पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर उन्होंने कहा कि प्राइवेट एजेन्सी से काम कराकर विधायक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सभा में उन्होंने मुझसे पूरा हिसाब मांगा, मैंने दिया। फिर दोबारा प्रश्न किया। अगर सब की राय अलग-अलग होगी और हर विधायक एक शक के घेरे में लाया जायेगा तो उचित होगा कि वह संस्थाएं तय कर दी जायें जिनके द्वारा वह कार्य हो। विधायकों के ऊपर जो लांछन लगाने की बात आयी है, जिम्मेदार लोगों के द्वारा और जो मुख्य विपक्षी दल है उसके समर्थन में जो सभाएं हुई हैं उसमें यह बात आयी है। इससे एक नया झंझट पैदा हो गया है और जनता के बीच में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। मान्यवर, यह सबकी सहमति से होना चाहिए कि किस-किस संस्था से कार्य होना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपके शासन के द्वारा जो कार्यदायी संस्थाएं चिन्हित हैं उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जाए, इसमें भ्रम कहां हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से यह मुनासिब नहीं होगा कि किसी नेता ने कुछ कह दिया और हमने उसकी वजह से विकास कार्यों पर कोई बन्दिश लगानी शुरू कर दी। जिस [× × ×] की बात का जिक्र

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इन्होंने किया वह आज इस दुनियां में नहीं हैं। उन्होंने यह कहा था कि विकास कार्यों का पैसा कुल 15 प्रतिशत जनता तक पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि विकास कार्यों के लिए पैसा देना बन्द हो गया हो। यह तो हमारे तौर पर सोचने की बात है। जाहिर है कि हम लोग चुनकर आते हैं और जब हम क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगे तभी हमें दोबारा, तिबारा चुनकर जनता भेजेगी और इसे तय करना जनता का कार्य है। किसी एक के लिए यह तर्क नहीं रह जाता। मान्यवर, यह भी सत्य है, पहले सरकारी तौर पर काम होते थे। विधायक निधि नहीं होती थी, सांसद निधि नहीं होती थी। विकास कार्यों के लिए कल और आज में बहुत फर्क आये हैं। आज विधायक को उसका जवाब देना होता है, उसे जनता के बीच जाना होता है, उसकी दिलचस्पी होती है, उसे वोट मांगने होते हैं, इसलिए आज ज्यादा अच्छा काम होता है। पी०डब्लू०डी० और आर०ई०एस० को या किसी संस्था को एक लाख रुपये दिया गया, उसने इस पैसे से एक छोटा सा स्कूल बना दिया। तीन कमरे का। अगर किसी विभाग को यही पैसा दिया गया तो एक कमरे से ज्यादा या दो कमरे से ज्यादा नहीं बन पाता। खैर छोड़िये मैं ये बातें नहीं कहूंगा सदन के अन्दर, सबके चेहरे पर धब्बा लगेगा। जो आपने नेताओं को बुलाकर बात करने की बात कही है। मान्यवर, यह 75 लाख रुपया बहुत नाकाफी है विकास कार्यों के लिए, वह मीटिंग होनी चाहिए। मैं टण्डन जी की इस बात को नकारता हूं। क्योंकि [× × ×] लेकिन मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बहुत विस्तार से और बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है। मैं सिर्फ यह दोहराना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि विधायक निधि लैप्स नहीं होती। श्री कल्याण सिंह जब मुख्य मंत्री थे, 25 लाख रुपये का प्राविधान हुआ था और वह उस साल लैप्स हो रही थी तो लालजी वर्मा यहां बैठे हुए हैं और मैंने यह सवाल उठाया और तय हुआ कि विधायक निधि लैप्स नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि विधायक निधि कभी लैप्स नहीं होती है। मान्यवर, 15 जून आने वाला है। बजट सत्र में इस वर्ष की विधायक निधि के संबंध में जानेंगे। अभी आवश्यकता यह है कि पिछले वर्षों की अवशेष विधायक निधि का धन विधायक के प्रस्ताव पर तत्काल दे दिया जाय। आज से लेकर कल तक यह संदेश आदेश जिलों तक चला जाय यह अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठ जाएं, आपका प्रश्न समझ में आ गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो 50 हैण्ड पम्प कृपापूर्वक पिछली बार दिया था, उन हैण्ड पम्पों को राजनैतिक कारणों से रोक दिया गया, जो पाइप चले गये थे, उन्हें भी रोक दिया गया। उसकी सूचना यह भेज दें कि जितने प्रस्ताव पहले हैण्डपम्पों के दिये गये थे उन हैण्ड पम्पों की स्थापना तत्काल कर दी जाय ताकि गरमी और सूखे में पेयजल की दिक्कत न हो। यह तत्काल निर्देश चले जायं।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक पहले तो एक स्पष्टीकरण दे दूं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जिक्र में बात आयी और आदरणीय टण्डन जी ने जो बात उठायी है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, उसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार की कमजोरी के कारण है, मान्यवर, विधायक को पैसा नहीं मिलता कि वह चेक काटे, विधायक सिर्फ सुझाव देता है।.....

श्री अध्यक्ष–

यह सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

टण्डन जी ने जो बात कही है उसके स्पष्टीकरण में कुछ बात कहना जरूरी है। दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपने पहली बार में अपनी बात क्यों नहीं कह दी, टुकड़े-टुकड़े में क्यों कह रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

विधायक निधि सी०डी०ओ० के पास रहती है, हिसाब लेना है, तो सी०डी०ओ० से लीजिए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की बात आयी स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस संदर्भ में यह बात कही थी कि निचले स्तर पर मात्र 15 प्रतिशत धनराशि पहुंच पाती है। वह इस संदर्भ में था कि जब तक विकेन्द्रीयकरण नहीं होगा धन सीधे उस इकाई तक नहीं पहुंचेगी और बीच में खर्च हो जायेगा उसकी ओर आशय था। कौन संस्था काम करेगी कौन नहीं करेगी यह तो बाद की बात है। पहले यह तय कर लीजिए कि विधायक निधि दो करोड़ रुपया कर दिया जाय ? उसके बाद बैठ करके तय कर लिया जायेगा कि किस संस्था से काम कराना है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि बजट सत्र में आपके आशा के अनुरूप होगा। मैं चाहता हूं कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसको याद रखें।

(श्री राम विशुन आजाद एवं श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव के इस विषय पर बोलने हेतु अनुमति दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि आपकी सूचना नहीं है, इसलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठिये।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य के द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी भी सूचना नहीं है। बैठिये, आप तो सत्ता पक्ष के हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं यह समझता हूं कि जिस बात की ओर उल्लेख किया है। आज राजाज्ञा निकलवा देंगे कि पुरानी विधायक निधि लैप्स न हो। जिस राजाज्ञा को निकालने की बात आपने कही है मुझे विश्वास है कि उसे

जल्दी निकलवा देंगे । दूसरी बात यह है कि अच्छा होगा कुछ माननीय सदस्यों ने विधायक निधि के प्रयोग के बारे में कुछ ब्यौरे और व्यवस्था की बात कही है तो एक बैठक माननीय दलीय नेताओं की इस संबंध में बुला ली जाय और आप देख लें, असुविधा न हो, 31 मई को उप चुनाव होने जा रहा है । इसलिए 6 जून, 2002 को आप बैठक बुला लें और 6 जून को सभी दल के नेता लोग बैठ जायं तो इस संबंध में विचार कर लिया जाय और वित्तीय परिस्थिति को देखते हुये कितना आप बढ़ा सकते हैं कितना नहीं बढ़ा सकते हैं इन सब बातों पर विस्तार से विचार कर लें ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, ठीक है, यह तो अच्छी बात है । माननीय सदस्यों के साथ बैठकर, वित्तीय स्थिति को देखकर विचार कर लेंगे । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधायक निधि के संचालन हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर–3.9 में यह व्यवस्था है कि माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के किसी भी कारण परिवर्तित होने या उनके स्थान रिक्त होने की स्थिति में या संविधान के अनुसार विधान सभा की अवधि अवशेष होते हुये भी त्याग-पत्र देने की स्थिति में पूर्ववर्ती माननीय विधान सभा/विधान परिषद् सदस्य द्वारा अभिज्ञापित यदि कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे पूरा किया जायेगा, किन्तु कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा और नये कार्यों के साक्षेप कोई धनराशि किसी भी दशा में अवमुक्त नहीं की जायेगी चाहे उन्होंने अपना प्रस्ताव रिक्त होने के पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया हो और चाहे सक्षम प्राधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया हो । विधायक निधि की धनराशि व्यपगत नहीं होती यदि किसी एक वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता तो वह अगले वर्ष के लिये उपलब्ध रहेगी ।

मान्यवर, यह जो प्रस्तर–3.9 में व्यवस्था है इसकी कांपलायंस के लिये एक चिट्ठी चली जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो 14वीं विधान सभा की विधायक निधि है उसको कब तक निर्गत करने पर विचार करेंगे ? आपने बैठक बुलाने की बात कही, उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल ने एक बात नयी कही कि 14वीं विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं उनकी विधायक निधि के संबंध में क्या स्थिति है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सदस्यों के साथ 6 जून को बैठक होगी इस पर विचार कर लेंगे । जो आपका शासनादेश है उसका कंपलायंस होने जा रहा है । जो लेपटाप की व्यवस्था है उसको एक एजेन्सी से लिया जाय या जो कुछ ऐसी निर्माण इकाइयां हैं जो लैपटाप देती हैं उनसे लिया जाय इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर रेवतीरमण सिंह, माननीय श्री अशोक बाजपेयी, माननीय जगदम्बिका पाल को सूचना के पक्ष में सुनने और उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद, इस विश्वास के साथ कि

माननीय विधायकों के हित के संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं और आवश्यक आश्वासन भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया है और अन्य बातें आगे होने वाली बैठक में तय हो जायेंगी, इसी के साथ इस सूचना को निरस्त करता हूं।

भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संस्तुति किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय शारदानन्द अंचल और माननीय राम करन आर्य की है। माननीय अंचल जी यह सूचना नियम–300 में कहां आती है ?

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भोजपुरी भाषा को करोड़ों लोग बोलते हैं, वह करोड़ों की भाषा है लेकिन उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है जबकि सिंधी भाषा जिसको केवल कुछ लाख लोग ही बोलते हैं उसको भाषा का दर्जा दिया गया है और एक सिंधी अकादमी भी बनी हुयी है। मान्यवर, करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। किसी अन्य सुसंगत नियम के अन्तर्गत इस सूचना को आप लाइए। नियम–300 नियमों के ऐसे प्रवर्तन से है, जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। यह इस नियम को कवर नहीं करती है। यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

श्री शारदानन्द अंचल–

करोड़ों लोग भोजपुरी में बोलते हैं। इस भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए यह आवश्यक है।

श्री रामकरन आर्य–

यह मातृभाषा का अपमान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप संकल्प किसी दिन ले आइए लेकिन नियम–300 में यह सूचना अग्राह्य है। भोजपुरी भाषा तो मैं भी कभी-कभी बोलता हूं।

मद संख्या–2, मद संख्या–3, मद संख्या–4, मद संख्या–5 में कुछ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 मई, 2002 को नियम–56 में कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

इस पर कल ही शासन और माननीय सदस्यों को सुना जाएगा । मैं नाम पढ़े देता हूं । पहली सूचना श्री मदन चौहान की दूसरी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की तीसरी सूचना श्री शिवकुमार बेरिया की चौथी सूचना श्री आनन्द सेन की पांचवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गई उनके नाम इस प्रकार हैं । पहली सूचना श्री आनन्द सेन की दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह की तीसरी सूचना प्रो० किरनपाल सिंह की चौथी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की पांचवी सूचना श्री उदयराज की छठी सूचना श्री राम करन आर्य व शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रकाश यादव की सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल की एवं आठवीं सूचना श्री मूलचन्द की है ।

जनपद हरदोई के पिहानी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दीवार गिरने से तीन लोगों की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत एक सूचना है जिस पर कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री अशोक बाजपेयी दो लोगों के हस्ताक्षर है । दोनों लोगों ने कहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटी एक घटना दो लोगों के निर्वाचन क्षेत्र की कैसे होगी ? इसको देख लिया करें ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी हरदोई के एक गांव सरैंया महमूदपुर में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई । वहां कच्ची मिट्टी की दीवाल गिरने से उसके सहारे जो लोग बैठे थे उनमें तीन लोग दबकर मर गये पचास से अधिक लोग घायल हुए । यह गांव अल्पसंख्यकों का गांव है इसकी आबादी पांच हजार के करीब है । यह सारे लोग मेहनत मजदूरी करते थे । यह प्रातः 9.20 बजे दीवार के सहारे बैठे थे एकाएक दीवार ढह गई इस कारण तीन लोग स्थान पर ही दबकर मर गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए । 10 लोग जो इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें तत्काल शाहजहांपुर अस्पताल में भरती कराया गया कई लोगों की हालत गंभीर है । उस गांव के लिए एक पैसा अभी तक नहीं दिया गया । यह अल्पसंख्यकों के हिमायती लोग बैठे हुए हैं । वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है । मेहनत मजदूरी करके यह लोग जीविकोपार्जन करते थे । जिन परिवारों के मुखिया उस दीवार के गिरने से मरे हैं उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसी अमानवीय, हृदय विदारक घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और जिन परिवारों के लोग मारे गये हैं उन्हें एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता और निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें एक-एक आवास दिया जाय । घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय और सामान्य घायल लोगों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय । मैं चाहूंगा मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं मानवीय आधार पर इन गरीब अल्पसंख्यकों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता देने की घोषणा करें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अब मैं उन सूचनाओं को ले रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अशोक बाजपेयी जी ने जो मामला रखा है, गंभीर भी है और दर्दनाक भी है। सरकार के पास ऐसे मौकों पर मदद करने के लिये अलग से फण्ड होता है। मैं चाहूंगा सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे थे। अपने मिजाज से शरीफ आदमी हैं, यह अलग बात कि इस वक्त कहां हैं ? मैं चाहूंगा कि वे सदन में कोई ऐसी बात कह दें जिससे उस परिवार के लोगों को कुछ हिम्मत मिल सके और मदद मिल सके। कोई ऐसी घोषणा जिससे सरकार की नीयत और काम करने का तरीका पता चल सकें।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा काम है शासन का ध्यान आकृष्ट करना।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हम कोई जिद नहीं करेंगे क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं। मन भी है उनका कुछ कहने का। अगर कोई बात कह दें। इन्कार ही कर दें तो इन्कार की तसल्ली होती है। वही कर दें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, घटना कोई भी हो, किसी के साथ इस तरह की घटना हो या दैवी आपदा हो, सबके प्रति संवेदना है, दुःख व्यक्त करना चाहिए और जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लिये सरकार बहुत कुछ करने की बात करती है। मान्यवर, समाज कोई भी हो, इन्सानियत के आधार पर हर आदमी के दुःख और पीड़ा में संवेदनशील होना चाहिए। मान्यवर, अभी प्रश्न लगा था कि ऐसी आपदा पर शासन से कोई सुख सुविधा का प्राविधान है कि नहीं ? मान्यवर, इन सबके संदर्भ में बताया गया कि शासन की नीति बनी है। उस नीति के तहत कुछ नार्म हैं उस आधार पर देख लिया जायेगा। ऐसी घटनाओं में जिन परिवारों के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं या छूट जाते हैं उनके लिये क्या प्राविधान है ? क्या व्यवस्था है। जिला प्रशासन में क्या व्यवस्था है ?

श्री अशोक बाजपेयी–

जिला प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है, एक रुपये की भी नहीं। वह इसे दैवी आपदा नहीं मानते। मान्यवर, निर्बल आवास जो 20 हजार रुपये के होते हैं वह जिला प्रशासन के द्वारा दिये जाते हैं। कम से कम इन आवासों को आवंटित करने के निर्देश कर दें। मृतक के परिवारों के लिये जीवकोपार्जन के लिये कुछ आर्थिक सहायता मिल जाय। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कुछ आश्वस्त कर देते। दीवार गिरने को दैवी आपदा नहीं मानते हैं। एक रुपये की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। गंभीर संकट उन लोगों के सामने उत्पन्न हो गया है।

श्री राम करन आर्य–

मेरे क्षेत्र में भी दलितों की हत्या हुई ..

* श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, बाढ़ वाले में कहा था कि 51 में ..

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं । इस तरह से नहीं चलेगा । मैं अभी कल की नियम–56 की सूचनाएं ले रहा हूं । अभी कार्य सूची में आगे का काम कैसे चलेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोल रहे हैं । कुछ नहीं लिखा जायेगा । हर चीज की एक प्रक्रिया होती है । यह लिखा नहीं जा रहा है । आपकी ओर देखने के बाद भी मैं संज्ञान नहीं ले रहा इसलिये कृपया बैठ जायं ।

दिनांक 21 मई, 2002 को श्री विनोद कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर विषयक प्रकरण पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

बोलिये क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल सदन की कार्यवाही में एक सम्मानित सदस्य ने संभवतः आपको लिखकर दिया होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(किसी सदस्य के बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनुमति नहीं दी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक कृपया आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें इस प्रकरण पर ...

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अध्यक्ष महोदय आपकी बात नहीं सुन रहे हैं । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कल सदन की कार्यवाही के समय आपने कृपापूर्वक किसी सदस्य का पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि विनोद कुमार के हस्ताक्षर नहीं हैं किसी ने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं । कांग्रेस के एक विनोद कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए थे जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं । संभवतः दो माननीय सदस्य इस नाम के होंगे इसलिए भ्रम हो गया हो, आज समाचार-पत्रों में पढ़ा कि कांग्रेस सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस का नाम नहीं लिया, किसी दल का नाम नहीं लिया था ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

आपने पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी । आपने अपनी व्यवस्था में अपनी बात कहते समय सिर्फ विनोद कुमार सिंह का जिक्र किया था ।

* श्री विनोद कुमार सिंह–

श्रीमन्, मैं इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहता हूं एक विनोद कुमार सिंह मछली शहर से निर्वाचित हुए हैं एक विनोद कुमार सिंह भरथना से निर्वाचित हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

कांग्रेस के सदस्य के रूप में जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह बिल्कुल ठीक हैं जो समाचार-पत्रों में फर्जी हस्ताक्षर कांग्रेस के सदस्य के बारे में कहा गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है । कांग्रेस के सदस्य के जो हस्ताक्षर फर्जी बताये गये हैं वह सही नहीं हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, जिस समाचार-पत्र ने इसको निकाला है उसे आप निर्देशित करें कांग्रेस का नाम कैसे लिया है ? कांग्रेस के जिन विनोद कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं वह जिम्मेदारी से हस्ताक्षर किए हैं आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री विनोद कुमार सिंह के हस्ताक्षर के संबंध में, समाचार-पत्र के संबंध में सचिव आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री विनोद कुमार सिंह–

मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विनोद कुमार हैं वह "विनोद कुमार यादव" "कक्का" हैं मैं विनोद कुमार सिंह हूं तीसरे भारतीय जनता पार्टी के विनोद तिवारी हैं, यह पंडित हैं । मेरा निर्वाचन पत्र में विनोद कुमार सिंह लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

निर्वाचन प्रमाण-पत्र में क्या नाम लिख कर मिला है ?

श्री विनोद कुमार सिंह–

विनोद कुमार सिंह लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

जो कांग्रेस दल के सदस्य हैं उनका नाम विनोद कुमार यादव "कक्का" लिखा है, जो संशोधन का प्रस्ताव आया उसमें विनोद कुमार सिंह था । आप जिस नाम से निर्वाचित हुए हैं, अधिकृत सूची में आपका नाम विनोद कुमार यादव "कक्का" लिखा हुआ है इसलिए विनोद कुमार सिंह जी मेरे पास आये और उन्होंने लिखित प्रार्थना-पत्र दिया । मैंने नाम काट दिया । इस नाम के तीन माननीय सदस्य हैं । मेरा अनुरोध है कि आप अपने नाम के आगे क्षेत्र लिख देंगे, पूरा नाम लिख देंगे, तो इससे आसानी हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो 25 सदस्य हैं इसमें कांग्रेस के सदस्य हैं बसपा के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

विनोद कुमार सिंह लिखा हुआ है, इस कारण यह भ्रम पैदा हो गया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी पुकारते हैं, जबकि जो सूची हैं उसमें मेरा नाम प्रमोद कुमार है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपका लोकप्रिय नाम है ।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह–

मान्यवर, इसको आप दिखवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

हम देख लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा विनोद कुमार सिंह से कोई दूर-दराज का सम्बन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है । स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है । बात समाप्त हो गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक भ्रम की स्थिति स्पष्ट कर दी है । यह हमारे विनोद कुमार भरथरा से निर्वाचित हुए हैं । उनके हस्ताक्षर संशोधन में हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत से लोग अपने नाम के आगे "फलां बर्तन वाले" लिख देते हैं । यह जब हस्ताक्षर किया करें तो लिख दिया करें कि "प्रमोद कुमार" वाले ।

यह एक पत्र लिखकर दे दें कि (हंसी) संशोधन में मैंने हस्ताक्षर किये हैं और मेरा पूरा नाम यह है, तो इनका नाम शामिल हो जायेगा ।

(श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव के बोलने पर)

माननीय चौधरी साहब आप दल के उप नेता हैं माननीय सदस्य को समझाएं कार्यवाही नियमों के अनुसार ही तो चलेगी ।

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, बड़ा ही संवेदनशील मामला है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

लेकिन नियमों के अनुसार ही तो उठाया जा सकता है । ऐसा कहेंगे तो 404 में से 399 सदस्य हैं मुझे छोड़कर 398 सदस्य हैं अगर यह सब इसी प्रकार खड़े होकर बोलने लगेंगे तो कैसे चलेगा ? आप किन्हीं नियमों के अन्तर्गत सूचना देंगे तभी तो उसमें विचार होगा । मैंने आपको तीन बार मना किया । मैं तीन बार मना करता हूं उसके बाद मुझे निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है ।

दिनांक 21 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कल दिनांक 21 मई, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई थीं । इनमें पहली सूचना श्री अशोक बाजपेयी एवं श्री नरेश अग्रवाल की प्रदेश में पीने के पानी की भयंकर समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यही सूचना श्री उदय राज की है और यही सूचना श्री रामविशुन आजाद की भी है । दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की थी और तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल और श्री अरविन्द गिरी की थी ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ रही है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है । सरकार की अदूरदर्शिता इसके लिए जिम्मेदार है । प्रदेश में जल स्तर गिरता जा रहा है यहां तक लखनऊ में .56, कानपुर में .45, आगरा में .40, वाराणसी में .23, मेरठ में .34 मीटर की दर से प्रतिवर्ष भू-जल का स्तर गिर रहा है । लखनऊ शहर में इसका औसत 2 मीटर प्रतिवर्ष हो गया है । जल स्तर गिरने से कुंए सूख गये हैं तथा हैण्ड पाइप बेकार हो गए हैं । सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जिलों को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है । इससे जिले-जिले में हाहाकार मचा हुआ है । इसमें शासन स्तर पर जितनी भी बैठकें हुई हैं तथा वैज्ञानिकों की बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस दिशा में शासन स्तर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए)

आज पूरे प्रदेश में इस भीषण गर्मी में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है । स्थिति यह है कि आज राजधानी लखनऊ में भू-जल की जो स्थिति है वह चारबाग में 31.80 मीटर है और इसकी वार्षिक गिरावट की दर 1.78 मीटर है, गणेशगंज में 31.50 मी० है और इसकी गिरावट दर 1.82 मी० है, हुसैनगंज में 31.25 मी० है और इसकी गिरावट दर 2.12 मी० है, अलीगंज में 26.75 मी० है और गिरावट दर 1.83 मी० है, इन्दिरानगर में 23.25 मी० है और गिरावट दर .90 मी० है, राजाजीपुरम् में 23.60 मी० है और गिरावट 1.79 मी० है, अमीनाबाद में 19.80 मी० है और गिरावट दर 1.01 है, गोखले मार्ग में 16.70 मी० है और गिरावट दर 1.27 मी० है । इस तरह से राजधानी में जिस प्रकार से जल स्तर की गिरावट आ रही है वह चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, केवल महानगरों में ही नहीं आज प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में यह भूजल स्तर में गिरावट आ रही है । केन्द्रीय भूजल परिषद् के सर्वेक्षण के अनुसार जो कि अधिक भूजल का दोहन हो रहा है जो कि

मानक से 127 प्रतिशत अधिक है । मान्यवर, जब तक इसकी रिचार्जिंग की व्यवस्था नहीं होगी भूजल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । मान्यवर, जो हमारा रेन वाटर है उसकी रिचार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे भूजल स्तर बना रह सके । मान्यवर, इस सम्बन्ध में विधायकों की चिन्ता आपने स्वयं देखी होगी । वर्ष 1991 में जहां एक व्यक्ति को 2200 घन मीटर पानी मयस्सर था अब यह घटकर 1829 घन मीटर रह गया है । यदि यह मात्रा 1700 घन मीटर रह जायेगी तो जल तनाव की स्थिति मानी जायेगी । एक हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम पानी की उपलब्धता चिन्ताजनक स्थिति है । धीरे-धीरे हम प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं । अगर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जायेगा । तमाम जो बोरिंग है, गहराई की बोरिंगे हैं, वह सारी बेकार हो गयी है । आज जहां 10-10, 12-12 हैण्डपम्प लगे हुए हैं वह बेकार हो गये है । और शासन द्वारा, जल निगम द्वारा, जो हैण्डपम्प लगाये जा रहे है, उनका सर्वेक्षण करके गहराई तक पहुंचाया जाना चाहिए नहीं तो यह काम करना बन्द कर देंगे । अगर इन हैण्डपम्पों की गिरते हुए जल स्तर की दृष्टि से देखे तो पेयजल का गम्भीर संकट पूरे प्रदेश में उत्पन्न हो जायेगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा कोई गम्भीर विषय नहीं हो सकता इस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करायें । मान्यवर, अगर जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा ? इसलिये मैं सदन से चाहूंगा आप सरकार को निर्देशित करें कि इसके लिए कार्यवाही की जाये । इस आपदा से कैसे निजात पायें इसके लिए काम किया जायें ।

श्री उदय राज–

मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश की एक ऐसी गंभीर समस्या के ऊपर जिससे आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति परेशानी से जुड़ा हुआ है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में भयंकर गर्मी के कारण जो पानी समस्या पूरे प्रदेश में उत्पन्न हुई है उससे हम आप सारे साथी चाहे वह सत्ता में बैठे हुए लोग हो चाहे विपक्ष में आज सारे के सारे अच्छी तरह वाकिफ हैं । आज इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनकी स्थिति यह हो गयी है कि पानी का जलस्तर इतना नीचा चला गया है कि बहुत हैण्डपम्प बेकार हो गये है, कुओं का पानी सूख चुका है । गांवों में रहने वाले लोग जिनके घरों में पानी के साधन नहीं है वह अपने घरों पर घड़ा लादकर ट्यूबवेल से पीने का पानी लाते है । इससे आदमी ही नहीं जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं । नहरों में पानी नहीं जाता है । आज सारे ट्यूबवेल की स्थिति भी बेकार हो रही है । विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण ट्यूबवेल भी बन्द पड़े हैं ।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमेशा यह कहा जा रहा है कि आज हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर काम करने का फैसला किया जायेगा । हर सरकार यह वादा करती है कि हर व्यक्ति को रोटी-कपड़ा और मकान देने का काम करेगी । चूंकि आज जो नई शासन की नीति आई है उसके अन्दर उन्हीं क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगेंगे जिन मोहल्लों में रहने वाले लोग 1970-2000 रुपया जमा करने का काम करें और फिर उन क्षेत्रों, मोहल्लों, घरों में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगेगा । आप गांवों का हाल अच्छी तरह से जानते होंगे । झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जो मेहनत करके अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं वह किस तरह से 2000 रुपया जमा करके इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगवाने का काम कर सकते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज जो पेयजल

की समस्या उत्पन्न हुई है और उसमें जो पैसा लेकर हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की जा रही है इसको खत्म किया जाय और जिस तरह से पहले से शासनादेश लागू है कि इतनी आबादी पर हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था की जायेगी उसको तुरन्त लागू किया जाय और पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था की जाय, इसके साथ मैं धन्यवाद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जल ही जीवन है। मान्यवर, पानी को हमारे कवियों ने भी बड़ा महत्व दिया है "रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून"। आज उत्तर प्रदेश में पेयजल का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है आज जल स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पानी की समस्या है। जिस तरह से आज हमारे देश को प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल करीब 1150 घन क्यूबीमीटर है जिसमें से 700 घन मीटर जल पृथ्वी के ऊपर है और 450 घन मीटर पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है लेकिन जिस तरह से जल का दुरुपयोग किया जा रहा है वह एक गंभीर बात है। मानव जीवन में जल का तीन प्रकार से उपयोग किया जा रहा है हमारे देश में घरेलू आवश्यकताओं, कृषि आवश्यकताओं तथा औद्योगिक एवं अन्य आवश्यकताओं में जल का प्रयोग किया जा रहा है। अगर देखा जाये तो 1968 में 3 लाख बोरिंग हुए थे और इधर विगत 30 वर्षों में देखा जाये तो 60 लाख बोरिंग हुई है जिससे पृथ्वी का जल स्तर बहुत ही नीचे गया है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, मध्य उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिस तरह से जल स्तर घटा है, वह एक चिन्ता की बात है। आज पेयजल का संकट है पूरी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। आज सारे कुएं सूख चुके हैं कुओं में पानी नहीं रह गया है सरकार को चाहिए कि पुराने कुँओं की खुदाई कराये ताकि जो दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं उनको पानी मिल सके। इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प में देवीपाटन मण्डल के अन्दर अगर देखें उसके अन्तर्गत जितने जिले हैं उसमें 40 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब हो चुके हैं। यहां से यह निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको ठीक कराया जाय लेकिन ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रधान जो गांव उनको वोट देते हैं उनको ठीक करा देते हैं लेकिन जो वोट नहीं देते हैं उनकी मरम्मत के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि इण्डिया मार्क के जो हैण्ड पम्प खराब हैं उनको तत्काल ठीक कराया जाय और जो सरकार ने व्यवस्था दी है कि 1970 रुपया जमा करने के पश्चात और उसमें भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनिवार्य है। अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव नहीं होगा तो 1970 रुपया जमा करने पर भी नल नहीं लगेगा, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार वास्तव में दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील है तो आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में यहां मौजूद हैं, वह घोषणा करें कि गरीबों की बस्ती में इण्डिया मार्का नल फ्री लगाया जायेगा और गरीबों से कोई पैसा नहीं लिया जायेगा। यह सरकार चाहती है कि इण्डिया मार्का नल ठीक हो, लेकिन दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से जहां पर दलित तबके के लोग होंगे, वहां पर तो घोषणा कर देगीं, लेकिन जहां पर पिछड़े तबके के अथवा अपर क्लास के लोग हैं, वहां पर नल खराब पड़े रह जायेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि इसे ग्राम पंचायतों के ऊपर न छोड़ा जाय, इसके लिये अलग से व्यवस्था होनी चाहिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकि गांव के गरीब जनता को, गरीब लोगों को इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह लोक महत्व का प्रश्न है, मैं आपके चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर एक घण्टे की चर्चा कराई जाय।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उससे सहमत हूं कि लगातार भूजल का असीमित दोहन करने के कारण भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला गया है और इसके लिये सबको चिन्ता करना बहुत आवश्यक है। शायद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जहां पर वर्षा के पानी को भूमि में वापस भेजने की योजना लागू कर दी गई है। हम लोग जो विभिन्न प्रकार से भूमि के अन्दर से पानी को निकाल रहे हैं, उसको वापस करने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश हो रही है। एक रेन वाटर को संरक्षित करने की यानि वर्षा का जो पानी है, उसको भूगर्भ में भेज दिया जाय, ऐसी व्यवस्था होने जा रही है, इसके लिये शहरों में तो यह कर दिया गया है कि जो बड़े-बड़े भवन बन रहे हैं, उनके नक्शे तब तक पास नहीं होंगे, जब तक वह सारे पानी को जो उनके छत पर इकट्ठा होगा, को जमीन में जाने की व्यवस्था नहीं कर देंगे। इसके अलावा जो ग्रुप हाऊसिंग है, बड़े-बड़े काम्पलेक्स हैं, उनके लिये व्यवस्था की जा रही है कि पानी सड़कों पर न बहने पाये।

पहले जगह-जगह तालाब-पोखरे होते थे, तो रिचार्ज करते रहते थे, जमीन के अन्दर पानी चला जाता था, वह तालाब पोखरे सब पट गये, लोगों ने कब्जा कर लिया, तालाब खेत बन गये, पोखरे जो थे, वहां बिल्डिंग बन गई। अब यह जो स्थिति है, वह प्राकृतिक आपदा की तरह है। इसके लिये सरकार सचेत न होती तो इस तरह का निर्णय न लिये होते। हैण्ड पम्प या ट्यूबवेल की जो बात की जा रही है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि भूगर्भ भारत सरकार का विभाग है, उन्होंने निर्देश दिया है कि बहुत ज्यादा पानी जमीन से न निकाला जाय, थोड़ा पानी ही निकाला जाय तो समस्या का समाधान होगा। स्वाभाविक है कि जब थोड़ा पानी निकाला जायेगा तो सबको पानी नहीं मिल पायेगा और पूरा पानी निकालने पर ट्यूबवेल बेकार हो जायेंगे, इसी प्रकार हैण्ड पम्प जितनी गहराई तक बनाये गये थे, वह सब बेकार हो जायेंगे।

सरकार का काम केवल इतना है कि वह उसे कैसे आने वाले समय के लिये सुरक्षित करे। वाटर रिचार्जिंग के लिये मैंने अलीगंज में विधायक निधि से एक योजना शुरू करायी है। एक तालाब था जिसको लोगों ने पूरा भर दिया था और उसको माफियाओं ने बेचने की कोशिश भी कर ली थी। उसकी खुदाई करके अब बोरिंग कर दी गयी है। इस प्रकार अब उस तालाब को भरा भी जायेगा और पानी नीचे भी जायेगा। यह एक पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने बनाया है। आप उसे देखें। इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है, इसके लिये जागृति आवश्यक है और यह काम केवल सरकार नहीं कर सकती। यदि वर्षों का पानी जमीन में नहीं जायेगा और जो भण्डार है उसका ही हम दोहन करते रहेंगे तो वह कितने दिन चलेगा। जितना पानी है उसको लें लेकिन जितना संभव है उसमें वापस करें। जो रिचार्जिंग के लिए तालाब, गड़हिए और पोखरे थे जिनसे पानी नीचे जाता था यदि किसी ने कब्जा किया है तो उसे खाली कराने में सहयोग करें।

दूसरी बात जो शहरों के लिए बताई कि रेन वाटर कन्जर्वेशन हो जाये, पानी बह जाता है, जलभराव की समस्या हो जाती है और दूसरी तरफ हम जमीन से पानी निकालते चले जा रहे हैं और इसके कारण जो असन्तुलन हो रहा है वह एक प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आ रहा है। यह संकट हर साल बढ़ेगा, यदि हम जागृत नहीं हुए। जो स्थिति है 5-7 साल बाद तो पानी के लिए एक भयंकर स्थिति पैदा होगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके सामने यह बात रखनी आवश्यक है। इसमें किसी सरकार का दोष नहीं हो सकता लेकिन जो तात्कालिक समस्या है उसको हल करने के लिए कई तरह की धनराशि जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है। त्वरित पेयजल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त जो पैसा है, वह योजनाएं चल रही हैं। दूसरे जो खराब हैण्ड पम्प हैं, पंचायतों को जो रख-रखाव के लिए दिये गये थे और बाकी पैसा लगभग 22 करोड़ रुपया अभी राहत से दिया गया है, वह जिलाधिकारियों के पास है। जहां रिबोर करने हैं, मरम्मत करनी है, जहां वे चालू हो सकते हैं, ऐसे हैण्ड पम्प के लिए 30 जनपद ऐसे छांटे गये हैं जहां इस प्रकार का संकट है और वहां के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। आप जिलाधिकारियों को सूची दे दें। अगर हमें भी दे देंगे तो हम प्रयास कर लेंगे कि वह जल्दी से जल्दी हो। जल निगम, जिलाधिकारी और कमिश्नर को आदेश दिए गये हैं कि वह साप्ताहिक समीक्षा करें कि कितने रिबोर हुए, कितनी प्रगति हुई, इसकी मानीटरिंग करके तुरन्त निस्तारण करते जायें। जो सरकार की परिधि के अन्दर हैं, सीमा में है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपकी जानकारी में है कि ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, कहीं ढिलाई बरती जा रही है तो उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। मैं आश्वासन देता हूं कि जिन लोगों ने सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन नहीं किया, पैसा पड़ा हुआ है और पानी की तकलीफ हो रही है और वह ठीक नहीं किए जा रहे हैं, जो ठीक हो सकते हैं, उन पर जवाबदेही निर्धारित की जायेगी। लेकिन जो प्राकृतिक संकट है उसके लिए सबको सोचना होगा।

अभी यह बात भी आयी कि कुछ पैसा उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा। एक मानक है कि गांव में कितनी आबादी पर हैण्ड पम्प लगेगा लेकिन जो गांव संतृप्त हो चुके हैं, परन्तु अभी और अपेक्षा है कि और हैण्ड पम्प लगने चाहिए तो एक स्वजल योजना भारत सरकार की है उसमें 10 परसेन्ट धन निजी स्रोतों से दिया जाना चाहिए और 90 परसेन्ट भारत सरकार देगी। गांव जो संतृप्त हो गये हैं, यदि ऐसे संतृप्त स्थानों पर और चाहते हैं तो वहां कुछ कन्ट्रीब्यूट करिए और आप ही मेनटेन करिए। इसका उपयोग आप करें। राज्य सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लगा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं ले रही है। यह एक योजना है आप उसका लाभ उठायें। राज्य सरकार की जिम्मेदारी पेयजल के लिए पानी देने की है और आबादी के अनुसार जितने हैण्ड पम्प चाहिए उतनी की व्यवस्था करना। उसकी जिम्मेदारी है जो हैण्ड पम्प खराब हो गए है, उनको रिबोर कराना, जो गड़बड़ हैं उनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करना और यह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं अगर आप चाहे तो मैं फिर से निर्देश दे दूं।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपसे यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि 18 सौ रुपये दस परसेन्ट लिये जा रहे हैं जो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाए जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे यह कहना है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दलित समाज जनजाति, पिछड़ी जाति और बड़ी जाति में जो गरीब हैं जो पैसे देने वाले हैं

वह केवल 18 सौ रुपये देकर अपने घरों में अपनी चन्नी में हैण्ड पम्प लगवाकर उसका प्रयोग कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह व्यवस्था खत्म कर दी जाय और पहले जैसी व्यवस्था लागू कर दी जाय। पहले ब्लाक से जाता था एवं हम एम०एल०ए० लोग जो देते थे वह फ्री में मिलता था आपने नियम बना दिया। 18 सौ रुपये दिए बिना हैण्ड पम्प नहीं लग सकता। आज गरीब दलित के घर के पास यह हैण्ड पम्प नहीं लगता क्योंकि केवल एक या दो परसेन्ट दलित ही ऐसे हैं जो उनका उपयोग कर पा रहे हैं और यह राशि अदा करने की उनकी क्षमता है। अगर इन गरीबों के मोहल्ले में कोई गरीब के अपने घर के पास दरवाजे के पास गहराई तक हैण्ड पम्प बोर नही होगा, तो वह दूषित पानी पीकर रोग ग्रस्त होंगे, बीमार होंगे और मर जायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको फ्री में लगवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कौन सा हैण्ड पम्प कहां लगेगा, इसका अधिकार पंचायतों को है जहां पंचायत तय करेगी वहां लगेगा। अगर संतृप्त गांव है तो गांव के लोगों को 10 प्रतिशत पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर विधायक अपने क्षेत्र में अपने विधायक निधि से लगवाना चाहें तो 10 प्रतिशत संतृप्त कर दें तो वह लगवायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया एक-एक करके अपनी बात कहें, बारी-बारी से पूछें।

* श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, हमारे यहां जो हैण्ड पम्प लगाए गये हैं उनमें खारा पानी आ रहा है तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन–

इसके लिए योजना चल रही है, भारत सरकार का वाटर बोर्ड है वह स्थान का चयन कर रहा है। जहां पर खारा पानी नहीं है उस जगह पर लगाये जायं। कहीं पर पानी खारा है, कहीं पर मीठा है। हमारे तमाम वैज्ञानिक तरीके हो गये है जिससे वह स्थल पता किया जा सकता है कि कहां लगाया जाना है ?

श्री उदयराज–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में जो बातें कही है उसके संदर्भ में केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1970 रुपये देकर जो भारत सरकार की योजना है उन गांवों में इण्डिया मार्क–टू हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं जो आबादी संतृप्त हो चुकी है। जहां तक मुझे जानकारी है पिछली बार विधान सभा के अन्दर यह तय हुआ था और पिछली सरकार ने तय किया था कि 150 की आबादी को मानक मानकर पूरे प्रदेश में इण्डिया मार्क–टू हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय की गयी थी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 150 की आबादी को मानक मानकर क्या सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गांवों, नगर क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के मोहल्लों को संतृप्त करने का काम सरकार के द्वारा कर दिया गया है ? दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि खराब हैण्ड पम्पों के सुधार का काम ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है और ग्राम पंचायतें इसको बनवाने का काम करती हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हैण्ड पम्पों को सुधार करने का काम टेक्निकल आदमी कर सकता है तो क्या ग्राम सभा स्तर पर कोई टेक्निकल आदमी/कर्मचारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं बहुत सारी बातें कह चुका हूं । अब बहुत से प्रश्न उठेंगे । आपने जो खारे पानी की बात कही है, उसके लिए योजना बनायी जा चुकी है और उन स्थानों पर हैण्ड पम्प नहीं लगेंगे जहां का पानी खारा है ।

श्री उदयराज–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । मैंने अलग से कोई सवाल नहीं किया है जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 10 प्रतिशत पैसा वहां लिया जा रहा है जहां आबादी को संतृप्त कर दिया गया है और उसके बाद जो हैण्ड पम्प लग रहे हैं उनसे लिया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के गांवों को 150 की आबादी का मानक रखकर संतृप्त करने का काम कर दिया गया है अगर नहीं किया गया है तो यह 10 प्रतिशत पैसा क्यों लिया जा रहा है ? तमाम लोग गांवों में ऐसे हैं जो रुपया देने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले ही माननीय मंत्री जी ने इन सब विषयों पर अपने विचार रख दिये हैं ।

श्री उदयराज–

जो मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है उसी का जवाब मांग रहा हूं और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 प्रतिशत धन लेकर, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जो मोहल्ले संतृप्त हो गये हैं वहां लगाये जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के सभी गांव 150 का मानक मानकर संतृप्त हो गये हैं । नहीं तो यह जवाब दे दें कि 150 आबादी का मानक नहीं है तो मैं मान लूंगा । मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

* प्रो० किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पानी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है । जिला मुख्यालय पर नलों का कोटा उपलब्ध नहीं है । जिलाधिकारी या सी०डी०ओ० से कहते हैं तो वह जवाब देते हैं कि हमारे पास नलों का कोई कोटा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं आया है । क्या बरसात में नल लगवाये जायेंगे जब पानी की कमी दूर हो जायेगी ? आज गर्मी के मौसम में पीने का पानी नहीं है । हर जिला हेडक्वार्टर के लिये कोटा भिजवाने का कष्ट करें ।

श्री लालजी टण्डन–

मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें साफ लिखा है कि 30 जनपद संकटग्रस्त हैं उसके लिये 22.10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करके भेज दी गयी है ।

श्री रामविशुन आजाद–

वह कौन-कौन जिले हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने 30 जनपदों का जिक्र किया ।

श्री रामविशुन आजाद–

एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया जा रहा है । सरकार संवेदनशील नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने 30 जनपदों का जिक्र किया और बताया कि 22 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया है । यह केवल इस मद में दिया गया है जो ट्यूबवेल ख़राब हैं उनकी रिबोरिंग के लिये और हैण्ड पम्प को ठीक करने के लिये । किसी नये इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प के लगाने के लिये पैसा नहीं दिया गया है । आज शहरों का लगातार विकास हो रहा है तमाम अनियमित कालोनियां बन गयी हैं वहां पर पाइप लाइनें नहीं हैं । इस गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुये हर जनपदों को 100-100 हैण्ड पम्प देने की घोषणा मंत्री जी करेंगे । बिजली की कटौती हो रही है वाटर सप्लाई में पानी नहीं आ रहा है । आप भी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । पेयजल संकट को देखते हुए क्या मंत्री जी 100-100 हैण्ड पम्प जनपदों को देने की घोषणा करेंगे । आपने रिबोर के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने अपने विवरण में पूरी विदवता के साथ बातें रखीं । अब जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उनका उत्तर वह देना चाहें तो दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मेरा क्षेत्र पथरीला क्षेत्र है वहां साधारण बोरिंग से इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प तथा नलकूप नहीं लगते हैं । वहां पर गैसड़ी, शिवपुरा, पंचपेड़वा में रिंग बोरिगं मशीन की आवश्यकता है क्योंकि 80 प्रतिशत पथरीली जमीन है इसलिए वहां रिंग बोरिंग की जाए ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं मा० सदस्यों का प्रश्न समझ नहीं पाऊंगा तो उत्तर कैसे दे सकूंगा ? अगर पेयजल जैसे विषय पर भी राजनीति की जायेगी तो संकट का समाधान कैसे होगा ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता जी अभी आपने नगर विकास मंत्री को पीठ की तरफ से निर्देशित किया था कि इस संबंध में जिन प्रश्नों का उत्तर देना वह आवश्यक समझते हों उन प्रश्नों का उत्तर दे दें । पानी जैसे सवाल पर हर सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या को सदन के सामने रखना चाहेगा । पूरे क्षेत्र को देखने का दायित्व आपका है लेकिन आप जहां बैठे हैं वहां से पूरा प्रदेश नजर नहीं आ रहा है । आपको पूरे प्रदेश की स्थिति नजर आ जाय इसलिये एक-एक सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं । पथरीली जमीन पर बोरिंग का सवाल है, वह बाद की बात है । जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उसमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब हैं, सवाल यह है कि उनको ठीक कराया जाय । इसका जवाब नहीं आया । जो हैण्ड पम्प गड़े नहीं, उनकी भी बात नहीं आई । जहां तक नये हैण्ड पम्प देने की बात है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप 200 हैण्ड पम्प प्रत्येक विधायक को उनके प्रस्ताव पर देने की घोषणा कर दें तो आपका अभिनन्दन करता । मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं सत्यता बता रहा हूं । बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है ।

हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है–बन मारेक कौन उपाय, बाप पूत चलने रिसियाय । किसी की मजदूरी लूटनी हो तो बाप इधर बेटा उधर प्रत्येक विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में 200 हैण्ड पम्प दिये जाने की घोषणा करते तो आपका अभिनन्दन करते, स्वागत करते । सरकार पूरी तरह से कठघरे में है । सारे सवालों का जवाब टण्डन जी दीजिये । क्या उपाय आप पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये करने जा रहे हैं हम शांतिपूर्वक सुनेंगे । [× × ×] हम लोग पेयजल की समस्या को यहां पर उठा रहे हैं । बहुजन समाज पार्टी के लोगों के प्रस्ताव पर 200 हैण्ड पम्प दे दीजिये । भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रस्ताव पर 200 हैण्ड पम्प दे दीजिये । राष्ट्रीय लोक दल के लोग मायूस से बैठे हैं उनको दो-दो सौ हैण्ड पम्प दे दीजिये । पानी के सवाल पर हम तो राजनीति नहीं करते हैं आप लोग कर रहे हैं । हम जन समस्याओं को यहां पर कह रहे हैं । माननीय मंत्री जी जिन समस्याओं को यहां पर उठाया गया है, उनका उत्तर आना चाहिए ।

श्री लालजी टण्डन–

मैं आपको बता रहा हूं सुनकर लाभ होगा । आप प्रश्न कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, तब तक प्रश्न कुछ और करने लग रहे हैं । कोई समझने के लिये तैयार नहीं है । मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भूगर्भ जल बहुत नीचे जा रहा है जिससे स्वाभाविक है कि ट्यूबवेल में पानी कम आयेगा । हैण्ड पम्प बेकार हो जायेंगे । इस स्थिति से निपटने के लिये $22\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं कि जहां हैण्ड पम्प रिबोर करने हैं, जहां उनकी मरम्मत करनी है उनको ठीक कर दिया

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जाय । एक व्यवस्था तो यह हो गई । दूसरी यह है कि जो टाउन एरिया है, कुछ ही बच गये होंगे, मैंने इतने दिनों से नहीं देखा है । जितने भी शहर हैं टाउन हैं उनमें सब जगह पाइप पेयजल संतृप्त हो गया है । केवल दो-चार जगह रह गया होगा । त्वरित पेयजल योजना में फिर से पैसा मिल रहा है । कुछ और हैण्ड पम्प स्वजल योजना में लग रहे हैं । हैण्ड पम्प बोर करने के लिये पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड के लिये अलग-अलग व्यवस्था है । स्वजल योजना के अन्दर यदि 10 प्रतिशत पैसा विधायक, विधायक निधि से दे देंगे तो जितने हैण्ड पम्प चाहेंगे लग जायेंगे । मेरा कहना है कि जो भी संसाधन हैं उन पर खर्च हो रहा है । सरकार के पास जो स्रोत हैं धन के, उससे खर्च किया जा रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक चीज जानना चाहता हूं कि मंत्री जी एक चीज बता दें कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो 50 हैण्ड पम्प विधायकों को लगाने का अधिकार है उसको क्या 100 करेंगे कि नहीं । इतना बता दें [× × ×] ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि साढ़े बाइस करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं कि वे हैण्ड पम्प जो खराब पड़े हैं उनको ठीक करायें । मैं टण्डन जी से कहना चाहता हूं कि जो शासनादेश है उसमें जिलाधिकारी को पैसा गया है उसमें विधायक कहीं नहीं हैं । वह ग्राम सभा के प्रस्ताव पर, ब्लाक के द्वारा जो प्रस्ताव आयेगा वहीं हैण्ड पम्प ठीक करेंगे । मात्र 100 हैण्ड पम्प खराब हैं इसमें दस प्रतिशत हैण्ड पम्प ठीक किए जायेंगे । बाकी हैण्ड पम्प ठीक करने का प्राविधान नहीं है । जब आप घोषणा कर रहे हैं एक तो आप सुनिश्चित करा दें कि विधायक के प्रस्ताव पर हैण्ड पम्प ठीक किए जायेंगे जहां हैण्ड पम्प खराब हैं । आपने जब साढ़े 22 करोड़ रुपया जिलाधिकारियों को दिया है तो विधायक के कहने पर हैण्ड पम्प ठीक कराए जायं । दूसरी बात 50 हैण्ड पम्प को बढ़ाकर आप 100 हैण्ड पम्प की घोषणा कर दें । आप तीसरी बार मंत्री हुए हैं पुरानी घोषणाएं चल रही हैं आप नयी घोषणा करें तो हम मेज थपथपाकर आपका स्वागत करेंगे । आप तो पुरानी लकीर पर चल रहे हैं वही पचास हैण्डपम्प हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

इतने गंभीर प्रश्न पर इतना अनुनय विनय करने पर माननीय लालजी टण्डन ने कोई आश्वासन नहीं दिया है यह बे-पानी की सरकार है । इसकी आंख का पानी मर गया है प्रदेश में इससे अधिक कोई संकट नहीं है आज की तिथि में, पेयजल की कमी से लोग मर रहे हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार जो रवैया अपना रही है, इस कठिनाई से निजात पाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है इसका मैं और मेरी पार्टी घोर विरोध करती है और सदन का त्याग करती है ।

(श्री अम्बिका चौधरी, उप नेता समाजवादी पार्टी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं गांव के हैण्ड पम्प जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं उनको ठीक कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, शहरों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, सम्मानित विधायक हैण्डपम्प ठीक करा सकें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, माननीय मंत्री जी की तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है कि 50 का प्रस्ताव आप दे सकते हैं। नये हैण्ड पम्प की स्थापना की बात नहीं हो रही है, पेयजल की समस्या पर यह सरकार गंभीर नहीं है सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार पेयजल की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है इसलिए मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने भी सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य एवं मंत्री जी को सुना और सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब मैं दूसरी सूचना जो कि माता प्रसाद पाण्डेय जी की है, को ले रहा हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जब से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या उसके नेतृत्व में सरकार बनी है तबसे निरन्तर अधिकारियों के माध्यम से सरकार के माध्यम से, यह बात कही जाती रही है कि जो सरहद के जिले हैं नैपाल के, उनमें विदेशी आई०एस०आई० के एजेन्ट सक्रिय है और इसके बारे में मात्र इसलिए कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों में मुख्य रूप से मुस्लिमों में भय पैदा करें। मान्यवर, आपको स्मरण होगा। कभी गोरखपुर के आई०जी० का बयान आ जाता है कि जो बार्डर के जिले हैं इसमें आई०एस०आई० के लोग सक्रिय हैं। अभी कुछ दिन पहले महानिदेशक थे उनका बयान आ गया कि इनका नेटवर्क है और इसके चलते जितने बार्डर पर मदरसे हैं वहां पर व्यापक पैमाने पर उनको परेशान किया जाता है। चार-पांच एल०आई०यू० के लोग जाते हैं और उनको परेशान करते हैं। एक भी आई०एस०आई० का एजेन्ट सिद्धार्थनगर में नहीं पकड़ा जा सका है। उनमें एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है।

आप यह भी जानते होंगे कि सरहद के अन्दर नैपाल के अनेक माओवादी व्यापक पैमाने पर शाही सेना के दबाव के चलते इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरफ तो आई०एस०आई० और दूसरी तरफ उनका आतंक तो इससे असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी एजेन्ट नहीं पकड़ा गया सिद्धार्थनगर या महाराजगंज में तो यह कह क्यों रहे हैं ? अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही हैं ? अगर इसको रोकना है यह मानते हैं तो फोर्स पर ध्यान देना होगा । सिद्धार्थनगर में 68 सब इंस्पेक्टर की जरूरत है । वहां पर 54 सब इन्सपेक्टर हैं । 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है इतने पद रिक्त हैं तो एक तरफ तो पुलिस की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनावश्यक भय पैदा करें तो यह उचित नहीं है । यह अनर्गल बयान दें यह उचित नहीं होगा । मान्यवर, मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे मांग करता हूं कि इस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाये और व्यापक पैमाने पर इसकी चर्चा हो । दूसरा जो एल०आई०यू० के माध्यम से मदरसों में डर पैदा किया जाता है, कहीं कह देते हैं कि बम रखा है, हथियार रखे हैं, उसके आधार पर तलाशी लेते हैं और इससे जो हिन्दू हैं उनके मन में घृणा की भावना भी पैदा होती है तो इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, 1992 में इस प्रदेश के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के सदस्य पकड़े गये थे और उन्हें पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने जो पूछतांछ की आप किस कारण से देश में आये हो, जिसे आई०एस०आई० कहा जाता है जिसका पूरा नाम इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेन्स हैं, उनके लोग कानपुर में पकड़े गये उन्होंने कहा कि हम भारत का विभाजन करना चाहते हैं । इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इंसान में घृणा पैदा करना चाहते हैं । तो इस तरह से 1992 में यह आया । मान्यवर, ऐसी गतिविधियों के संदर्भ में भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकारों में सक्रियता बरती जाती है । उसमें देश भावना से काम करने की जरूरत है अकारण किसी का खून न गिरे, भारत माता के नक्शे में बंटवारे की जहनियत न पैदा हो । यह गंगा जमुना का संगम है उस देश में प्रेम से जनता को रहने का हक है, भारत मां की सीमा सुरक्षित रहे । 1992 में ऐसी गतिविधियों की शुरूआत हुई । बार्डर पुलिस से लेकर अन्दर तक सबको सतर्क कर दिया गया, कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी । वे सेना के अधिकारी हैं पाकिस्तान में और रहते हैं कानपुर में । वे आई०एस०आई० के अधिकारी हैं सारे सर्विस में हैं, अगर दो चार दिन न पकड़े जाते तो फिर कानपुर से लेकर लखनऊ तक में आग लग जाती । हमारी ओर से कोशिश की जा रही है पुलिस सतर्क है । व्यवहारिक स्थिति पैदा की जा रही है । कोई बात आती है तो पाण्डेय जी उसे अपनी तरफ जोड़ लेते हैं । न हिन्दू न मुसलमान के नाम पर कोई बात है । बी०एस०एफ०, एस०ओ०जी०, एस०टी०एफ० तमाम इन्टेलीजेन्स की एजेन्सियां सतर्क हैं । आज मिलकर के भावना विकसित करने की जरूरत है । चाहे सुखदेव राजभर का भाई क्यों न हो अगर गलत है तो उसे जेल की सीखचों में भेजा जाय । इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है न किसी भावना से कोई कार्य किया जा रहा है । जो लिप्त होंगे बख्शे नहीं जायेंगे ।

अभी माओवादी संगठन की बात आयी, सीमा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है नेपाल में इस प्रकार का मसला चल रहा है भारत सरकार ने बैठकें की हैं । हमारी सीमा के लोग यथावत् हैं । वहां माओवादी लोगों का आन्दोलन चल रहा है जनतांत्रिक सरकार बनाने के लिये हमारी सीमा पर असर नहीं है कोई पलायन नहीं हो रहा है । आई०एस०आई० की गतिविधियों को जाति धर्म से न जोड़ा जाय ।

काफी सतर्क होकर हर स्तर पर बड़ी समीक्षा की जा रही है । महीने में हफ्ते में एस०टी०एफ० के सभी लोग सतर्क हैं । जाति धर्म के आधार पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य माता प्रसाद जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप अपने स्तर पर कह रहे हैं कि बड़े प्रयास कर रहे हैं जो आपके अधिकारी हैं जैसे आई०जी० गोरखपुर इनके बयानात छप जाते हैं भारी मात्रा में इनका नेटवर्क है तो स्वाभाविक रूप से एक भावना प्रकट होती है । प्रशासनिक अधिकारियों से आप कहें कि ऐसे बयान न दें । पहले पूरी छानबीन कर लें तब बयान दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसके लिये एक कार्य योजना है कि बयानबाजी के आधार पर कोई आतंकित नहीं करेंगे । अगर किसी एस०एस०पी० साहब ने बोल दिया तो सशंकित न हो । भय पैदा करने वाले, अविश्वास पैदा करने वाले जो बयान जारी होते हैं वह नहीं होगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मदरसे से लोग पकड़े जाते हैं, इससे वहां परेशानी होती है ।

श्री अधिष्ठाता महोदय–

तीसरी सूचना प्रमोद कुमार, अरविन्द गिरि व जगदम्बिका पाल की है तीनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव †

कुं० रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री जी का अभिभाषण बड़े गौर से पढ़ा हूं । मान्यवर, यह जो पुस्तिका हम लोगों को बंटी है यह एक निराशाजनक, एक कागज का पोथा है । मान्यवर, यह एक दिग्दर्शन होता है नयी सरकार का ।

श्री उदयराज–

मान्यवर, मैं आ गया हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इनके बाद बोलियेगा ।

नोट :–† दिनांक 20 मई, 2002 की कार्यवाही से ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

सरकार आने वाले दिनों में, इस सरकार के द्वारा किन कामों को प्राथमिकता के आधार पर एक कार्ययोजना के तहत यह सरकार करेगी लेकिन मान्यवर, जो तथ्य इसमें दिये गये हैं वह तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि इस सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है । एक बात यह है कि सरकार आपने येन-केन-प्रकारेण बना ली । नम्बर–1 पर समाजवादी पार्टी को जनादेश मिला था उस जनादेश की अवहेलना करके जो अब तक परम्परा रही है मान्यवर, उसकी अवहेलना करके, एक गठजोड़ करके एक सरकार बन गयी और उसी का परिणाम हैं कि सरकार तो बन गयी लेकिन एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव की पार्टी सरकार में शामिल है । दोनों की विचारधारा में जमीन-आसमान का अन्तर है, कहीं कोई तालमेल नहीं है । मान्यवर, सरकार बन जाना तो आसान हैं । मैंने देखा था मान्यवर, कि तेरहवीं विधान सभा में एक सरकार बन गयी कई दलों की तोड़-ताड़ कर लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिसकी संख्या–177 थी घटकर 88 सदस्यों की हो गयी जनता ने हाफ कर दिया और अगली बार साफ कर देगी । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आज प्रदेश को पुरानी सरकार ने समस्या ही समस्या दी है और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस पुस्तिका के माध्यम से उस निदान के बारे में आप बतायेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा, उस दिन मुख्य मंत्री जी भाषण दे रही थी कि पंजाब डेढ़ कमिश्नरी का प्रान्त है वहां 800 ट्रांसफर हुए । मान्यवर, मेरे जैसे आदमी को समझ में नहीं आया कि पंजाब में 500 लोग कहां से आ गये । ट्रांसफर करने के लिए और क्या पंजाब में कोई नीति सिद्धान्त के विपरीत कोई कार्य होगा तो उसका अनुसरण करना है उसी पर मौजूदा सरकार चलेगी, यह बात समझ में नहीं आती । मान्यवर, ट्रांसफर-पोस्टिंग की एक नीति होनी चाहिए ।

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को यह प्रोगेटिव है, उनको यह अधिकार है लेकिन यह भी एक निश्चित तथ्य है कि आई०ए०एस०, आई०पी०एस० या पी०सी०एस० में जो चुनकर आते हैं वह प्रतियोगिता में सफल होने के बाद उनका चयन होता है और वह संविधान के तहत कसम खाकर आते हैं कि जो काम करेंगे वह संविधान के तहत करेंगे लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वह बेतहाशा हो रही है कोई नीति और सिद्धान्त नहीं रह गया है । चीफ सेक्रेट्री के पास और डी०जी०पी० की पोस्ट केवल कागज में बनकर रह गयी है । क्या मतलब है चीफ सेक्रेट्री का, पुलिस महानिदेशक का पोस्टमैन हैं, ट्रांसफर मुख्य मंत्री करता है, उसका पालन उनको करना है उसका नतीजा क्या हो गया है कि आज डी०जी०पी० और चीफ सेक्रेट्री का कोई रूल नहीं रह गया है । उनको कोई घास नहीं डालता है क्योंकि वह जानते हैं कि चीफ सेक्रेट्री कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कमिश्नर का ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं, डी०जी०पी० किसी पुलिस कप्तान का ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं तो केन्द्र सत्ता का कहां बन रहा है । हम यह कैसे मान लें कि कोई मुख्य मंत्री को हर अफसर के बारे में मालूम है । आज हमने देखा है कि जूनियर आफिसर को सीनियर जगह पर भेजा गया है और जो सीनियर आफिसर हैं उनको जूनियर आफिसर की जगह पर भेजा गया है यह इसलिये हो रहा है कि कोई ट्रान्सफर नीति नहीं है । मैं मानता हूं कि चीफ सेक्रेट्री, डी०जी०पी० और प्रमुख सचिव जो सीनियर हैं उनकी एक कमेटी बने और उनकी रिकमेन्डेशन पर ही, उनकी संस्तुतियों पर ही ट्रान्सफर होना चाहिए और कम से कम एक अधिकारी एक जिले में दो -ढाई साल रहे जब तक कोई प्रशासनिक कारण न हो उनका स्थानान्तरण नहीं

होना चाहिए । सरकारें आना-जाना एक सतत् प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में यह नहीं होना चाहिए कि एक सरकार बदले तो एक तरफ झाड़ू लगाकर सब अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाय ।

आज हमारे 16 करोड़ के प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे, 36 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हमारे प्रदेश में रहते हैं और सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें क्या कहा है कि हम विकास की दर को बढ़ायेंगे । विकास की दर आज क्या है । आप जब वित्त मंत्री थे तो मैंने कहा था कि विकास की दर भारत सरकार की 5.6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 3 प्रतिशत से कम है और आज वही बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा अगर आपको गरीबी घटाना है तो जब विकास की दर 8 प्रतिशत से ज्यादा होगी और लगातार 4-5 साल चलेगी तभी आप गरीबों की संख्या कम कर सकते हैं । इस पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलायेंगे कितनी है पट्टे की जमीन, जमीन कोई रबड़ नहीं है कि उसको बढ़ा दिया जाय । इससे होता क्या है कि एक बिस्वा आपने जमीन दे दी गरीब आदमी उसमें घर तो बना सकता है अगर घर नहीं है लेकिन एक बिस्वा जमीन में गरीबी कहां से खत्म होगी ? उनको रोजगार कराये, नौकरी दिया जाय, कोई व्यवसाय दिया जाय ।

मान्यवर, दुनियां में जो मुल्क हैं चाहे यूरोप का देश रहा हो या कोई और खेती पर से लोगों की आत्मनिर्भरता कम करके उनको दूसरे उद्योगों में, व्यवसायों में, नौकरियों में, रोजगारों में लगाया गया तब वह देश तरक्की किये हैं । लेकिन हमारे देश में 72 फीसदी लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं, 55 सालों की आजादी के बाद । यह क्या दर्शाता है । हमारे प्रदेश में कोई उद्यमी उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं है, हमारे यहां बिजली नहीं है, हमारे यहां कानून का राज नहीं है । स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम कानून का राज चलायेंगे, कैसे चलायेंगे ? जब अपराधियों को टिकट देंगे, अपराधियों को मंत्री बनायेंगे तो कानून का राज कैसे चलेगा ? मैं मानता हूं कि आज सब पार्टियां अपराधियों को टिकट न दें तो यह काम हो सकता है । हमारे यहां तो समाजवादी पार्टी जिसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपराधियों को टिकट न देने का फैसला करके बड़ा काम किया है, मैं उनको बधाई दूंगा । इस बात को सब पार्टियां तय कर लें । मेरे यहां तो मेरे विरोध में एक पार्टी ने दुर्दान्त अपराधी के भाई को टिकट दिया, भाई अपराधी नहीं है, लेकिन उसके भाई के साथी वहां मदद को आये और वह दुर्दान्त अपराधी भी वहां गया था । मैं कहना यह चाहता हूं कि केवल कह देने मात्र से कोई समस्या का निदान होने वाला नहीं है ।

आज उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा है, एक पैसे का भी पूंजी निवेश पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश में नहीं हुआ है । केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थोड़ा पूंजी निवेश हुआ है, वह इसलिये हुआ है, क्योंकि वह दिल्ली के करीब है । अगर आपकी कोई पूंजी निवेश की योजना है तो क्या आप बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों उद्योग नहीं लगे, क्या आपने कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेप किया है, या डेवलप करने की बात कही है । उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी, जिसकी आप बार-बार दुहाई देते हो, इन्टरमीडिएट में 50-100 रुपये फीस ली जा रही है, कहां से गरीब आदमी, गरीब किसान यह फीस देगा । आपने कह दिया कि हम केवल वित्त विहीन मान्यता स्कूलों को देंगे तो नतीजा क्या होगा, टीचर की तनख्वाह कितनी मिलेगी, 250-300-500 रुपये । आप कहते हैं कि हमारे

पास बजट नहीं है । मैं विदेश की बात नहीं कह रहा हूं । हमारे देश में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश हैं, आप उनका बजट शिक्षा का देख लीजिये और हमारा बजट देख लीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि आपको इच्छा-शक्ति दर्शानी चाहिये । इच्छा-शक्ति आपमें है नहीं तो आप इस प्रदेश का भला नहीं कर सकेंगे । आने वाले दिनों में यह प्रदेश आगे जाने की बजाय पीछे ही जायेगा । इसलिये मेरा आग्रह है कि इस पर आप पुनर्विचार करिये और इस प्रदेश में माहौल बनाइये ताकि उद्यमी आयें और उद्योग लगायें, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले और वह इस प्रदेश को आगे ले जायं, धन्यवाद ।

श्री उदयराज–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य विपक्षी नेताओं के जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं, उनके पक्ष में मैं अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो दूसरे दलों की मिली-जुली सरकार बनी है, इस सरकार की उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के बारे में न कोई सोच है न तो यहां के बेरोजगारों के बारे में इनकी कोई सोच है, न तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में इनकी कोई सोच है और न ही उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी इनकी कोई सोच है । केवल इनकी एक ही सोच थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश की जनता ने एक जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया था । माननीय मुलायम सिंह को सत्ता में आने से रोकने का काम किया । यह इनकी सोच थी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के तीसरे पृष्ठ पर मैंने पढ़ा है उसमें लिखा गया है कि "मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा कि प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा हो ।" लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश के हर कोने में कहीं हत्या की घटनाएं हो रही हैं, कहीं लूट, बलात्कार और डकैतियां हो रही हैं । मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, परसों ही लखनऊ जनपद के अन्दर जहां पर सरकारी अधिकारी और मंत्री रहते हैं, दिन-दहाड़े एक ठेकेदार की हत्या करने का काम किया गया । हमारे साथी जो सत्तापक्ष में बैठे हैं, ये दुहाई देने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित महिला मुख्य मंत्री बनायी गयी है ।

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं । आज उनके कार्यकाल में किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं । मैं जानकारी देना चाहता हूं । उन्नाव में थाना–सोहरामऊ के बोधवापुर में एक महिला प्रधान के घर पर कुछ अपराधियों ने घर पर चढ़ने का काम किया, 9 लोग गोली लगने से घायल होते हैं । 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी आज तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करने में कामयाब नहीं हुई है । जहां तक विकास का सवाल है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी का कहना है कि जितने भी अम्बेडकर गांव 2002 तक स्वीकृत हुए हैं उनको 30 सितम्बर तक हम उनका संतृप्तीकरण करने का काम करायेंगे । मान्यवर, किस तरीके से उनके संतृप्तीकरण का काम करायेंगी । चूंकि 13वीं विधान सभा में मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 13वीं विधान सभा में जो लोक निर्माण मंत्री जी थे हमारे क्षेत्र में जाकर कई सड़कों को शिलान्यास करने का काम किया था, आज तक उन सड़कों को पूरा

करने का काम नहीं किया गया है । मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें होंगी जो आज अधूरी पड़ी हुई होंगी जिनका 5-6 सालों में, पिछले 10 वर्षों में पूरा करने का काम नहीं हुआ है । किस तरीके से सरकार विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगी ? मान्यवर, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, आज उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, बिजली की समस्या है । यह सब आपके सामने है ।

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, चूंकि आपने इशारा किया है, मान्यवर, हमारे साथी बराबर कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं अगर लोकप्रिय सरकार की बात करते हैं तो हमारे साथियों को देखना चाहिए कि 1989 और 93 की सरकार को, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार को और उनके द्वारा किए गये कार्यों को किस किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था । किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए स्कूलों में उर्दू अनुवादक नियुक्त करने का काम किया था । मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं किस तरीके से किसानों को ग्रामीण अंचलों में माननीय मुलायम सिंह यादव ने 16 घण्टे बिजली देने का काम किया था और किस तरीके से नहरों में टेल तक पानी देने की व्यवस्था की थी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार है उसकी न कोई नीति है, न योजना है और न ही किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का कोई समाधान है न कोई सोच है । न ही मान्यवर, इनको यहां के दलितों के प्रति कोई हमदर्दी है । अगर इनको कोई हमदर्दी होती तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की तीसरी बार मुख्य मंत्री बनी है, निश्चित तौर पर दलितों के हित में कुछ करने का काम किया होता । वहीं मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने साहसिक कदम उठाकर के दलितों को समाज में बराबरी का भागीदार बनाने का काम किया था । मान्यवर, मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज की जो समस्याएं हैं, इस सरकार से कहिये कि उस समस्याओं की तरफ ध्यान देने का काम करे । अन्त में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और हमारे तमाम माननीय साथियों के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव में कहा गया है उस पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

दलों की सदस्य संख्या बल के आधार पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिये जाने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । श्रीमन्, आज धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह चर्चा चल रही है । जिन सदस्यों को बोलने का आप जैसा क्रम बनायेंगे यह आपका विवेक है, आपका अधिकार है । मेरा कहना है कि दलों की सदस्य संख्या के आधार पर आप समय देने का काम करेंगे, बाकी आपका अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो आप कह रहे हैं, उसके अनुसार पहले से ही चल रहा है, लेकिन आप थे नहीं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

* हाजी याकूब–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है मैं इसका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार में भय मुक्त, अन्याय मुक्त, विकास युक्त वातावरण होगा। इसके साथ-साथ हम समस्या का हर वर्ग के लोगों का मान-सम्मान रखा जाएगा और जो पिछली सदियों से दबे कुचले, कमजोर लोग जुल्म का शिकार होते आ रहे हैं उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। अल्प संख्यक जिसमें हिन्दू, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, दलित सहित जितने लोग आते हैं उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही हमारे साथी ने अभी...।

(व्यवधान)

अल्प संख्यक लोगों के धार्मिक मदरसों की बात कही। उन्होंने कहा कि मदरसों को आई० एस० आई० का अड्डा बनाया जाता है। यह बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विपक्ष के लोगों ने मदरसों को आई०एस०आई० का अड्डा बताया। अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य कह रहे थे पिछले समय में दो बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही है। [x x x]।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने व टोकाटाकी करने पर शोर/व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह बात सही नहीं है। पहले इसे कार्यवाही से निकलवाइये। [x x x]

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्त रहिये। आप किसी का नाम मत लीजिए।

हाजी याकूब–

मान्यवर, जो सच्चाई है उसको सुनना चाहिए ...।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह बेहूदा आरोप है और इसको पहले आप कार्यवाही से निकलवाइये। जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

(शोर/व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहिये, कार्यवाही चलने दीजिए । जो इस सदन में नहीं हैं उनका नाम लेकर के आरोप न लगायें ।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी ने सदन में अखबार की प्रति दिखायी)

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

[x x x] यह देखिये अखबार में आया है कि [x x x] । यह इस सरकार में हो रहा है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब बड़े वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं । उनसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं । आपने चाहे आक्रोश में बेहूदा आचरण शब्द कहा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप कार्यवाही दिखवा लें । बेहूदा आरोप लगाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिये, मैंने बेहूदा आरोप शब्द का प्रयोग किया है यह संसदीय है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों से अनुरोध है कि एक अच्छी चर्चा चल रही है बोलने वाले लोग ध्यान रखें कि उनकी बात लोग सुनें । इस तरह से बोलेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुन पायेगा । बोला ऐसा जाय जो दूसरे लोग सुनें और दूसरे की बात हम लोग सुनें । आप लोग शान्ति बनायें रखें । जो आपत्ति उठायी गयी है उसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

हाजी याकूब–

माननीय [x x x] के बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा था.....

श्री अधिष्ठाता–

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम न लीजिये और कोई बात कहें तो इस ढंग से कहें कि दूसरे लोग उसको सुनें और समझने की कोशिश करें ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हाजी याकूब–

मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बार सरकार ब०स०पा० की उत्तर प्रदेश में बनी । उस समय के सरकार के कारनामें जनता के सामने हैं । आज मुसलमानों के मदरसों की बात तो होती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक दंगा हुआ था, जिसमें 6 महीने कर्फ्यू लगा था और उस समय लोगों को घर से निकाल-निकाल कर मारा गया था ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि मलियाना, इमलियान जिसमें मृतकों पर बसें चढ़ा दी गई थी मेरठ दंगे में जिनकी जांच ज्ञान चन्द कमेटी ने की थी उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई लेकिन उस जांच में इनके चहेते अफसर फंस रहे थे इसलिए वह रिपोर्ट दबा दी गई । मेरठ दंगे में सारे दंगे फीके पड़ जाएंगे । मैं कहना चाहता हूं । मदरसों को आई०एस०आई० का एजेंट कहने वाली यह पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है । मैं कहना चहाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोई भी दंगा कोई भी मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार नहीं हुआ । बहन मायावती की सरकार में मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम समाज के बच्चों को वजीफा देने का काम किया गया । दुबारा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उस वजीफे को दो गुना कर दिया गया । आज भी सरकार ने कहा है कि मुस्लिम धार्मिक मदरसों में धार्मिक शिक्षा साथ-साथ आधुनिक तालीम के लिए वजीफा दिया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

आज पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी का तहे दिल से विश्वास रखते हैं । विपक्ष के लोग मुस्लिम को बरदाश्त नहीं कर पा रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया....

श्री अधिष्ठाता–

पहले बंसल जी बोल लें ।

* श्री विवेक बंसल–

अधिष्ठाता महोदय, राजनीतिक दलों के सम्मानित नेतागण मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं । यह परम सौभाग्य है मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं का अभिलाषी हूं । जिससे अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर सकूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस लोकप्रिय सरकार के गठन पर शक किया गया। मान्यवर, यह लोकप्रिय सरकार न होकर मजबूरी की सरकार है। यह आपॉर्चुनिस्टिक एलायंस है। यह उन पार्टियों का अलायंस है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। आज उन पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है जिसमें से एक हमेशा से ही अल्पसंख्यक विरोधी रही है। आज की इस सरकार के गठन होने के बाद से ट्रांसफर उद्योग बहुत अच्छी तरह पनप रहा है। स्वच्छ छवि के अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है जिले से बाहर किया जा रहा है। चार-चार, पांच-पांच बार ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि एक जीता-जागता उदाहरण है। ट्रांसफर उद्योग ज्यादा पनप रहा है कोई और उद्योग पनप रहा हो न पनप रहा हो। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहते हैं कि बड़ी दुर्दशा है इसकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति दुर्दशा में है, यह कह कर बात नहीं चलेगी। पिछले सालों में जो सरकार थी, जिस पार्टी की सरकार थी आज वह भी सदन में सरकार में हैं। आपका क्रेडिट डिपाजिट रेशियो 26 प्रतिशत है जबकि अन्य जगह में 100 प्रतिशत भी है। चीफ मिनिस्टर बाहर जाते हैं मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैंडिग साइन करते हैं और बताते हैं कि फलां के साथ हमने यह मेमोरेन्डम साइन किया है। लेकिन मान्यवर, यह यथार्थ में नहीं होता है। कोई पूंजी निवेश हमारे यहां नहीं होता है ? यह सब कागजों तक ही सीमित रहता है वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं होता है। [x x x]

अभिभाषण में कहा गया है कि प्रदेश को अपराध मुक्त, भयमुक्त सरकार देंगे लेकिन मान्यवर, आम आदमी से पूछिये तो वह हंसता है और कहता है कि माफियाओं के लोग सरकार में शामिल हैं तो यह कहां से भयमुक्त सरकार दे सकते हैं ? मैं कहना चाहता हूं सजा के बारे में कि कितने परसेन्ट लोगों को सजा मिलती है। मुश्किल से 6-7 परसेन्ट लोगों को सजा मिल पाती है और वह भी 10–12 साल के बाद। इसके बारे में कुछ स्पष्ट राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, क्षमा कीजियेगा, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल महोदय। पहली बार चुनकर इस सदन में आप ज्ञानी लोगों के बीच में आया हूं और पहली बार बोलने का मौका मिला है इसलिये यदि कोई त्रुटि हो जाय तो क्षमा चाहूंगा।

मान्यवर, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस बारे में कोई कठोर कदम उठाने की बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। इसको हमने एक वोट बैंक बना रखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये कदम उठाये गये हैं। वहां चुनाव में हिस्सेदारी भी उसे ही मिलेगी जिसका परिवार सीमित हो, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी तब ही मिले जब परिवार सीमित हो। यदि इस तरह के कदम यहां भी उठाये जायं तो एक कारगर उपाय होगा। बताया गया कि 90 करोड़ का ऋण है और उसका इन्टरेस्ट 10 हजार करोड़ देना पड़ता है। वह भी ऋण में लेते हैं और उसमें ही लोगों की तन्ख्वाह बांट रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि आज हम जब तक लोगों को स्वच्छ सरकार नहीं देंगे, एक उदाहरण जनता के सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है ? मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं बिजली देने में यह सरकार सक्षम नहीं है हमारे यहां 16 घंटे बिजली

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आ रही है यह कहा गया लेकिन हमारे यहां 5-6 दिन से 12 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। ताला उद्योग चरमरा रहा है बच्चों के पुनर्वास की बात कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाए रखे।

श्री विवेक बंसल–

श्रीमन् मैं बताना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो भट्टियों को आग देते हैं उनकी दुर्दशा आप देखें। मंत्री जी ने कहा है कि पुनर्वास हुआ है। मैं सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन साथियों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना, मुझे उम्मीद है सदन में जो बातें उठ रही हैं उस पर मंत्रीगण चिन्तन करेंगे मुख्य मंत्री जी चिन्तन करेंगी।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक कल्याणकारी जन हितकारी सरकार के लिए, जनहित में जितने बिन्दु हो सकते थे इस दस्तावेज में सब बिन्दुओं का समावेश किया गया है चाहे अपराध नियंत्रण हो, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे विद्युतीकरण का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो माननीय सदस्य कह चुके हैं मैं तो समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रतिपक्ष से एक बात कही जाती है उनको पीड़ा है सरकार बनाने का अवसर नहीं मिल पाया, चाहे वह पुराने सदस्य हों चाहे पहली बार चुनकर आए हों।

(व्यवधान)

आपको जब मौका मिले तब बोलिएगा। मान्यवर, हर किसी ने इस बात पर पीड़ा व्यक्त की है कि उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। मैंने चन्द लाइनें लिखीं हैं उसको मैं आपके माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहता हूं–

"हो के महरूम हुकूमत की कुर्सियों से उन्हें
आज कानून कायदों की याद आई है,
जिनके हाथों लहू–लुहान लोकतंत्र हुआ,
उनके होठों पे लोकतंत्र की दुहाई है।
खुद को जनता से नकारा हुआ नहीं कहते,
खुद को अन्याय का मारा हुआ बताते हैं,

चन्द हमदर्दियों की भीख मांगने के लिए खुद को ईसा की तरह क्रास पर चढ़ाते हैं

मान्यवर, मैं 1996 की याद दिलाना चाहता हूं जब भाजपा के पौने दो सौ सदस्य थे और उसको सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया था कहां गई थी तुम्हारी तमाम नैतिकता

अपनी सरकार बनाने को तुम बढ़े थे जब,
खोद दी कब्र प्रजातंत्र की हुकूमत ने,
यह मगरमच्छ के आंसू कहां गए थे तब ।
हारकर जंग सियासत के हर मुहाने पर,
अब तो खिसिया के खम्भों को नोंचना छोड़ों
पांच वर्षों को बजाओं विपक्ष की ढोलक
कोई साजिश कोई तरकीब सोचना छोड़ों ।
कुछ तो सोचों कि खोपड़ी का हश्र क्या होगा,
सच की चट्टान पे माथे को पटकते क्यों हो,
सारी जनता ने जो औकात तुम्हें बख्शी है,
कुबुल करने में अब इसको झिझकते क्यों हो ।।

(मेंजे थपथपाई गई)

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं । हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गुजरात में नरेन्द्र मोदी मुख्य मंत्री न होते । संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि एक प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार बने और दूसरे प्रदेश के मुख्य मंत्री को बर्खास्त कर सके । क्योंकि यह व्यवस्था केन्द्र सरकार के पास है । दूसरी बात यह है कि यह भी इस सदन में कहा गया, अस्पताल के बारे में, चिकित्सा विभाग के आंकड़ों को देखकर यह कहा गया है कि अस्पताल में सात रुपये का पर्चा बनता है, 15/- रुपये में खून की टेस्टिंग होती है, अल्ट्रासाउड की फीस 120/- रुपया है और 35/- रुपये में एक्स–रे होता है । उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि सन् 2000 का शासनादेश है जिसमें बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को सुविधा प्रदान की गयी है । ऐसे लोग अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं । टेस्टिंग की भी माफी का उसमें प्राविधान है । तो सदन में कुछ कहने से पहले उसका परीक्षण करा लेना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय गया चरण दिनकर जी धन्यवाद का प्रस्ताव लाये हैं, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री दीनानाथ भास्कर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अधिष्ठाता महोदय, मैं जनपद संत रविदास नगर, भदोही से सम्बन्ध रखता हूं । मैं विधान सभा भदोही से चुनकर आया हूं । मैंने महामहिम श्री राज्यपाल

के अभिभाषण को पढ़ा । संत रविदास नगर, भदोही के बारे में कोई भी कार्य योजना इसमें नहीं दर्शायी गयी है । मान्यवर, भदोही एक ऐसा जनपद है जो कालीन उद्योग के बारे में भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में जाना जाता है । पहले वहां पर कालीन उद्योग का प्रतिवर्ष 2400 करोड़ रुपये का टर्न ओवर था लेकिन अब यह घटकर 1600 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पर आ गया है इसके पीछे मान्यवर, कारण है सरकार का ध्यान नहीं देना है, जिसकी वजह से यह दुर्दशा आयी है ।

मान्यवर, यह कालीन उद्योग एक ऐसा व्यापार है जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर भूखमरी के कगार पर आ गये हैं, जिनका पेट बर्द्धन होता रहा है । आज वह कालीन उद्योग चाईल्ड लेबर ऐक्ट के दुरुपयोग के कारण विशेष तौर पर चौपट हो रहा है अभी चाईल्ड लेबर ऐक्ट सम्बन्धित इस हाउस में सवाल आया था तो वहां इस ऐक्ट के अन्तर्गत डिप्टी लेबर कमिश्नर के माध्यम से दुरुपयोग हो रहा है । अब चाहे वह जानवर पालने वाला व्यक्ति हो या किसान का बेटा या चाहे बाल काटने वाले का बेटा हो या बढ़ई का बेटा हो, किसी भी व्यक्ति का बेटा हो, अगर वह पढ़ लिखकर घर लौटता है और कुटीर उद्योग के कामों में अपने माता-पिता का हाथ बंटाता है तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर चाईल्ड लेबर ऐक्ट लगाया जा सकता है । यही कारण है कि आज भदोही में डिप्टी लेबर कमिश्नर फर्जी मुकदमें लगा-लगा कर कालीन निर्यातकों को परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां कालीन उद्योग चौपट होने के कगार पर है ?

मान्यवर, हमारे जनपद भदोही में केवल 6 घंटे से ऊपर किसी कीमत पर बिजली नहीं मिल रही है जबकि कालीन उद्योग होने के नाते 15 घंटे बिजली मुहैया होनी चाहिये । उसे सी० श्रेणी में रखा गया है जबकि संत रविदास नगर को बी० श्रेणी में रखकर विद्युत मुहैया करायी जाय । साथ ही साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भदोही में कोई भी पैकेज की व्यवस्था नहीं की गयी है जबकि हम जिस छोटे जिले के रहने वाले हैं और वहां का आप टर्न ओवर देख लें । मान्यवर, भदोही को इकनामिक जोन में रखा गया था वह जो योजना है वह विचाराधीन पड़ी हुई है इसलिये अनुरोध है कि वह इकनामिक जोन जल्दी से जल्दी कार्य रूप में बदली जाय । मान्यवर, वहां ओराई चीनी मिल बंद पड़ी है वहां के मजदूरों का कर्मचारियों का 3 साल से वेतन नहीं मिला है जो वहां पर गन्ना किसान हैं उनका पैसा भुगतान नहीं हुआ है । गन्ने के बकायेदारों का पैसा उपलब्ध कराया जाय ।

(इस समय 3 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह पीठासीन हुए ।)

मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों का मिल से तीन साल से वेतन नहीं मिल रहा है, वह भूखमरी के कगार पर हैं उनके वेतन के भुगतान की व्यवस्था की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री दीना नाथ भास्कर–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य-मंत्री जी बैठे हुए हैं भवानीपुर मिर्जापुर थाना मड़ियांव में एक घटना की बात हुई थी जिसमें नक्सलवादी को मारने का दावा पुलिस ने किया था लेकिन वह मारा नहीं गया उसमें 15 निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है । यह माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने मिर्जापुर जाकर कहा था कि भाजपा की सरकार है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भूत चढ़ गया है उस भूत को उतारने के

लिये आ गये हैं मैं संसदीय कार्य-मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिस नक्सलवादी को मारने का दावा किया गया था वह मारा गया है ?

आज बहुजन समाज पार्टी की बात, मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो [x x x] यह कहती रही है ।

(घोर व्यवधान)

इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में पहली बार चुन करके आया हूं, बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने के बाद मेरी समझ में जो बाते आयी है वह यह कि लगता है राज्यपाल का यह अभिभाषण भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक एजेण्डा मात्र है । चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही थी कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो लेकिन हर कीमत पर सरकार बनाने का काम हम करेंगे । चुनाव के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक बात कही थी कि सबसे बड़े दल को बुलाना कोई आवश्यक नहीं है उससे साफ परिलक्षित होता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह पहले से ही तय कर लिया था कि प्रदेश में हर कीमत पर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने का काम करना है । मान्यवर, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में जब माननीय अटल बिहारी बाजपेयी को सरकार बनाने का मौका दिया गया था तब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था । महोदय, जब उत्तर प्रदेश में भारत के प्रधान मंत्री ने रोमेश भण्डारी के खिलाफ आन्दोलन करने का काम किया था, अनशन करने का काम किया था तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जब पूर्व राज्यपाल रोमेश भण्डारी के खिलाफ ऐसा आन्दोलन कर सकते हैं तो उन्होंने वर्तमान राज्यपाल को ऐसा आचरण करने की आज्ञा क्यों दी ? इससे साफ परिलक्षित होता है कि वर्तमान राज्यपाल ने जो काम किया है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले पन्ने में लिखा जायेगा ।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में यह कहा गया कि यह सरकार दलितों, गरीबों के लिए काम करेगी, मैं दूर नहीं जाना चाहता दलित की बेटी, मैं भी एक दलित हूं, मैं एक दलित की बेटी से पूंछना चाहता हूं कि 13 मई, को थाना आशियाना के अन्तर्गत मिट्टी ढहने से 4 मजदूर देवतादीन, राकेश, शिव बालक, रामहर्ष मर गये । ये चारों पासी बिरादरी के थे, दलित हैं । उनके मरने के बाद वहां इंजीनियर ने, ठेकेदार ने कोई तबज्जों नही दी और उत्तर प्रदेश के दलित मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 20–20 हजार रुपया मरने वाले को देते हैं । मैं दलित परिवार की मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बड़े आदमी के मरने पर 5 लाख रुपया दिया जायेगा और दलित मर जायेगा तो उसके जिन्दगी की कीमत 20 हजार रुपया होगी । 20 हजार रुपये में तो बैल की जोड़ी भी नहीं खरीदी जा सकती है । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया लेकिन एक नया पैसा भी आज तक उन परिवारों को देने का काम नहीं किया गया है इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी ? आज बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर, पिछड़ों पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय हो

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रहा है उससे साफ परिलक्षित है कि सरकार के मंसूबे ठीक नहीं है । हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सवाल किये थे उसका जवाब देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा–

जो लोग अपने लाभ के लिए वतन को बेच देते हैं,

बागवां बनकर चमन को बेच देते हैं,

इस मुल्क में कुछ ऐसी भी गद्दार बाकी हैं,

जो नोचकर शहीदों के कफन बेच देते हैं ।

* श्री अनवर महमूद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने का आपने समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, मुझे दुख है इस बात का कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन गरीब किसानों का जिक्र नहीं किया जो किसान आज कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं । एक समय ऐसा आयेगा कि उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायेगा । आज किसान को अपने बेटे की शादी करनी है, घर बनाना है तो कर्ज का सहारा लेना पड़ता है । आज यहां प्रदेश में रहने वालों की यह दुर्दशा है कि–

दिखा रहा है जो बच्चों को ख्वाब महलों का,

खरीदकर वह खिलौना भी दे नहीं सकता ।

जहां तक बिजली का सवाल है प्रदेश के गांव में 2–4 घंटे बिजली रहती है गरीब त्राहि-त्राहि कर रहा है, कुटीर उद्योग बन्द हो चुके हैं । आज राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिजली का जिक्र नहीं किया । जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है । एससी, एसटी ऐक्ट में शरीफों को परेशान किया जा रहा है । राजनीतिक प्रतिवन्दिता के चलते झूंठी दरख्वास्त दिलाकर शरीफों को परेशान किया जा रहा है और पुलिस पैसा ले रही है । कानून व्यवस्था की यह हालत है कि –

अपलास ने बच्चों को भी संजीदगी दे दी,

सहमें हुए रहते हैं शरारत नहीं करते ।

महामहिम राज्यपाल ने मदरसों का जिक्र नहीं किया जिनको लोग आई०एस०आई० का अड्डा बताते हैं, जिनको आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है । मैं उनको बताना चहाता हूं कि यह वही मदरसे हैं, जहां से निकलकर लोगों ने जंगे आजादी में भाग लिया, जबकि पटना में एक मदरसे को जला दिया गया था । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मदरसों में नफरत की शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि मदरसों में लकुम दिलकुम वलयादीन की शिक्षा दी जाती है यानि तुम्हें अपना दीन मुबारक और मुझे अपना दीन मुबारक हो । जब मैं पहली बार जीतकर आया तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधान सभा के अन्दर पहुंचा, जब मेरी नजर गांधी जी के चित्र पर पड़ी तो ऐसा लगा कि गांधी जी जैसे बोल रहे हों "वतन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बच्चे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है ।" मुझे अपने बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, समर्थन में बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के गठन के पश्चात भी लगभग दो माह तक उत्तर प्रदेश में किसी लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हो पाया जिससे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी पड़ी । ऐसी स्थिति में दो माह बीत जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर, 16 करोड़ जनआकांक्षाओं की पूर्ति के लिये एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया । लोकतंत्र का स्पष्ट मत है कि भविष्य और वर्तमान का निर्धारण चुने हुये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिये । हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का संरक्षण करना चहाती है । हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिये स्पष्ट नीति और नीयत के तहत कार्यक्रम क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे हुये लोग बार-बार यह आरोप लगा रहे हैं कि यह गठबंधन बेमेल और नापाक है और केवल अवसरवादिता के लिये है और यह भी कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम हितों से समझौता कर लिया है । मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनसे पूछना चाहता हूं, जो साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब आपने बाबरी मस्जिद विध्वंस करने वाले को अपनी पार्टी में लेकर लोकसभा में प्रचार कराया था, साथ ही साथ उसको महिमामंडित करते हुये लोकसभा में भेजने का काम किया था, तब आपको मुस्लिम हितों की याद क्यों नहीं आई ? तब आप लोगों की जुबान क्यों बंद हो गई थी ? यह समझते हैं कि जो इनसे मिले वह धर्मनिरपेक्ष है और जो इनसे अलग हो जाय वह इस देश में साम्प्रदायिक घोषित हो जायेगा । यह पारसमणि हैं, जिसको छू लें वह सोना हो जायेगा और जिनसे यह अलग हो जायेंगे वह पत्थर हो जायेगा । पत्थर तो इनकी आंख पर पड़ गया है । इस प्रदेश की क्या जन भावनायें हैं, क्या उसकी समस्यायें हैं..मान्यवर, यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब प्रदेश की भावानाएं क्या हैं ?

मान्यवर, जो बार–बार यह कहा जाता है कि हमने साम्प्रदायिकता से समझौता कर लिया है हमने फासिस्टवादी तत्वों से समझौता किया है, जब ये समझौता करेगे तो वह लीला होगी और हम करेंगे तो वह अपराध हो जायेगा । लेकिन वास्तविकता यह है कि जब से हमने इनको छोड़ दिया है तब से ये गद्दी के लिए परेशान हैं । ये सरकार में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाये । ये पूरी तरह परेशान हैं कि इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी सरकार नहीं बना पाये । मान्यवर, ये अपने कारनामों की वजह से ही नहीं बना पाये क्योंकि जो इनके करीब गया उसका [x x x] का काम किया । कांग्रेस इनके समीप गयी उसे तोड़ने का काम किया, कम्युनिस्ट पार्टी इनके समीप गयी उसे अपने में मिलाने का काम किया जब बहुजन समाज पार्टी गयी इनके साथ तो उसे भी तोड़ने का काम किया तो कोई भी पार्टी इनको समर्थन देने को तैयार नहीं है । इन्हें आत्म चिन्तन करना चाहिए कि यह उनके कर्मों का दण्ड है कि इतनी बड़ी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संख्या में होते हुए भी सरकार बनाने के लिए तरस रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों से इस आशा के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग, लोगों की भावनाओं को समझ सकें और एक कल्याणकारी सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपना रचनात्मक सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री चितरंजन स्वरूप–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपराध मुक्त, भयमुक्त और विकासयुक्त सरकार का नारा दिया गया है। मान्यवर, आज सारा प्रदेश जानता है कि आज कितने अपराध बढ़े हुए हैं। मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र से आया हूँ। आज वहाँ अपहरण, लूट हत्या बलात्कार इस प्रकार बढ़ रहा है कि आम नागरिक वहाँ भय व आतंक के वातावरण में जी रहा है। अभी पिछले लगभग 10 दिन पूर्व हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यामीन चौधरी की हत्या हुई ग्राम भंडूर के अन्दर चार व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गोली से भून दिया गया। चारो व्यक्ति पिछड़े व दलित समाज के थे अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। नरेन्द्र गर्ग को दिन–दहाड़े गोली मारकर 10 लाख रुपये लूट लिए गये और अपराधी सरेआम घूमते रहे। मान्यवर, यह स्थिति आज इस प्रदेश की हो चुकी है। श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जायेगी। मान्यवर, जिस सरकार में एक ऐसा घटक भाजपा बैठा है, जिसकी केन्द्र में सरकार है और गुजरात में हो रहे नरसंहार जो अभी भी चल रहे हैं, यह नापाक प्रदेश सरकार उसके साथ की गठबंधन की सरकार किस प्रकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। एक मौका परस्त गठबन्धन बनाकर के समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने का षड़यंत्र जो राज्यपाल ने किया, मैं कैसे मानूँ कि उस अभिभाषण का कोई पक्ष कर सकता है।

आज उद्योग धन्धों की हालत मुजफ्फरनगर में यह है, जिसे कभी वहां के उद्यमियों व्यापारियों द्वारा अपने निजी संसाधनों के बलपर एक औद्योगिक नगर बनाया था। वहां पर सरकार की गलत नीतियों के कारण और बढ़ते हुए अपराधों के कारण आज वहां 60 फीसदी उद्योग बन्द हो चुके है। मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के अपने अभिभाषण के अन्दर औद्योगिक परिक्षेत्र स्वीकृत इकाई के रूप में बनाने के लिए कुछ कहा है, हमारा मुजफ्फरनगर जो एन०सी०आर० अन्तर्गत है में आता है और जो अपने उद्योगों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बना चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करता हूँ कि उसको विशेष औद्योगिक परिक्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए।

मान्यवर, कुछ समय पूर्व भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी मुजफ्फरनगर आये थे और उन्होंने वहां पर शुक्रताल को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की थी। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि शुक्रताल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाय। क्योंकि गंगोत्री व हरिद्वार के उत्तरांचल में जाने के बाद यह पहला प्रदेश में तीर्थ स्थल है। मान्यवर, हमारे यहां की गुड़ की मण्डी भारत ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा स्थान है उसका। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर एक ऐसी कोई योजना लागू की जाये जिससे कि वहां पर जो गुड़ और खाण्डसारी का कुटीर उद्योग

जो लगातार गिरता चला जा रहा है और उसकी स्थिति खराब हो गई है, वह ठीक हो सके । वहां की जो रोहान चीनी मिलें हैं वह शुगर कार्पोरेशन के अन्तर्गत हैं और पिछले काफी समय से उसका विस्तारीकरण न होने से बन्द पड़ी हैं उनको तुरन्त चालू किया जाय और नाबार्ड योजना के अन्तर्गत जो लोहे का पुल दिनांक 28-10-98 में पास हो चुका है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूँगा, जिससे 30 गांवों के किसानों को मंसुबपुर चीनी मिल में गन्ना ले जाने का मौका मिलेगा यह शीघ्रता शीघ्र निर्माण कराया जाय इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । धन्यवाद ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर राज्यपाल का अभिभाषण परोक्ष रूप से सरकार की नीति और मन्शा का रूप होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है । यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म से संबंधित क्यों न हो । एक तरफ तो सरकार ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात अभिभाषण में कही है लेकिन इसमें रखा नहीं गया है । कृषि के उत्पादन को सरकार किस तरह से बढ़ायेगी । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है । वहां से सरकार को 70 प्रतिशत रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इतना हिस्सा उसे विकास में नहीं मिलता है । सरकार ने किसानों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही है । उन्होंने कहा कि हमारे बीज खाद, कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी । जबकि उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली की सप्लाई और नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता ।

मान्यवर, एक तरफ किसानों के कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य विपणन के माध्यम से देने की बात कही है । उन्होंने कहा कि जहां कृषि उत्पादन की खरीद के लिए मण्डियां नहीं होंगी वहां पर हम उनकी व्यवस्था करेंगे । मात्र इगलास ऐसा है जहां पर मण्डी और उप मण्डी स्थल नहीं है जिससे वहां के किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । जनसंख्या के अनुपात में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है । हम सरकार की एक बात से सहमत हैं और तारीफ भी करना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में इकोनॉमिक जोन की स्थापना की बात कही गयी है । हम इसका स्वागत करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय एअर पोर्ट, ताज एक्सप्रेस–वे और औद्योगिक गलियारा बनाने की बात कही गयी है । हजारों लाखों एकड़ जमीन किसानों की अधिग्रहीत की जायेगी लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किसानों की जमीनों का उचित मूल्य या शहरी जमीन के मूल्य पर दिया जायेगा । मैं चाहूँगा कि संशोधन में किसानों के मुआवजे को दिलाने की घोषणा की जाय ।

इस सरकार ने भय मुक्त और अन्याय मुक्त शासन देने की दुहाई दी है । उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है । न्याय की प्रक्रिया लम्बी खिचने और हाईकोर्ट तक जाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत मँहगी पड़ती है और वहां से बार–बार इसकी आवाज उठती रही है । अगर यह सरकार संकल्पित है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी को सस्ता व सुलभ न्याय देने की बात कहती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना का उल्लेख जो अभिभाषण में नहीं किया गया है किया जाना चाहिए । यहां यह बात नहीं आयी कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, चाहे लोकदल हो या अन्य दल हों, सदन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाये जाने की बात करते हैं लेकिन कहीं भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है । मान्यवर, मेरे इस संशोधन को उसमें जोड़ा जाये । मान्यवर, इस सरकार ने दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों, बुनकरों, कुम्हारी उद्योगों, लघु उद्योगों की चर्चा बड़े जोरदारी के साथ की है लेकिन मैं यह पूँछना चाहूँगा कि यह सिर्फ घोषणा है या यथार्थ में उनको काम देने के लिए कोई रूपरेखा बनायी गयी है । कुम्हार कुल्हड़ व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं, तालाब खत्म हो गये हैं अब उन्हें पर्याप्त मिट्टी नहीं मिल पाती है ।

मैं अपने इन बातों के साथ यह चाहूँगा कि मेरे द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ा जाय । एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह उल्लेख किया है कि जो परियोजनायें लम्बे समय से लंबित होंगी । उन परियोजनाओं को वरीयता में चालू कराने की कोशिश करेंगे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में नम्बर एक पर है । गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ है । कुछ गन्ना मिलें तत्कालीन सरकार ने दिया था । गौतमबुद्ध नगर जहाँगीरपुर में विगत 8 वर्षों से लम्बित पड़ा है, इसी तरह से आनन्द केन नाम से अलीगढ़ में मिल अधूरा पड़ा है क्या अपने वायदे के मुताबिक लम्बित चीनी मिलों को जनहित और किसानों के हित में चलाने का काम करेंगे ।

श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीति और नीयत का नक्शा हुआ करता है । अभिभाषण में जो बातें आयी हैं उसमें गाँव किसानों मजदूरों छात्रों, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया है । गरीब किसान, दलित, मजदूर, पीड़ित के लिये कुछ नहीं कहा गया है इसलिये मैं अभिभाषण का विरोध करता हूँ मैं चाहूँगा कि जो चीजें छूट गयीं है जो हमारे जनपद और हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं जिनको मैं कहने जा रहा हूँ उनको इस अभिभाषण के अन्त में जोड़ दिया जाय ।

मान्यवर, बलिया जनपद में बेलथरा रोड तहसील मुख्यालय है उसको जिला मुख्यालय के रूप में जिला बनाया जाय । बलिया जिला बिजली की कटौती से परेशान है मेरी मांग है कि बेलथरा रोड पर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की जाय जिससे कि पूर्वांचल को बिजली मिल सके और उद्योग धन्धे और खेती कायदे से हो सके और पानी मिल सके । मान्यवर, बलिया के अन्दर विकास खण्ड नगरा सीयर है उसका कुछ हिस्सा लेकर भिनपुरा ब्लाक बनाया जाय ताकि जनता को सुविधा हो सके और उसके समय तथा धन की बचत हो सके । मान्यवर, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से 200 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं जिससे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कायदे से नहीं चलती है इसलिये मेरा निवेदन है कि भृगु क्षेत्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनाया जाय जिसमें पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर के महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाय ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके । मान्यवर, बलिया की जो

सड़कें हैं वह क्षतिग्रस्त हो चुकीं हैं जिन सड़कों पर पहले काम किया गया था उसकी पिच टूट गयी हैं जिससे उनकी हालत खराब है इसलिये मैं चाहूँगा कि बलिया जनपद की सड़कों की मरम्मत तथा उनके रख रखाव के लिये राज्य अंश से धन देकर उनकी व्यवस्था की जाय । बलिया जिले की बिजली की हालत बहुत खराब है वहां पर 4–5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में 12 घंटे बिजली मिलती थी । इसलिये वहां पर पर्याप्त बिजली देने के लिये एक थर्मल पावर स्टेशन खोला जाय और जब तक वहां पावर स्टेशन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक कसारा विद्युत गृह से बलिया को बिजली दी जाय ।

मान्यवर, घाघरा तथा गंगा नदी की कटान से वहां का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है इसलिये गंगा तथा घाघरा नदी के किनारे बोल्डर पत्थर लगाये जायं ताकि बहाव रुक सके और बरसात के दिनों में पानी से क्षेत्र जलमग्न न हो सके । वहां का 3 हिस्सा जल मग्न हो जाता है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसान बरबाद हो जाता है इसलिये वहां पर बांध बनाने व बांधों को मजबूत करने का काम किया जाय । बिजली के अभाव में वहां के ट्यूबवेल नहीं चलते हैं और पानी नहरों में नहीं चलता है इसलिये बलिया को प्रचुर मात्रा में बिजली की सप्लाई की जाय और जो नलकूप खराब हो गये हैं उनकी मरम्मत की जाय । मान्यवर, वहां पर पेयजल की समस्या है इसलिये वहां पर इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जायं । मेरा यह भी निवेदन है कि हर विधायक को 50–50 हैण्ड पम्प उपलब्ध कराये जायं ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो सके । मैं कहना चाहता हूँ कि इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य ब्लाकों को और पंचायतों को दे दिया गया है लेकिन वह इन हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं है इसलिये इनकी मरम्मत का कार्य डी०आर०डी०ए० के माध्यम से कराया जाय । बलिया के सर्वांगीण विकास के लिये वहां विशेष रूप से पैकेज देने का काम किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूँ और माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ । जयहिंद, जय भारत ।

श्रीमती लुईस खुर्शीद–

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर आपने बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ । डा० राधा मोहन जो हिन्दू महासभा के विधायक हैं उनकी संस्कृत वाणी और आजम खां साहब की शेरो शायरी के बीच में अगर मेरे संबोधन में कुछ गलती हो जाय तो यह मानकर चलें कि एक कर्नाटक से आई कर्नाटक में पली बढ़ी विधायक उत्तर प्रदेश में अपना घर बनाना चाहती हैं । महोदय पिछले तीन चार–पाँच दिनों से दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं भाजपा लोक दल, बसपा गठबन्धन के बारे में किसके-किसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे कौन किससे निकाह किया किसने जयमाला पहनाई इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी इसलिए नहीं करना चाहती कि इसका जवाब आप लोगों को कल चुनाव में देना पड़ेगा । जैसे लोग हमसे जवाब मांगेंगे अगर हम अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगे । महोदय 17 तारीख के बाद बहुमत हासिल करने के बाद नेता सदन और उनका मंत्रि मण्डल इस प्रदेश के कर्ताधर्ता बने और 403 सदस्य के परिवार के मुखिया बन गए । आप मुखिया जरूर हैं, कर्ताधर्ता जरूर हैं मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहे मनमानी कर सकते हैं । हम भी इस परिवार के सदस्य हैं । हमारा भी हिस्सा है ।

हम आपसे उम्मीद जरूर रखेंगे बल्कि हम अपना अधिकार समझेंगे हम आपसे बार-बार पूछ लेंगे इस प्रदेश के लक्ष्य के बारे में क्या सोच है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने पढ़ लिया पढ़ने की कोशिश की कि एक झलक दिखाई दे मगर कोहरे की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है । महोदय ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार का अधिकार है । लेकिन एक अधिकारी का एक हफ्ते में चार बार ट्रांसफर हो यह कहां तक उचित है । अधिकारियों के भी परिवार हैं, बीबी बच्चें हैं । उनका बार–बार ट्रांसफर करके इधर उधर जाने की तकलीफ और दर्द मुझे मालुम है क्योंकि मैं एक वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी की बेटी हूँ । मेरे मरहूम वालिद साहब ने कहा था कि एक अधिकारी को एक विभाग को समझने में कम से कम तीन महीने लग जाते हैं । अब अगर अधिकारियों का हर हफ्ते ट्रांसफर करेंगे तो विभाग का क्या होगा, काम का क्या होगा । मान्यवर, मुझे फिक्र है, मुझे चिन्ता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है । यहां दुनिया के 8 वन्डर्स में एक यहां है , आगरा का ताजमहल । मान्यवर, मुझे फिक्र है कि आज आगरा के उपर प्रदूषण के बादल मंडरा रहे हैं । मुझे फिक्र है, चिन्ता है, अफसोस है कि रामपुर का जो फूल पत्ती का काम है उसको लोग भूल रहे हैं और रामपुरी चाकू को याद करते हैं ।

सदन में आपस में आरोप–प्रत्यारोप होते हैं कि कौन मौलाना किस मस्जिद में कब तक नमाज पढ़ सकता है । यह क्या बात है ? मैं फर्रुखाबाद जिले से आती हूँ जो गंगा जी के तट पर है जहाँ गंगा जी में मुसलमान वजू करके अपने आप को पाक समझता है और नमाज अदा करता है । वहीं हिन्दू गंगा जी में स्नान करके अपने को पवित्र समझता है और पूजा करता है । किसी ने उस पानी में लकीर नहीं खींची है । हम नेतागीरी के नाम से क्यों लकीर खींच रहे हैं ? मुझे चिन्ता है, क्योंकि कायमगंज उस जिले में है जो गंगा जी के तट पर है । जहाँ पर जैनियों का तीर्थ स्थल है, द्रोपदी कुन्ज हिन्दुओं का तीर्थ स्थल है । फर्रुखाबाद का जरदोजी का, छपाई का काम सब भूल गये हैं और कहते हैं कि वह डाकुओं का क्षेत्र है । फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज को डाकू बदमाशों का क्षेत्र कहते हैं । मुझे अफसोस है और इसलिये है कि 1993 में कांग्रेस के एक उम्मीदवार जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे उनकी सबके सामने हत्या कर दी गई और आज तक इस केस में कुछ नहीं हुआ । 2002 के चुनाव में जिसके घर में कुर्की हुई वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा । यह सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है । भारतीय जनता पार्टी से पूछिये । मेरे जिले में ही बी०जे०पी० के विधायक ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी की हत्या दिन दहाड़े हुई । इस घटना में क्या हुआ ? दोषी कहाँ बैठे हैं ? आप पूछ लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें । पहली बार बोल रही हैं इसलिये समय दे दीजिये ।

श्री लुईस खुर्शीद–

मान्यवर, मैं पहली बार बोल रही हूँ इसलिये थोड़ा समय चाहिए । मान्यवर, मेरी चिन्ता इसलिये है कि गंगा जी जब नाराज हो जाती हैं तो बाढ़ से कितना नुकसान होता है । मेरा क्षेत्र गंगा जी के तट पर है फिर भी वहाँ पर पीने के पानी की समस्या मुख्य है । डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से

भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय से एक बहुत बड़ी योजना स्वीकृत करवाई थी वाटर शेड योजना । इसके बारे में राज्यपाल जी का अभिभाषण पृष्ठ–13 पर थोड़ा सा वर्णन है । मान्यवर, मैंने यह प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया फर्रुखाबाद मैनपुरी और कन्नौज के लिये । ढाई साल से आफिसर पर आफिसर मंत्रियों के यहां पूर्व मुख्य मंत्री के पास भी गई कि यह पैसा जो डाक्टर जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट को मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है । मान्यवर, यह संस्था कोई मामूली संस्था नहीं है । इसका उद्घाटन, शिलान्यास के लिये श्री आई०के० गुजराल, प्रधान मंत्री ने अपने कार्य काल में किया । दो राज्यपाल महोदय मौजूद थे, 8 मंत्री दिल्ली से और श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मायावती सरकार की तरफ से वहाँ मौजूद थे । मान्यवर, उस संस्था के लिये एक पैसा नहीं मिला क्योंकि एक मामूली सी०डी०ओ० ने किसी के माध्यम से मेरे पास भेजा कि आप 5 परसेन्ट रिश्वत दीजिये नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा । मैंने रिश्वत नहीं दी । मान्यवर, मैंने यह चुनाव लड़ा वह यह सोचकर लड़ा था कि कम से कम विधायक बनने के बाद किसी सी०डी०ओ० की हिम्मत नहीं होगी लेकिन चार महीने हो गए हैं अभी तक सी०डी०ओ० मुझसे रिश्वत मांग रहा है

(शेम–शेम की आवाजें)

मान्यवर, मेरे फर्रूखाबाद क्षेत्र में आलू, अमरुद, आम के लिये मशहूर है इस सरकार ने आलू के लिए इस समय कुछ नहीं किया । श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो मंत्री है वह सदन में नहीं हैं कन्नौज हमारे जिले के पास है आलू के काश्तकार सही दाम नही मिलने पर अपना आलू रास्ते में छोड़ देते हैं सड़ने के लिए श्रीमन् आलू सड़ने की बू और मरे जानवर सड़ने की बू में कोई अन्तर नहीं है ....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्रीमती खुर्शीद–

मान्यवर, आपने लाल बत्ती दिखा दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

कई बार दिखा दी है ।

श्रीमती लुईस खुर्शीद–

आप लालबत्ती को बंद कर दें । मुख्य मंत्री मायावती जी ने कहा कि मैं रोना नहीं, रुलाना जानती हूँ । मान्यवर, मुझे आज रोना आता है कि इस सदन में सारी तरफ देखकर 15 से कम महिला विधायक इस समय हैं मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव लाना चाहती हूँ कि महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्रीमती लुईस खुर्शीद–

मान्यवर, मैं अन्त में कहना चाहती हूँ मेरी जवान की सफाई में कुछ कमी रह गई हो तो माफी चाहूँगी । अगर यह सदन पांच साल तक लगातार चलता रहा तो इन्शाअल्ला डा० राधा मोहन से कुछ संस्कृत के श्लोक सीखकर आपके सामने पेश करुंगी अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, एक शेर–

सुर्खरू होता है इंसा ठोकरें खाने के बाद ।

रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद ।।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । परसों से जो इस पर बहस चल रही है यह सत्यनारायण की कथा मात्र है इसके अलावा कुछ नहीं है । भारतीय जनता पार्टी और बसपा की जो सरकार है इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं जानता हूँ अम्बेदकर वाद का जनाजा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर चल रहे हैं और मायावती जी मातम कर रही है यह मातम कब तक चलेगा यह तो भाजपा के लोग जाने । मैं कुछ मुख्य सवाल रखना चाहता हूँ इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करेंगे । मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव में अमेन्डमेंट पेश करना चाहता हूँ कानून व्यवस्था निहायत खराब है श्री त्रिवेणी प्रसाद चौधरी औरैया जनपद के अजीत मल फार्म हाउस के प्रभारी है । उनका

(व्यवधान)

एक महीने से पता नहीं है कोई डकैतों का गैंग उठाकर ले गया । मंजूर साहब के बारे में नेता विरोधी दल ने कही, राजा के दरवाजे पर हत्या हो जाए तो वह कहां फरियाद लेकर जाएगा । मंजूर साहब की हत्या हुई, किसी भाजपा या बसपा के विधायक की हत्या क्यों नहीं हुई मैं टिप्पणी नही करना चाहता हूँ लेकिन इनके ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है ।

चिकित्सा व्यवस्था के बारे में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक साथी जो मेरा चुनाव प्रचार कर रहे थे वह कैंसर के मरीज थे और तीन दिन पहले उनकी मौत हो गयी क्योंकि पाँच लाख रुपये नहीं था । हमारी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने यह ऐलान किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो कोई भी दवा के अभाव में नहीं मरेगा । यहाँ से लेकर दिल्ली तक उसकी पूरी दवा की व्यवस्था की जायेगी । अभी हमारे एक पूर्व मंत्री कह रहे थे कि बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जो व्यक्ति है उनको दवा मुफ्त दी जाती है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम०एल०ए० किसी को बुला सकता है उसके दरवाजे पर चिकित्साधिकारी आ सकता है लेकिन जब गरीब आदमी को दवा मिलनी होती है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है और वह दवा के अभाव में दम तोड़ देता है । उसकी हड्डी टूट जाय तो पैसा, आपरेशन है तो पैसा इसके लिए कोई व्यवस्था अभिभाषण में नहीं की गयी है ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की समस्या है, यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण की सरकार है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार की कोई बिरादरी नहीं होती है और यह सरकार सबकी सरकार है । जब हमारी

सरकार थी तो उसने अनुसूचित जाति के लोगों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया था वह माफ कर दिया था, कॉंग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तो भी शिक्षा शुल्क नहीं देना पड़ा था लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से देना पड़ रहा है । मान्यवर, जब हम वकालत पढ़ते थे तो 18 रुपये में एडमीशन हो जाया करता था और आज पाँच हजार में एडमीशन हो रहा है । आज वकालत पढ़ते में पच्चीस हजार रुपया सालाना देना पड़ रहा है । डा० राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए । इनका यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बन जाने से विपक्ष इनके मन पर साँप लोट रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर और मनु महाराज एक साथ मिलकर बैठे है तो सरकार कितने दिन तक चलेगी ?

हमारे क्षेत्र नगराम में जो कि घघरा नदी के किनारे बसा हुआ है वहाँ पर टाण्डा में पुल की व्यवस्था होनी चाहिए । वहां राम जानकी रोड जिस समय राम बियाहने सीता जी को गये थे जनकपुरी में, उस पौराणिक एवं ऐतिहासिक सड़क की हालत अच्छी नहीं है मान्यवर, दखनी से कलवारी होते हुए सिकरीगंज तक नेशनल हाईवे की तरह बनायी जाय । सिहाड़ीगढ़ से पलिया तक पुल जाता है मैं आपसे मांग करता हूँ कि गौराघाट संगहा देवरांवा पोलहाघाट पर भी पुल बनाया जाय । हमारे क्षेत्र में दो मिले हैं । एक मुण्डेरवा मिल है एक वाल्टरगंज मिल है मुण्डेरवा मिल बंद है । खलीलाबाद मिल बंद पड़ी है जबकि वह मिल चल सकती है वहां गन्ना मिल के अलावा कोई दूसरा उद्योग नहीं है केवल गन्ना मिलें हैं । जो मुण्डेरवा की मिल है, वाल्टरगंज की मिल है वह खराब होने की स्थिति में है । विशेष उपायों के जरिये इन मिलों को चलाया जाये । इसी तरह से आस–पास के जनपदों की जो मिलें बंद हैं उनको खोला जाय । किसानों का एक मात्र सहारा यही मिलें हैं । आज गन्ना विक्रेता की बात कही गयी आज किसानों की हालत बद से बदतर है उनकी पर्चियां पड़ी हुई हैं, लड़कियों की शादी रुकी हुई है आज उनका मिलों पर गन्ने का बकाया है । आज उन्हें उनके गन्ने का दाम नहीं दिया जा रहा है । आज उनहें इलाज के लिये दवा नहीं दी जा रही है शिक्षा नहीं दी जा रही है । तो जो यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है ।

माननीय मुलायम सिंह जो एक ऐसा इन्सान एक देवता जो गरीबों का रहबर है और हिन्दुस्तान में गरीबों का एक मात्र नेता है, उन्होंने कहा था कि उनकी गर्वनमेंट आयेगी तो कोई दवा के बगैर नहीं मरेगा, चाहे बडी से बड़ी रोग हो चाहे दवा हो चाहे जितनी मँहगी इलाज हो सरकार करायेगी, शिक्षा के बगैर कोई नहीं रहेगा, कोई जुल्म नहीं होगा, मेरे राज में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी । जो यह सत्यनारायण की पोथी है, इसमें हम लोगों ने जो संशोधन दिये हैं उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि यह जो 13वीं विधान सभा के बाद चुनाव हुआ और जो यह 14वीं विधान सभा के बाद चुनाव हुआ और जो यह 14वीं विधान सभा चुनकर आयी है । इस चुनाव का जनता इंतजार कर रही थी, चुनाव साढ़े पांच साल बाद हुए, जनता ने राहत महसूस की और 14वीं विधान सभा के लिये प्रतिनिधियों को चुनकर

भेजा । यह अलग बात है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है लेकिन इन परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की जनता को यह अपेक्षा थी कि दुबारा चुनाव न होकर किसी लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाय अतः माननीय नेताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मिलकर ऐसी लोकप्रिय सरकार बनायें जो जन कल्याणकारी सरकार हो जनता की भलाई कर सके । दो महीने तक जब असेम्बली सस्पेंड रही तब एक शून्य की स्थिति थी । भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बसपा से मिलकर के जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह सरकार बनायी है । जो यह कहा जाता है कि यह राजनैतिक रूपी बात है जनता इसको नहीं चाहती थी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है । यह सरकार जन कल्याणकारी साबित होगी ।

इस अभिभाषण में महामहिम श्री राज्यपाल जी ने कहां कि हम आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता को दूर करेंगे तथा गैर बराबरी को मिटाने का काम करेंगे । जो यह गैर बराबरी की बढ़ती हुई खाई है, आर्थिक विषमता का असंतुलन है यह महत्वपूर्ण बात है । आज सदन में एक दूसरे पर कटाक्ष होता है । यहां कभी स्व० चौधरी चरण सिंह जी सदन में बैठा करते थे राजनीति के संबंध में उनके जो विचार थे उससे सीख लेनी चाहिये । वह कहते थे कि दल हमेशा वही अच्छा होता है जिस दल की नीति अच्छी होती है और नेता वही अच्छा होता है जिसकी नीयत अच्छी होती है । महामहिम राज्यपाल ने आर्थिक विषमता दूर करने की बात कही है आज फासला बढ़ गया है । यह दूर होना जरूरी है । और इसके साथ-साथ एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया है । यह बड़ा महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज यह प्रदेश की नहीं बल्कि सारे देश की समस्या बन गयी है और पूरे देश की समस्या इसलिये है क्योंकि इससे कृषि के ऊपर दबाव है । हम सभी इस बात को जानते हैं कि इससे हर क्षेत्र में परेशानी होती है । स्व० चौधरी चरण सिंह ने अपनी पुस्तक "भारत की आर्थिक भयावह स्थिति" में यह भी कहा है कि जब इस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ता रहेगा तो खेती पर और अधिक दबाव बढ़ता जायेगा । आज जो हमारे देश में खेती करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधरने वाली नहीं है । उन्होंने गहन खेती और सघन खेती सदन में प्रो० रिकार्ड के लगान सिद्धान्त का जिक्र किया है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपनी घोषणा में खेती की बात की है । हम सदन के माध्यम से चौ० अजीत सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं । उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि चौ० अजीत सिंह कृषि मंत्री भारत सरकार ने कृषि मूल्य नियंत्रण आयोग की मर्जी के खिलाफ गेंहू का समर्थन मूल्य 620 रु० प्रति कु० रक्खा है धान के मूल्य के सम्बन्ध में भारतीय मूल्य नियंत्रण आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की थी फिर भी उन्होंने धान के मूल्य में 20/- प्रति क्विटल की बढ़ोत्तरी की । उत्तर प्रदेश में मंडियों की कोई व्यवस्था नहीं थी । जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब हिन्दुस्तान में सन् 1936 में सबसे पहले सर छोटू राम ने पंजाब में मंडी ऐक्ट लागू किया था बाद में सन् 1952 में चौधरी चरण सिंह जब इस प्रदेश में माल के मंत्री थे तो उन्होंने उ० प्र० में मंडी ऐक्ट को लागू किया । यह बात हमने इसलिए कही कि विपणन व्यवस्था की जो बात श्री राज्यपाल महोदय ने कही है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । कहीं-कहीं लगता है कि अपराध का ग्राफ बढ रहा है लेकिन इसी के साथ-साथ उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि इसके खिलाफ कठोर कदम उठाये जा रहे हैं ।

मान्यवर, यहां सभी विद्वान और पढ़े-लिखे साथी बैठे हुए हैं । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेख में लिखा है कि "राजा राज नहीं करता राजा का इकबाल राज करता है" । आज राजनीतिक

पार्टियों में आलग-अलग सोच होने की वजह से यह बात अलग है कि हममें राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक मतभेद नहीं हो सकते । इस सरकार ने सबको लेकर चलने का जो वायदा किया है उस पर मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है "कबिरा खड़ा बजार में मांगे सबकी खैर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर" । इसीलिए मित्रों यह जिज्ञासा हो सकती है कि हम सभी एक दूसरे के साथ रहें । मान्यवर, मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं । जहां राजस्थान और हरियाणा की सीमा लगती है हमारे यहां बहुत बड़ी परेशानी है गेहूं की खरीद में क्योंकि हरियाणा और राजस्थान की लगी हुई मंडियों खरीद होने तथा अपने प्रदेश में खरीद न होने से किसान हरियाणा को ले जाने को मजबूर होता है मथुरा और आगरा जनपद राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण यहां रेगिस्तान का प्रभाव बढ रहा है और इसी वजह से जलस्तर नीचे चले जाने की वजह से रेगिस्तान जैसी पानी की बेहद समस्या खड़ी हो गई है । अपने अभिभाषण में श्री राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है, कि मेरी सरकार की जो नीति है कि पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के विषय में योजनाओं के माध्यम से विकास कराने का जिक्र किया है । हम उनसे संसदीय कार्यमंत्री जी के माध्यम से यह प्रार्थना करेंगे कि पश्चिमांचल के लिए भी कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था करायें । इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्रीमती गुलाब देवी–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, विगत कई दिनों से अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और उसमें यह देखा गया है कि प्रजातंत्र का जो मूल मंत्र है कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका विकास हो, वर्तमान भी और भविष्य भी तो यह विकास तभी हो सकता है जब सरकार का गठन हो और सरकार के गठन में भी पूर्णतः विकास तभी सम्भव है जब उस गठन में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो । हमारी सरकार मान्यवर, भले ही इस समय चाहे छोटा गठन हो लेकिन इसमें हर जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें सभी का विकास हो सके ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सामने बैठे हुए अपने प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगी कि प्रजातंत्र की सफलता का जो मूल आधार है वह प्रतिपक्ष है । प्रतिपक्ष सत्तापक्ष की शोभा होता है । प्रतिपक्ष के माध्यम से सत्तापक्ष सजग रहता है, सावधान रहता है और उसके सुझाव के आधार पर जनता का हित होता है । मान्यवर, देखने में यह आता है कि इस सोच को हमारे सम्मानित सदस्य सकारात्मक बना लें । जो कार्य हमारी सरकार अच्छी तरह से कर रही है उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करें और जहां कोई कार्य करने में कमी रह जाती है वहां अपना सहयोग दें । तो मैं समझती हूं कि जिस आशा से और जिस विश्वास से जनता ने चुनकर भेजा है वह जनता प्रसन्नता महसूस करेगी । लेकिन देखने में यह आता है, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं कि हमारी 8 साल की बच्ची हमारे साथ चली आई थी । हमने उसे कक्ष में बैठाल दिया उसने यह दृश्य नहीं देखा लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो शोर-शराबा हुआ उसको सुनकर 8 साल की बच्ची का हृदय इतना कम्पित हुआ कि उसने कहा कि मम्मी वहां मत जाना जहां इतनी लड़ाई होती है । इसमें कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है, यह हकीकत है । इस सदन की कार्यवाही को प्रदेश के लोग ही नहीं विदेशों के लोग भी देखते हैं । जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का परिचय दिया जाता है उसको कोई झुठला नहीं सकता ।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर यह समझौता किया है जनहित को देखते हुए । यह एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी राष्ट्रीय सोच है, जो अनुशासित पार्टी है, जो सभी वर्गों को लेकर चलती है । यह किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग सम्प्रदाय में विश्वास नहीं रखती है, संविधान के नियमों के आधार पर चलती है और उसी के आधार पर यह समझौता किया है । हमारी बहन मायावती, जिन्होंने समाज के हर वर्ग का एहसास किया है, गरीबों के दुख कैसे होते हैं, यह वह जानती हैं । किसान का दर्द क्या होता है, यह भी वह जानती हैं । यह ए०सी० में रहने वाले लोग, जिन्होंने हरदम अत्याचार किया हो, वह इस बात को क्या जाने लेकिन हमारी बहन मायावती हर गरीब, मजदूर का दर्द जानती हैं । मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा समाज को अपराधमुक्त करने की व्यवस्था की गई है, उसी के साथ-साथ पूर्ण रूप से विकासयुक्त हो, यह भी व्यवस्था की गई है । जो लोग भू-माफिया थे, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने गरीबों को सताया, परेशानी दी, वह अब जेल के सीखचों में रहेंगे, यह भी व्यवस्था की गई है । मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगी कि नागरिक जब तक अपनी सुरक्षा महसूस नहीं करेगा, तब तक वह कोई विकास नहीं कर सकता न आर्थिक गतिविधियां ही आगे बढ़ सकती हैं । हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, हमारी बहनें सुरक्षित रहें और रामपुर तिराहा कांड जैसी दुबारा पुनरावृत्ति न हो, पत्रकार जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है, उस पत्रकारिता पर दुबारा हल्ला बोल की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था की है ।

हमारे क्षेत्र में, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भरतपुर में हरिजन महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसकी भी पुनरावृत्ति न हो । इसी तरह जो अधिकारी अपनी सोच को अभी तक नकारात्मक बनाये बैठे थे, जनता के हितों की उपेक्षा करते थे, वह अब और उपेक्षा न कर सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है । ऐसे अधिकारी जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कि पता नहीं, कब गाज गिर जाये । ऐसे अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि वह अपनी सोच को सकारात्मक बनायें और जनहित में काम करें । नहीं तो वह बख्शे नहीं जायेंगे । बहुत देख लिया अत्याचार । इसी के साथ अच्छी तरह कार्य करने वालों को हमारी सरकार पूर्ण रूप से संरक्षण देगी, सहयोग देगी और समय-समय पर उनको पुरस्कृत भी करेगी । जहां अधिकारियों को सचेत किया गया है, वहां जनता के लिये भी प्रयास किया गया है कि अधिकारीगण जनता के बीच में जायें । उनकी गतिविधियों को समझें, जिससे उनकी समस्या का निराकरण हो सके और अराजकता तथा भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा न हो सके ।

मैं अपने क्षेत्र की ऊर्जा समस्या के सम्बन्ध में बात रखना चाहूंगी । जिस समय नरेश अग्रवाल जी ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने चन्दौसी में एक सब स्टेशन स्वीकृत किया था, उसकी सब औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं । उस पर शीघ्र कार्यवाही शुरू कराई जाये ताकि 45 गांव लाभान्वित हो सकें । इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद ।

श्री मो० रिजवान–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता आज भी किसान है और सबसे बड़ी समस्या किसानों की गन्ना और गेहूं है। किसानों का काफी बकाया सरकार पर है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से तमाम मिल बन्द हो गईं, इस पर सरकार क्या सफाई देगी ? मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अयोध्या शुगर मिल है वहां 15 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। मजदूरों का भी 10 करोड़ रुपया उस मिल पर बकाया है जिस कारण आज वहां के मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, सरकार भी जानती है, पिछले मुख्यमंत्री जी वहां गये थे उन्होंने कहा कि यहां पर कोई गन्ना मिल भी है ? मान्यवर, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि यहां कोई गन्ना मिल भी है तो इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। वहां मजदूरों ने घेराव भी किया लेकिन आज तक मजदूरों का 10 करोड़ रुपया बकाया है। आज वहां पर वसूली के नाम पर तमाम किसानों को बन्द किया जा रहा है लेकिन उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। न ही पिछली सरकार ने और न ही इस सरकार ने अब तक उस समस्या का कोई समाधान किया है। मान्यवर, मंझावली और असमौली चीनी मिल जिसमें सरकार के कुछ लोग बैठे हैं वहां पर किसानों के नाम पर 20 लाख की चीनी निकाल ली गयी है, 20 लाख रुपये मार लिए गये हैं। मान्यवर, इसके बारे में लिखकर भी दिया है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।

मान्यवर, दूसरी समस्या गेहूं की है जो गेहूं क्रय केन्द्र चल रहे हैं वहां बिचौलियों से ही खरीद हो रही है, किसान का एक छंटाक गेहूं नहीं तौला जा रहा है, सब व्यापारियों का माल आ रहा है और पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, कुंदरकी से, वहां चार जिलों का भण्डार है, चार जिलों का गेहूं आता है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वहां पर 3 हजार रुपये फी ट्रक उतरवाने का लिया जा रहा है और 2 हजार रुपये फी ट्राली वहां उतरवाने का लिया जा रहा है। वह रुपया किसानों से वसूला जा रहा है। किसान वहां पर बहुत परेशान है, वह लाचार और मजबूर हो गया है। मान्यवर, इस सरकार में इतने वहां क्रय केन्द्रों पर बिचौलिये और गुंडे हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, तीसरी समस्या है बिजली की, वैसे तो पूरे प्रदेश में यह समस्या है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो फीडर जो कभी सीतापुर सब स्टेशन से जुड़े थे वहां से कटौती कर दी गयी है जिससे एक घण्टे भी वहां बिजली नहीं मिलती है। यहां जो दो फीडर है इसमें ताहर फीडर को सीतापुर से तथा मैनाठेर फीडर को महमूदपुर से जोड़ा जाये। अभी हमारी पूर्व मंत्री जी जैसा कर रही थीं कि हमारी बेटी को सदन की कार्यवाही में डर लगता है। 97 में जब मायावती मुख्यमंत्री न थीं तो यही पूर्व मंत्री मारने वाली थी उस समय उनकी बेटी का या उनका दिल नहीं धड़क रहा था। अभी लोकदल के हमारे मित्र बोल रहे थे हरित प्रदेश के नाम पर वोट लेकर आये हैं और जिन लोगों की गोद में आकर बैठ गये हैं, जनता के बीच में जब वह जायेंगे तब जनता सबक सिखायेगी। मान्यवर, हमारे माननीय नेता जी ने 15 हजार नियुक्तियां की थीं जिसमें उर्दू अध्यापक भी थे और अनुवादक भी थे। इतना बड़ा हमारे नेता ने काम किया है। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री भगेलू राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण के समय में जिस तरह का व्यवहार माननीय प्रतिपक्ष का था उससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है। मान्यवर, फरवरी महीने में चुनाव के बाद जो स्थिति आई उससे किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। दो महीने से अधिक का समय बीतने के-बाद बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के द्वारा सरकार का गठन हुआ। उससे जनता ने राहत की सांस ली। यहां पर प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं जब 1996 में विधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय भी यही स्थिति थी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन यही विपक्ष के लोगों ने सरकार नहीं बनने दिया था। उस समय भी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मायावती जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है। यह दलितों और पिछड़े और सभी मजबूर लोगों के लिए न्याय के लिए सरकार बनी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी के द्वारा इस लोक प्रिय सरकार के गठन पर राहत की सांस ली जा रही है। इससे यह अपेक्षा की जा रही है कि आगे इस प्रदेश में विकास के काम जो रुके हुए थे, वह गति पकड़ेंगे और सभी को न्याय मिलेगा और सरकार सभी के हितों के लिए, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास का वातावरण पैदा करेगी और मैं आशा करता हूं कि ऐसा करने में हमें विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती ऊषा वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, आज समाज कितना भय मुक्त और अपराध मुक्त है अगर इसका ज्वलन्त उदाहरण देखें तो 18 मई के अमर उजाला और दैनिक जागरण में आपको मिल जाएगा। मान्यवर, अरवल थाना, क्षेत्र में एक दलित महिला जाती है और बताती है कि उसके पति ने उसके दो मासूम बच्चों एवं उसके भाई की हत्या कर दी है और वह दलित महिला अरवल थाना अध्यक्ष के पास जाती है तो थानाध्यक्ष ने उसका मुकदमा लिखने से मना कर दिया और जब वह महिला एस०डी०एम० से मिलती है तो उन्होंने 302 में मुकदमा लिखकर उसे पकड़ करके जेल भेजने के लिए कहा। लेकिन दूसरे दिन 302 का मुकदमा 151 में दर्ज करके मुचलके के लिए अदालत में उसे पेश किया गया तो मान्यवर, आज यह किस आधार पर भय मुक्त, अपराध मुक्त समाज की बात कर सकते हैं।

हमारा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और जो हमारे किसान भाई हैं, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों का करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया है जब हमारे किसान भाइयों ने बकाया मूल्य के भुगतान की बात की तो गोलियों की बौछार की गयी । पडरौना का गोली काण्ड इसका उदाहरण है । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र अहिरौरी में छात्रों एवं किसानों की कुछ समस्यायें हैं । जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें संशोधन किया जाये तो यह अभिभाषण अपने आप में परिपूर्ण हो जायेगा । अहिरौरी विधान सभा क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन 50 प्रतिशत किसान करते थे लेकिन भूमि उपजाऊ न होने की वजह से 1 प्रतिशत किसान भी जब मूंगफली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती हूं कि वहां के भूमि का वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर किसान भाइयों के मूंगफली के फसल को बढ़ावा दिया जाये ।

जो राज्यपाल का अभिभाषण है एक तरफ समाज को शिक्षित करने की बात कही जाती है दूसरी तरफ शिक्षा इतनी मंहगी हो गयी है कि वह अपने बच्चों को जमीन व जेवरात बेंचकर भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है जिससे लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है । माता-पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वह हरदोई जो 30–35 किलोमीटर दूर है वहां भेज सकें इसलिए कम से कम एक कन्या डिग्री कालेज खोलने की सरकार व्यवस्था करे । इसी के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है और अपना विरोध प्रकट किया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करती हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा वंशीधर राज का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्य अपने आसन पर एक साथ खड़े होकर स्वयं को सुने जाने का आग्रह करने लगे जिससे सदन में शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग बैठिये । मैंने वंशीधर राज जी का नाम बुला लिया है । जो आपके नेता ने सूची दी है उसी क्रम से मैं नाम बुला रहा हूं । आपका भी नम्बर आयेगा । शांत रहिये ।

श्री वंशीधर राज–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह नापाक गठबन्धन की सरकार कितने दिनों तक चलेगी । यह मजबूरी की शादी कितने दिन चलेगी, यह खुदा ही जाने । राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी जनकल्याणकारी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है । हां उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी पुस्तक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जो उद्योग बन्द हो रहे हैं, जो आज टूटने की कगार पर पहुंच गये हैं उन उद्योगों को कैसे चलाया जायेगा ? तथा उनको प्रोत्साहित किया जायगा या नहीं इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि जो नवयुवक शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है । बड़ी मात्रा में वहां गन्ना पैदा होता है । वहां पर गन्ने के जो क्रेशर थे उनमें से 70 प्रतिशत वह बन्द हो गये हैं । क्रेशर बिक रहे हैं अगर वहां के क्रेशर बिक गये तो वहां के किसानों की स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी

और किसानों के गन्ने की खपत नहीं हो सकेगी । क्रेशर उद्योग के बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे, मिस्त्री बेकार हो जायेंगे और अन्य काम करने वाले बेकार हो जायेंगे और वहां के गन्ने की खपत नहीं हो सकेगी जिससे किसानों का बहुत नुकसान होगा और किसानों को मिलों पर आधारित होना पड़ेगा इससे मिलों से किसानों का शोषण होगा इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेलों को बिजली न मिलने के कारण पानी व नहरों का टेल तक पानी खेतों तक नहीं पहुंचता है । जिससे खरीफ की फसल का बेढ़ डालने का काम नहीं हुआ है और इसके कारण खरीफ की फसल प्रभावित होगी । इसलिये वहां पर नलकूपों की व्यवस्था ठीक से संचालित की जाय । आज माननीय मंत्री जी ने गेहूं की खरीद के संबंध में लिट्रेचर दिया है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० के गोदाम पर सैकड़ों ट्रक लाइन में खड़े हैं, किसानों का गेहूं जब उतारा नहीं जा पा रहा है तो किसानों के गेहूं की खरीद क्या होगी यह फर्जी आंकड़ा है । इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां सारे नलकूप बन्द पड़े हैं । नलकूपों को संचालित करने की व्यवस्था नहीं की गयी है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि वहां की तहसील मोहम्मदी को जिला बनाया जाय । तहसील मोहम्मदी को जिला बनाये जाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है । पहले तहसील मोहम्मदी जिले का मुख्यालय था और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अहमदुल्लाशाह की राजधानी था आजादी के बाद बराबर मांग चल रही है, अंग्रेजों ने दण्ड स्वरूप इसको तहसील बना दिया था, मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मदी को जिला बनाया जाय । मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इसमें कहीं पर भी तहसील मोहम्मदी को जिला मुख्यालय बनाने की व्यवस्था नहीं की गयी है । इस कारण मैं मांग करता हूं तहसील मोहम्मदी को जिला बनाया जाय ।

(अनेक सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर शोर)

पसिगवां ब्लाक को काटकर मंगलगंज–औरंगाबाद को एक नया ब्लाक बनाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें ।

श्री वंशीधर राज–

मान्यवर, इसी क्रम में मैं बिजली व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं कि मोहम्मदी में 132 किलोवाट के सब-स्टेशन का भवन बना हुआ है लेकिन धनाभाव के कारण वहां पर मशीनें नही लग पा रही हैं । वहां पर बिजली की व्यवस्था के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाय । इसी संदर्भ में गोमती शुगर फैक्टरी मजवापुर अपनी फैक्टरी से मोहम्मदी को बिजली देने के लिये तैयार है वहां से 132 के०वी०ए० सब-स्टेशन को बिजली दिलाई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जाएगा । अब आप बैठ जाएं ।

श्री बंशीधर राज–

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें। गंभीरता से अपनी बात रखें। सबको थोड़ा-थोड़ा समय मिल जाएगा। अब आप समाप्त करें।

श्री वंशीधर राज–

मोहम्मदी तहसील में सड़कों की हालत इतनी जर्जर है मेन सड़कें एक-डेढ़ फीट तक गड्ढा युक्त हो गई हैं। यातायात बाधित हो चुका है। मोहम्मदी–पसगंवा, जंगबहादुरगंज मार्ग जहानीखेड़ा बरबरा–बरवर–मोहम्मदी–मोहम्मदी पुवायां मार्ग खराब हो गया है तथा गड्ढा युक्त हो गया है यदि तत्काल इन मार्गों की मरम्मत न की गई तो यातायात दूभर हो जाएगा। इसी प्रकार जहानीखेड़ा बरबर मार्ग, बरबर मोहम्मदी मार्ग, मोहम्मदी पुवायां मार्ग भी अत्यधिक खराब और गड्ढायुक्त हैं। इन मार्गों के लिए हमने संशोधन प्रस्ताव में भी उल्लेख किया है। जिन मार्गों के निर्माण का उल्लेख हमने संशोधन प्रस्ताव में किया है इन मार्गों का निर्माण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यातायात की सुविधा बन्द हो जायेगी। किसानों को आने जाने में अत्यधिक कठिनाई होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में पेयजल की हालत अत्यधिक खराब है। पानी की व्यवस्था नहीं है। जल स्तर गिर रहा है। हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। जिससे पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है, तालाब सूख गये हैं पशुओं के पीने के पानी की समस्या हो गई है। पशुओं के चारे आदि की भी समस्या हो गई है। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो पशुओं की बीमारी भी प्रारम्भ होने की संभावना है। मोहम्मदी तहसील में बरखड़ एक गांव हैं। जो राजा विराट की राजधानी था।

श्री अधिष्ठाता–

बैठ जाइए।

श्री बंशीधर राज–

वहां महाभारत काल के पुरातात्विक अवशेष आज भी मौजूद हैं उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री गयाचरण दिनकर जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं व नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता और अपने द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, 18 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबन्धन की सरकार गठित हुई। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस सरकार के ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं कई लोगों ने इस सरकार की अवधि के बारे में प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं। यह सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है। आजादी के बाद 55 वर्षों से कांग्रेस की सरकारें रही हैं। करीब 45 वर्ष कांग्रेस ने इस प्रदेश में शासन किया है। इस प्रदेश और देश के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है। यह तय करना होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश की बदहाली, पिछड़पन और प्रदेश को विकसित न होने देने में बहुत कुछ दोष कांग्रेस की सरकार पर भी है ।

हमारे बड़े भाई, समाजवादी पार्टी के लोग भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे । किसी ने कानून व्यवस्था की बात उठाई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1995 में जब एक दलित महिला वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के साथ स्टेट गैस्ट हाउस काण्ड हुआ था तब कानून व्यवस्था कहां चली गई थी । जिस समय रामपुर तिराहा काण्ड हुआ, उस समय कानून व्यवस्था कहां चली गई थी । उस समय इन लोगों के मन में न तो नैतिकता थी न कुछ था । आज जब सरकार को बने 18 दिन ही हुए हैं हमारे विपक्ष के मित्र बहुत बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह सरकार जो बसपा और भाजपा के गठबन्धन से बनी है यह 5 साल तक चलेगी और इस सरकार की मुखिया के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा । गांव, गले, किसान, कमजोर वर्ग का, प्रदेश के पिछड़ेपन का भी विकास होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी अनुसूचित जाति के लिये, उनके विकास के लिये कोई बात नहीं कही गई है । मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है और गांव में भी अनुसूचित जातियों का अपमान होता है और इस सम्मानित सदन में भी अनुसूचित जाति के लिये दलित शब्द का प्रयोग करके अपमानित किया जाता है । नेता सदन मायावती जो मुख्यमंत्री बनी हैं अनुसूचित हैं और दलितों की नेता बनती हैं ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक–

दलित शब्द का मतलब ही गाली है.....

(व्यवधान)

हम भी खटिक हैं और अनुसूचित हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये इसमें कोई योजना नहीं है । अनुसूचित जातियों में कई जातियां हैं खटिक, पासी, मुसहर, धरिकार, डोम, दुलाह आदि ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही देख लूंगा जो असंसदीय शब्द है, उसको निकाल देंगे ।

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अनुसूचित जातियों को अलग कोटा मिलना चाहिए । तब सबका विकास होगा । किसी जाति विशेष का ही विकास नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि जो असंसदीय शब्द हैं निकाल दिये जायेंगे । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अनुसूचित लोगों के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इस सदन में अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया "मायावती दलितों की नेता बनती हैं" यह सही नहीं है वह माननीय नेता सदन हैं, हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हैं । तो मान्यवर, [× × ×] यह शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के बीच हम पैदा हुए हैं राज्यपाल के अभिभाषण में दलित शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें एक जाति विशेष की बात कही गई है...

(व्यवधान)

माननीय नेता सदन की दो बार इस प्रदेश में सरकार रही है लेकिन विभिन्न जातियों खटिक, धोबी, चमार, मूसहर के विकास की बात नहीं कही गई ।

श्री अधिष्ठाता–

कम शब्दों में बात पूरी कर दें ।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक–

आजादी के 54 साल बाद भी इन जातियों का विकास नहीं हुआ है । अम्बेदकर के नाम पर एक जाति का विकास हो रहा है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

मेरी बात पर यह चिल्ला रहे हैं इसी प्रदेश में इनके सहयोगी दल की सरकार बनी अनुसूचित जाति के लोगों से इन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि अनुसूचित जाति का विकास करेंगे । अगर इनके सहयोगी दल की मंशा साफ है तो खटिक, धोबी, चमार, मूसहर आदि जाति का विकास होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री बीजू पटनायक–

यह जो दलित शब्द का प्रयोग किया गया है यह अकेले अपने लिए किया गया है । पूरे अनुसूचित जाति के लिए

(व्यवधान)

मैं अपने क्षेत्र के विकास के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त हो गया ।

श्री बीजू पटनायक–

एक मिनट और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त हो गया ।

(व्यवधान)

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय आपने सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

शान्ति बनाए रखें ।

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने बोलने का अवसर दिया हैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक शेर कहना चाहता हूं हमारे मित्र सुरेश खन्ना जी कविता पाठ कर रहे थे, मैं जोश मलिहाबादी का एक शेर कहना चाहूंगा –

"हमें पसन्द है दुनिया में अपनी नाकामी ।"

कि हर जलील यहां कामयाब होता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैंने यह शेर इसलिए सुनाया है कि यहां पर सत्ता पक्ष के लोग पहले दिन से ही गठबन्धन को सही मान रहे हैं और उसके पक्ष में निरन्तर भाषण दे रहे हैं । बार-बार उस समर्थन को, उस गठबन्धन को जायज करार दे रहे हैं । मैं उसी नाजायज गठबन्धन के बारे में शेर अर्ज किया हूं ।

मैं दोबारा उसे कहे देता हूं–हमें पसन्द है दुनिया में अपनी नाकामी,

कि हर जलील यहां पर कामयाब होता है ।

यह जोश मलिहाबादी का शेर है । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर कई मुद्दों पर अस्पष्ट बात कही गयी है । बिजली के बारे में कोई स्पष्ट नीति महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बतायी गयी है । यह नहीं बताया गया है कि जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जहां तार खम्बे नहीं पहुंचे हैं कब तक पहुंच जायेंगे और कैसे उसके लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा । ट्रांसफारमर फुंके पड़े हैं और पिछली सरकार ने यह आदेश किया था कि 72 घण्टे में सुधर जायेंगे, कई महीने गुजर गये अभी तक उसमें सुधार नहीं हुआ है तो यह कब तक सुधारेंगे । पिछली सरकार ने कई स्थानों पर बिजली घरों के निर्माण के लिए सुझाव आये थे लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह नहीं बतलाया गया है कि किस तरह से व्यवस्था होगी, कहां से धन उपलब्ध कराया जायेगा । सिंचाई के सम्बन्ध में अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट करें कि नहरों की सफाई, खुदाई और पानी टेल तक पहुंचाने के लिए धन की व्यवस्था कहां से की जायेगी और कब तक की जायेगी ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ में बहुत बड़ा खादर है । वहां पर बाढ़ आती है सरकार ने क्या व्यवस्था की है इसका कोई जिक्र नहीं आया है । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या निरन्तर बनी हुई है वह है स्थायी विच्छेदन की । पिछले दसियों वर्ष से सैकड़ों किसान स्थायी विच्छेदन के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखा है लेकिन वहां के निकम्मे इंजीनियर उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुनील कक्कड़ की दुकान पर 11000 वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिर गया था जिससे उसकी दुकान जलकर राख हो गयी और उसकी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति उसमें जल गयी उसकी व्यवस्था नहीं हुई है । मान्यवर, लाइन के तार नहीं हैं, ट्रांसफारमर नहीं हैं इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी इसका जिक्र नहीं है । मेरे किठौर विधान सभा क्षेत्र में किसी कालेज, स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है । जहां तक मान्यवर, सड़कों की बात है पिछली सरकार ने गढ्ढा मुक्त सड़कें देने का नारा दिया था, मेरठ से परीक्षितगढ़ 24 कि०मी० का मार्ग रास्ता तय करने में ढाई घण्टे का समय लग जाता है । यह जो सरकार की आज पार्टनर है उसकी सरकार के समय का नारा था, आज इसमें यह नहीं बताया गया कि गढ्ढामुक्त सड़कों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा । मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं–

अभी क्या है, कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना,

जो एहले ज़रफ के हाथों में पैमाने नहीं आये ।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल के इस झूठे पुलिन्दे का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । पहली बार सदन में बोला हूं (धन्यवाद)

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । इसके लिये धन्यवाद ।

मान्यवर, मैंने आदरणीय महामहिम का अभिभाषण क्योंकि मैं पहली बार इस सदन में आया हूं, लिखित पढ़ा सुनने में नहीं आया कि वे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े । उन्होंने अपने अभिभाषण में स्वयं सरकार को, संचित पाप की संज्ञा दी थी कौन सी सरकार थी जिन्हें संचित पापों की संज्ञा दी थी । आज उत्तर प्रदेश भोग रहा है वह संचितपाप । मान्यवर, समूह 'ग' की परीक्षा की बात पिछली सरकार में हुई थी आज जो इस सरकार का अंग है । समूह 'ग' के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर 40 हजार नौकरियां देने की बात थी । (व्यवधान) आप सुन लें । आज मान्यवर, गाजियाबाद में 14 हजार आदमी बेरोजगार इस सरकार के बीच में हुए हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां घोड़ा कालोनी है नोएडा में दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में वह एक कालोनी है जिसमें लगभग 3 लाख व्यक्ति उसमें निवास करते हैं लेकिन आज तक इसकी कोई नगरपालिका या टाउन एरिया घोषित नहीं की गयी है तीन लाख आदमियों की यह दुर्दशा है । यह दिल्ली के नजदीक और गाजियाबाद के नजदीक है यह दुर्भाग्य है वहां का विकास सुनिश्चित किया जाय ताकि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में रहने वाले घोड़ा कालोनी निवासी लोग यह महसूस कर सकें कि वे दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में रहते हैं ।

(इस समय 5 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लेकर जो बार्डर है दिल्ली का यू०पी० का वहां वसुन्धरा के पास फलाई ओवर नहीं बना है वहां घण्टों जाम लग जाता है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है उसकी भी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, कोई भी संस्था चाहे वह यू० पी० एस० आई० डी० सी० हो या विकास प्राधिकरण हो आवास विकास परिषद् हो, किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लेती है उस जमीन को भारी मूल्य में बेचा जाता है लेकिन किसानों का मुआवजा पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है । महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में मुआवजे की बाबत कुछ उल्लेख नहीं है । गाजियाबाद जिला 1975 में निर्मित हुआ था, पं० नारायण दत्त तिवारी ने उसकी उद्घोषणा की थी, आज वहां जिला अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है । लोगों की नजरों में वह एक विकसित जिला कहलाता है । (व्यवधान)

मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं एक मिनट और दे दें क्योंकि फिर पता नहीं मौका मिले न मिले । मान्यवर, इसकी भी व्यवस्था की जाये कि यह सरकार गरीबों को नौकरी देने का वादा करती है लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 1988 से नगरपालिका जैसे कार्यालय में वेतनभोगी लोग काम करते हैं उसको पक्का करने का कोई काम नहीं किया है । दूसरी तरफ आह्वान करते हैं कि नयी नौकरियां देंगे । शासनादेश हो चुका है । लेकिन आज तक उन्हें पक्का क्यों नहीं किया गया, वह सब टेकेदारी प्रथा पर काम करते हैं, उनका शोषण किया जाता है जिसे समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता जी–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

* श्री राम किशुन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबन्धन करके उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ दो ही बातें कहनी हैं। एक बात तो बहुजन समाज पार्टी से खुद अपने कैडरबेस के समय जब उसने कहा था "तिलक, तराजू और तलवार" और मैं नहीं बोलना चाहूंगा मैं इस पर नहीं बोलने जा रहा हूं। आगे जो भारतीय जनता पार्टी थी जो अपने को कहा करती थी "रघुकुल रीति सदा चलि आयी प्राण जाये पर वचन न जाई।" माननीय राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन हाईकमान के आदेश पर राजनाथ सिंह ने नया रास्ता चुन लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आया हूं वह क्षेत्र मुगलसराय है और यह स्थान देश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री स्व० श्री लाल बहुर शास्त्री जी भी यहां पैदा हुए थे, उन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुगलसराय का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। वहां की बिजली मिर्जापुर में पैदा होती है। लेकिन पूरे बिहार को बिजली दी जाती है जो बहुत बड़े कोयले का डिपो है। उससे पूरे पश्चिमी इलाके को कोयला देने का काम किया जाता है।

मान्यवर, न जाने कितने संसाधन हैं, औद्योगिक इकाइयां है जिसके माध्यम से मुगलसराय के लोग इस सरकार को और केन्द्र सरकार को राजस्व के रूप में अपना योगदान देते हैं लेकिन इस अभिभाषण में मुगलसराय के लिए पूर्वान्चिल के लोगों के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुगलसराय में एक तरफ गड़ई नदी है और दूसरी तरफ गंगा नदी है। गड़ई नदी में बाढ़ आती है प्रतिवर्ष जिससे हजारों एकड़ फसल पानी में डूब जाती है और पूरा चन्दौली जो धान का कटौरा कहा जाता है, वह बरबाद हो रहा है। गड़ई नदी के मिर्जापुर में दोनों तरफ के तटबन्ध ऊंचे कर दिये गये, वह ओम प्रकाश जी का क्षेत्र है वहां से पूरा-पूरा पानी चन्दौली में बहा दिया जाता है जिससे चन्दौली तबाह हो जाता है। विगत 10 वर्षों से चन्दौली तबाह हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि गड़ई नदी के दोनों तटबन्ध ऊंचे किये जायं और उसकी खुदाई की जाय। मुगलसराय में एक गन्दा नाला है जो कभी नहीं सूखता है। यह गंगा नदी में जाकर मिलता है। इस पर एक छोटा सा पम्प कैनाल लगाकर वहां के आसपास के किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो इससे किसानों को फायदा होगा। नियमता ब्लाक के ड्रेनों की सफाई की जाय और पानी के निकासी की व्यवस्था की जाय इससे वहां की हजारों एकड़ फसल लगभग 10 साल से बरबाद हो रही हैं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने घोषणाएं तो किया क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की और इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा गया है तो जब क्षेत्रीय संतुलन की बात कही है तो मुगलसराय के योगदान को भी देखना चाहिए मुगलसराय के विकास के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त जी ने वहां राम नगर के लिए एक करोड़ रुपया दिया था लेकिन आज तक वह रुपया नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं ये पंडित दीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं उसके लिए दो करोड़ रुपया चन्दौली मुगलसराय के लिए दिया गया था । आज पार्क के नाम पर वहां धन का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुगलसराय को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इस प्रदेश और देश में विकास में बहुत बड़ा योगदान है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको कारगर कदम उठाना चाहिए । आपने कहा गुण्डामुक्त, भयमुक्त और अपराधमुक्त समाज की । एक राजनीतिक पार्टी में समाजवादी पार्टी ने कहा कि गुण्डा माफियाओं को टिकट नहीं देगें और दूसरी राजनीतिक पार्टी ने क्या किया है और क्या कहा है, यह हम सब जानते हैं । जो सरकार में बैठे हैं उसमें कितने गुण्डा माफिया जीतकर आये हैं । जब धानापुर की काउन्टिग हो रही थी माननीय प्रभु नारायण विधायक यहां बैठे हैं वहां पर प्रभु नारायण सिंह जी की कोई सुरक्षा नहीं की गयी । इसलिए भयमुक्त समाज की बात अभिभाषण में बन्द होनी चाहिए ।

आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम नहीं किया है बल्कि सत्ता में भागीदारी करके इस प्रदेश को लूटने का काम इस प्रदेश को खोखला करने का काम भारतीय जनता पाटी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर किया है । इसलिए प्रस्ताव के विरोध में मैं विचार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस सरकार के मंत्रियों का जेब खर्च जब एक-एक लाख रुपया महीना रहा हो चाय के खर्च पर तो आज उसके सरकार के समर्थन से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह सरकार को मजबूत बनायेंगे जो पार्कों के नाम पर 2-2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहीं-नहीं चर्चा की गयी कि औद्योगिक विकास के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का कौन सा अवसर दिया जायेगा । मेरे क्षेत्र में दो-दो औद्योगिक इकाइयां हैं मान्यवर, हमारे यहां दो-दो औद्योगिक इकाईयां बन्द पड़ी हैं और फिर एक इकाई डेढ़ सौ एकड़ जमीन पर स्थापित की जा रही है । मान्यवर, इस सरकार के पास नौजवानों को रोजगार देने का कोई प्राविधान नहीं है । पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि हम 40 हजार नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला ।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री राम किशुन–

इसी के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री हीरा लाल गौतम–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । विगत फरवरी माह में प्रदेश में आम चुनाव हुये और सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभरकर सामने आई । महामहिम राज्यपाल जी ने इनको लगभग 2 महीने का समय सरकार बनाने के लिये दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा आगे जारी रखी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद एक माननीय सदस्य को और बुलवा दूं ।

श्री हीरा लाल गौतम–

लेकिन जब समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में संख्या नहीं जुटा पाई, तब महापुरुष मान्यवर, कांसीराम जी ने जनता की पीड़ा को समझकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सहयोगी दल के लोगों ने इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता की जनभावनाओं का आदर करते हुए लोकप्रिय सरकार का गठन किया । राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रदेश के दबे-कुचले, मजलूमों के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, किसानों के हित के लिये इस सरकार ने संकल्प लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं विकास युक्त समाज बनाने का संकल्प लिया है । यह सरकार समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र में लोगों को बराबरी के हितों का ध्यान रखेगी, इसलिये मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो पक्ष में प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री अनिल सिंह–

मान्यवर, आपने हमें अवसर दिया, धन्यवाद । मान्यवर, सिद्धार्थ नगर जनपद 7-7 नदियों से घिरा हुआ है लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये किसी ठोस उपाय का कोई उल्लेख नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आज गेहूं क्रय केन्द्रों के बारे में उपलब्ध कराया गया है कि किस जनपद में कितना गेहूं खरीदा गया है । मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद में 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का जो लक्ष्य है उसमें से मात्र 3300 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सिद्धार्थ नगर औद्योगिक शून्य जिला है, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है । वहां पर मुख्य फसल गेहूं है इसलिये मान्यवर से अनुरोध है कि गेहूं की खरीद में जो शिथिलता बरती जा रही है, उसे दूर किया जाये और इसमें तेजी लायी जाये । मान्यवर, हमारे यहां एक कुकुरहुत्ता सड़क है उसे बनवाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

* श्री कौशल किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया .....

श्री प्रभुदयाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं ...

(श्री कौशल किशोर एवं श्री प्रभुदयाल के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

कौशल किशोर जी आप बैठ जायें ।

श्री प्रभुदयाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चुंगी मामला तो समाप्त हो गया है लेकिन हमारे यहां चुंगी की वसूली हो रही है । वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, मवाना में, कोई न कोई नया नियम निकालते रहते हैं । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज ही मेरठ के जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश दिया जाय कि वह तुरन्त इस पर रोक लगायें । मान्यवर, हस्तिनापुर का जो नगर है, एक धार्मिक स्थान है, जैन धर्म का एक स्थान है । उस स्थान को पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया है । मेरा अनुरोध है कि इस ओर सरकार ध्यान दे और हस्तिनापुर का विकास करें ।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गांव में शिक्षा का अलग स्तर है और शहर में अलग है । गांवों में बच्चों के पढ़ने के जो प्राइमरी स्कूल हैं इनमें टाट-पट्टी की व्यवस्था नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी, कल आपसे ही चर्चा शुरू होगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है जो जनपद गोण्डा में जंगली जानवरों से हो रहे किसानों की फसलों के भारी नुकसान की रोकथाम के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दूसरी सूचना श्री वसीम अहमद की है जो पूर्वांचल में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । तीसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो सम्पूर्ण प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के पंजीकरण के संबंध में तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के शासनादेशों के नवीनीकरण के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । चौथी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है जो बलिया जनपद के तुर्तीपार-श्रीनगर बांध के बीच हो रहे कटान की रोकथाम के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । पांचवीं सूचना श्री उदय राज यादव की है जो जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में विकास खण्ड असोहा में स्थित झील तथा कस्बा पुरवा व मौरावां के मध्य स्थित बसहा झील के पानी की निकासी के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । छठी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गोर्रा, वथुआ, मझनेकुर्ना सहित विभिन्न नदियों के भीषण बाढ़ की राकथाम हेतु कटानों पर ठोकर एवं नये बांधों के निर्माण के संबंध में है–ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जो जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम नियामतपुर और तिवलत के बीच नदी पर पुल के निर्माण के संबंध हैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है जो आगरा नगर में सड़कों के किनारे तथा गलियों में पड़े

मलवे एवं कूड़े के ढेर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । नौवीं सूचना श्री शिव पाल सिंह यादव की है जो जनपद एटा में सेना के बुलडोजरों द्वारा दुकानों और मकानों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । दसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हैं जो जनपद हरदोई से बिलग्राम के बीच परिवहन निगम की बसों की चलाये जाने के संबंध में हैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । ग्यारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की है जो जनपद सुल्तानपुर में राजकीय बालिका डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । बारहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की है जो जनपद बदायूं विधान सभा क्षेत्र सहसवान में सस्ता सुलभ न्यायालय स्थापित किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की है जो जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद निवासी श्री अनीस अहमद पुत्र श्री अजीम अली के हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । चौदहवीं सूचना श्री जयाउद्दीन रिजवी की है जो जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दरौली खरीदघाट पर पीपे में पुल को बनाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । पन्द्रहवीं सूचना डा० विनोद कुमार तिवारी की है जो जनपद लखनऊ में पेयजल निराकरण हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प ठीक कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सोलहवीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की है जो जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर व नगरा के कुछ गांवों को अलग कर भीमपुरा ब्लाक गठित करने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । सत्रहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की है जो लखनऊ की मलिहाबाद नगर पंचायत द्वारा समानान्तर सरकार चलाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । अटठारहवीं सूचना श्री बैजनाथ पासवान की है जो जनपद मऊ के जिला पंचायत कार्यालय द्वारा किये जा रहे धन के दुरुपयोग के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । उन्नीसवीं सूचना डा० पी० के० राय की है जो जनपद कुशीनगर के पी०पी० एवं ए०पी० तटबन्धों के सभी क्षतिग्रस्त ठोकरों एवं बंधों को ठीक कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

और मा० सदस्यों की शेष सूचनाएं निरस्त की गई है इनमें से श्री ओम प्रकाश सिंह (गाजीपुर), श्री मानपाल सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह, श्री कौशल किशोर, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह, श्री मिथिलेश कुमार, श्री शारदानन्द अंचल, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री कालीचरन राजभर, श्री रामकान्त आर्य श्री रामइकबाल, श्री बैजनाथ दुबे, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री वसीम अहमद व श्री विश्राम सिंह यादव हैं ।

जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के कटान से नदी के दोनों तटों पर तटबन्ध बनाये जाने के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, अवगत कराना है कि ..

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

[तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद पीलीभीत में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पूरनपुर से होकर बहरही शारदा नदी के दोनों ओर तटबन्ध तत्काल बनवाने की घोषणा नहीं की गयी थी । वरन् तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा सिंचाई विभाग को जनपद लखीमपुर खीरी एवं जनपद पीलीभीत को शारदा नदी की बाढ़ से होने वाले कटान से बचाने के संबंध में यह निर्देश दिये गये थे कि "प्रमुख सचिव, सिंचाई/उपयुक्त अधिकारियों तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर एक माह में उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन कराये एवं ठोस/व्यवहारिक सुझाव तदोपरान्त प्रस्तुत करें, जिसका क्रियान्वयन वर्तमान वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किया जा सके" । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन कर प्रश्नगत क्षेत्र के सर्वेक्षण के पश्चात् ठोस/व्यवहारिक विकल्प/उपाय प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त समिति द्वारा प्रकरण में सम्यक विचारोपरानत अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अनुसार :–

शारदा नदी के दायें व बांयें किनारों पर अलग-अलग 108 कि०मी० लम्बे तटबन्धों का निर्माण प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए न तो उचित है और न ही सम्भव है । वर्तमान में जो ग्राम शारदा नदी के कटान से ज्यादा प्रभावित हैं तो जो स्थल नदी के कटान के कारण अत्यन्त संवेदनशील हैं, ऐसे स्थलों पर कटाव निरोधक कार्यों को कराकर ग्रामों व उनके आस-पास की खेती योग्य भूमि को कुछ सीमा तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है ।

उक्त संस्तुति के अनुक्रम में 8 परियोजनाएं कुल लागत रु० 24.32 करोड़ जिनमें जनपद पीलीभीत के ग्राम टाटरगंज, राघवपुरी, भरतपुर, अशोक नगर, धरमपुरी टीला, हजारा, सिंधनगर आदि की सुरक्षा के साथ ही कृषि भूमि को शारदा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तथा जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित दो परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, को नाबार्ड से वित्त पोषण कराये जाने हेतु वित्त विभाग के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।]

मेरठ नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर में एक निर्माणाधीन जलाशय को चालू कराये जाने के संबंध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया ..

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा यह सूचना दी गयी है कि मेरठ नगर निगम क्षेत्र में ट्रान्सपोर्ट नगर में एक उपरि जलाशय का निर्माण पूर्ण हुए लगभग एक वर्ष हो गया है । इसकी पाइप लाइन से जोड़ने के लिये पैसा नहीं है जबकि शासन द्वारा निर्धारित राशि लगभग 4 माह पूर्व जल निगम को जारी कर दी गयी है किन्तु जल निगम ने आवश्यक पाइप लाइन को टंकी से नहीं जोड़ा है जिसके कारण उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है तथापि पेयजल के अभाव में त्राहि-त्राहि मची है ।

2–उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि उल्लिखित उपरि जलाशय को राइजिंग मेन से जोड़ने हेतु आवश्यक धनराशि की स्वीकृति रिवाल्विंग फण्ड से उपलब्ध कराई जा चुकी है । यह धनराशि गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में जल निगम को प्राप्त हुई है जिसे प्रस्तावित कार्य हेतु अवमुक्त किया जा रहा है । यह कार्य आगामी तीन माह में पूर्ण कर उपरि जलाशय को क्रियाशील कर चालू कर दिया जायेगा । शासन द्वारा भी इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अनुश्रवण किया जा रहा है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 23-05-2002 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 22 मई, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 313 विधान सभा (542)–2002–813 प्रतियां ।